

हरियाणा और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

राजेश बिंदल और हरिंदर सिंह सिद्धू के समक्ष, जे. जे.

मेसर्स धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड-- याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य--प्रतिवादी

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 20788 (ओ. एंड. एम.)

30 जनवरी, 2017

ए. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, धारा 34-

क्या पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर किया जा सकता था, भले ही मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए भेजा गया हो-आयोजित, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती है जो उस समय कानून की घोषणा करता है कि इस विषय पर सभी अदालतों और प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए और यदि उचित माना जाता तो अधिकारियों द्वारा उसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती थी।

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 34 के सुसंगत प्रावधान, जो संशोधन से पहले मौजूद थे, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

34. (1) आयुक्त, अपने प्रस्ताव पर, किसी भी कार्यवाही या उसमें किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट आदेश के उद्देश्यों के लिए किसी भी कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी भी मामले का रिकॉर्ड बुला सकता है जो राज्य के हितों के लिए प्रतिकूल है और संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे:

बशर्ते कि किसी कर प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश को किसी ऐसे मुद्दे पर संशोधित नहीं किया जाएगा जो अपील पर या ऐसे आदेश से किसी अन्य कार्यवाही में किसी अपीलीय प्राधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित है या उसके द्वारा निपटाया गया है:

बशर्ते कि निर्धारिती को ऐसे आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां कानून में पूर्वव्यापी परिवर्तन के परिणामस्वरूप या इसी तरह के मामले में न्यायाधिकारी के निर्णय के आधार पर या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आधार पर आदेश को संशोधित किया जाता है।

(2) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

320

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

उप-उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के पद से कम के किसी भी अधिकारी को, उप-धारा (1) के तहत आयुक्त की शक्ति प्रदान कर सकता है जिसका परयोग अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवादों, शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है और जहां एक अधिकारी जिसे ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं, वह इस धारा के तहत एक आदेश पारित करता है, तो ऐसा आदेश आयुक्त द्वारा उप-धारा (1) के तहत पारित किया गया माना जाएगा।

(पैरा 85) यह अभिनिर्धारित किया कि अधिआदेश की धारा 34 आबकारी और कराधान आयुक्त को, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर को संतुष्ट करने के औचित्य, से किसी भी कर प्राधिकारी या न्यायाधिकारी के अलावा किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी भी मामले के अभिलेख मांगने में सक्षम बनाती है, ताकि वह कार्यवाही या किए गए आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके, जो आबकारी और कराधान आयुक्त की राय में राज्य के हित के लिए प्रतिकूल है। अधिआदेश की धारा 34 के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि निर्धारिती को ऐसे आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जाएगा। हालांकि, परंतुक में सीमा की उपरोक्त अवधि के लिए अपवाद दिए गए हैं, जहां एक आदेश को तीन साल की अवधि से परे भी संशोधित किया जा सकता है, यदि:

(i) कानून में पूर्वव्यापी परिवर्तन है;

((ख) किसी समान मामले में न्यायाधिकारी का कोई निर्णय; और

((ग) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आधार पर।

(पैरा 86) अभिनिर्धारित किया कि हाथ में मामले में, यह विवाद में नहीं है कि न तो कानून में कोई पूर्वव्यापी परिवर्तन हुआ है और न ही न्यायाधिकरण का कोई निर्णय, जिसके आधार पर पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया है, वह भी सीमा की सामान्य अवधि से परे अपवाद खंड को लागू करके।

(पैरा 87) ने अभिनिर्धारित किया कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए अपवाद खंड का याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दो भागों में विश्लेषण किया गया था, पहला के आधार पर और दूसरा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आधार पर।” (पैरा 88) ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी चीज़ का आधार वह है जिस पर वह खड़ा है। इसका अर्थ है, हाथ में मामले में, वही आधार, जिस पर

321

मैसर्स धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

नोटिस सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करके मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए जारी किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून न्यायसंगत ठहराता है।

(पैरा 89) ने अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यहाँ, हमें जाँच करने की आवश्यकता है, कानून क्या घोषित किया गया है?

कानून क्या घोषित करता है?

(पैरा 90) ने अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में "उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून" वाक्यांश का उपयोग किया गया है। इसे कानून या संविधान की व्याख्या करते हुए कानून के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा माना गया था।

(पैरा 91) ने अभिनिर्धारित किया कि इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सि. गोलाक नाथ के मामले (उपर्युक्त) में विचार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि घोषणा करना राय की घोषणा करना है। व्याख्या, निर्धारण और विकास प्रक्रिया के हिस्से हैं,

जबकि व्याख्या, निर्धारण या विकसित को कानून के रूप में घोषित किया जाता है। इनसे संबंधित पंक्तियाँ नीचे निकाली गई हैं:

“51..... अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायाधीशालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायाधीशालयों के लिए बाध्यकारी होगा और अनुच्छेद 142 इसे अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसी डिक्री पारित आदेश या ऐसा आदेश देने में सक्षम बनाता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। इन अनुच्छेदों को व्यापक रूप से बनाया गया है ताकि सर्वोच्च न्यायाधीशालय कानून घोषित कर सके और ऐसे निर्देश दे सके या ऐसे आदेश पारित कर सके जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हैं। "घोषित" अभिव्यक्ति "पाए गए या बनाए गए" शब्दों की तुलना में व्यापक है। घोषणा करना राय की घोषणा करना है। वास्तव में, बाद में प्रक्रिया शामिल होती है, जबकि पहले वाला परिणाम व्यक्त करता है। व्याख्या, निर्धारण और विकास प्रक्रिया के हिस्से हैं, जबकि व्याख्या, निर्धारण या विकसित कानून के रूप में घोषित किया जाता है। कानून.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित देश का कानून है। यदि ऐसा है, तो हम कोई स्वीकार्य कारण नहीं देखते हैं कि क्यों यह अपने द्वारा पहले घोषित कानून के अधिक्रमण में कानून घोषित करने में, भविष्य के लिए घोषित कानून के संचालन को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है और लेनदेन को बचा सकता है, चाहे वह वैधानिक हो या अन्यथा जो पहले के कानून के आधार पर किए गए थे।

322

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस मुद्दे पर बाद में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और एक अन्य, (2012) 10 एस. सी. सी. 603 में विचार किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का अर्थ कानूनों या संविधान की व्याख्या करते हुए बनाया गया कानून है। (पैरा 93) ने अभिनिर्धारित किया कि हाथ में मामले में, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि के. रहेजा विकास निगम के मामले (ऊपर) में 5.5.2005 पर निर्णय के माध्यम से वर्तमान याचिका में शामिल प्रकार के लेनदेन पर कराधान के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून घोषित किया गया था। यह केवल एल एंड टी के 1 एस टी मामले (ऊपर) में पारित 19.8.2008 के आदेश के माध्यम से किया गया था कि मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार आदेश के

लिए संदर्भित किया गया था, जिसे अंततः एल एंड टी के 2 वें मामले (ऊपर) में 26.9.2013 के फैसले के माध्यम से तय किया गया था, जैसा कि के. रहेजा विकास निगम के मामले (ऊपर) में घोषित कानून को मंजूरी दी गई थी।

(पैरा 94) ने अभिनिर्धारित किया कि एक सहायक मुद्दा, जो वर्तमान मामले के तथ्यों में विचार के लिए उत्पन्न होता है, यह है कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून अभी भी एक अच्छा कानून और एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती है, भले ही इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए संदर्भित किया गया हो। इस प्रश्न पर राजस्थान राज्य बनाम मेसर्स आर. एस. शर्मा एंड कंपनी, (1988) 4 एस. सी. सी. 353 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। इसमें यह राय दी गई थी कि विवाद के अंतिम निर्धारण को केवल इस आधार पर लंबित नहीं रखा जा सकता है कि यह मुद्दा एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पक्षों द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि चूंकि यह मुद्दा संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन था, इसलिए मामले का निर्णय नहीं होना चाहिए। हालाँकि, कानून को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मौजूद है, मामले का अंत में निर्णय लिया गया। इसके प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:

“7. हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि यह प्रश्न कि क्या कारणों की अनुपस्थिति में के आधार पर, निर्णय स्वयं खराब है, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 1985 की सीए संख्या 3137-39 में विचाराधीन है।

3145 1985-जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम फर्म छोकामल

ठेकेदार। इसलिए यह आग्रह किया गया कि इसे संविधान पीठ द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में इस प्रश्न विचाराधीनता होने से इस न्यायालय के सभी निर्णयों को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायाधीश प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक कानून, न्यायाधीश और समानता के अनुसार विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है।

8. आज जो कानून है वह स्पष्ट है कि जब तक कानून में कोई त्रुटि न हो

323

मैसर्स धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य. (एस. एस. सारोन, जे.)

स्पष्ट रूप से पुरस्कार को केवल कारणों की अनुपस्थिति के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा तय किया गया कानून है। न्याय और न्यायिक प्रशासन के हितों की पूर्ति इस याचिका पर इस मामले में विवाद के अंतिम निर्णय को दरकिनार करके नहीं की जाएगी कि क्या एक अनुचित पुरस्कार खराब है या नहीं, यह सवाल एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए लंबित है। मध्यस्थों के समक्ष बड़ी संख्या में बैठकें हुई हैं। दलों को सुना गया है। कार्यवाही में कोई गलत आचरण नहीं हुआ। प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा इस प्रश्न का निर्णय लंबित रहने तक निर्णय को स्थगित करना अनुचित होगा। हम नहीं जानते कि उस प्रश्न पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा, और क्या अंततः यह न्यायालय यह निर्णय लेगा कि अनुचित पुरस्कार स्वयं खराब हैं या क्या निर्णय का संभावित अनुप्रयोग केवल इस पहलू पर कानून की लंबे समय से स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए होगा या नहीं। किसी विशेष मामले में पक्षों के बीच न्याय निलंबित एनिमेशन में नहीं होना चाहिए।

[जोर दिया गया] उड़ीसा राज्य बनाम दंडासी साहू, (1988) 4 एस. सी. सी. 12 में भी ऐसा ही विचार था।

(पैरा 95)

ख. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, धारा 34- विस्तारित

पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग के लिए विस्तारित अवधि-यह केवल उन मामलों में लागू होगा जहां संशोधन से पहले निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई थी और न कि जहां अवधि पहले समाप्त हो गई थी-संशोधन जीवन को मृत दावे में नहीं डाल सकता है। विभाग द्वारा जारी किए गए कोई भी निर्देश विभागीय अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं, सिवाय उन मुद्दों के जहां इसके विपरीत कोई निर्णय मौजूद है-वे अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं-एक परिपत्र जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, कानून में मौजूद नहीं है।

यह माना गया कि राज्य ने 3.8.2015 पर अध्यादेश जारी किया, जिसमें उस अवधि को बढ़ाकर अधिनियम की खंड 34 में संशोधन करने की मांग की गई, जिसके दौरान स्वतः संशोधन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अध्यादेश को संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 15.9.2015 पर राज्यपाल की सहमति मिली और 21.9.2015 पर राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अध्यादेश की खंड 34 (1) का दूसरा परंतुक, जो संशोधन से पहले मौजूद था, जैसा कि निर्णय के पैरा संख्या 82 में पहले ही दोहराया जा चुका है, बशर्ते कि निर्धारिती को ऐसे आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख

से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान सामान्य परिस्थितियों में लागू किया जाना था।

अधिनियम की खंड 34 की उप-खंड (1) के दूसरे परंतुक में संशोधन के माध्यम से "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "छह वर्ष" शब्द रखे गए। इसका मतलब है कि मूल्यांकन आदेश को संशोधित आदेश के लिए सीमा की सामान्य अवधि अब तीन साल की तुलना में छह साल थी। (पैरा 100) ने अभिनिर्धारित किया कि विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा यह है कि क्या अवधि उन मामलों में भी बढ़ाई गई थी जहां किसी निर्धारिती को आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से तीन साल पहले ही समाप्त हो चुके थे। जवाब नकारात्मक होगा, क्योंकि एक मृत दावे को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। आदेश को संशोधित आदेश का अधिकार समाप्त हो गया था, जिसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सका था। आगे का जीवन केवल उन मामलों में दिया जा सकता है जहां मूल्यांकन आदेश को संशोधित आदेश की सीमा अभी भी मौजूद थी।

(पैरा 101) अभिनिर्धारित किया कि इसी तरह के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तम स्टील लिमिटेड के मामले (उपर्युक्त) में विचार किया गया था, जहां निर्यात शिपमेंट पर छूट का दावा किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की खंड 11 बी के तहत इस तरह का दावा करने के लिए प्रासंगिक समय पर निर्धारित अवधि छह महीने की थी, जिसे बाद में एक वर्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। निर्धारिती ने छह महीने की अवधि के भीतर दावा करने को प्राथमिकता नहीं दी। अवधि का विस्तार करने वाला संशोधन बाद में आया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि जहां मौजूदा प्रावधान के तहत दावा संशोधन अधिनियम द्वारा अवधि के विस्तार से पहले ही समय-बाधित था, वह निर्धारिती के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इस मुद्दे पर पहले के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, अर्थात् (i) जे. पी. जानी, आयकर अधिकारी बनाम इंद्रप्रसाद देवशंकर भट्ट, ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 778; (ii) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा, (1975) 2 एस. सी. सी. 840 (iii) टी. कल्लामूर्ति बनाम पाँच गोरी थैकल वक्फ, (2008) 9 एस. सी. सी. 305; और (iv) तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (2011) 6 एस. सी. सी. 739, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित राय दी:

“10. हमने पक्षकारों और विद्वान न्यायालय मित्र श्री बगारिया के लिए विद्वान अधिवक्ता को कुछ समय तक सुना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रक्रियात्मक या विशेषण कानून होने की सीमा की अवधि आमतौर पर प्रकृति में पूर्वव्यापी होगी। हालाँकि, यह एक परंतुक

के साथ जोड़ा गया है जो यह है कि संशोधित प्रावधान के तहत किया गया दावा स्वयं इस अर्थ में एक मृत दावा नहीं होना चाहिए था कि एक बड़ी अवधि की सीमा के साथ एक संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले यह समय बाधित था।

[जोर दिया गया]

(पैरा 102)

325

मेसर्स धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड वी.राज्य

बनाम

हरियाणा और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

अभिनिर्धारित किया कि इस मुद्दे पर बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स श्रेयांस इंडस मामले में विचार किया गया था। लिमिटेड का मामला (ऊपर), जहां कानून के समान प्रस्ताव से निपटने वाले इस अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था। उस मामले में, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की खंड 11 (10) में प्रावधान के अनुसार मूल्यांकन तैयार करने की सामान्य अवधि तीन साल थी, हालांकि, आयुक्त को लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद उस अवधि को और बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। अदालत के समक्ष विचार के लिए जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या मूल्यांकन तैयार करने के लिए आयुक्त द्वारा तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद कोई विस्तार दिया जा सकता है, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है। इस न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार यह था कि मूल्यांकन तैयार करने के लिए सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, मूल्यांकन करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके बाद, आयुक्त को मूल्यांकन तैयार करने के उद्देश्य से विस्तार देने की शक्ति का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:

“6. निर्धारिती ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके मामले को आगे बढ़ाया। यहाँ, निर्धारिती अपनी प्रस्तुति में सफल रहा है क्योंकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 26 सितंबर, 2008 के विवादित फैसले के माध्यम से कहा है कि एक बार सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, मूल्यांकन करने के अधिकार में निर्धारित मूल्यांकन के अधीन होने से प्रतिरक्षा समाप्त हो जाती है। इसलिए, जब निर्धारण आदेश पारित करने के लिए अधिआदेश में निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त हो जाती है, तो आयुक्त को अधिआदेश की खंड 11 की उप-खंड (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित कर दिया जाता है और मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए सीमा की अवधि का विस्तार

नहीं किया जा सकता है। यह आदेश राजस्व द्वारा हमारे समक्ष तत्काल अपीलों में लागू किया जाता है।

XXXXXX

24. यह भी देखा गया कि निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने पर, किसी निर्धारिती का आकलन करने का विभाग का अधिकार समाप्त हो जाता है और यह विस्तार निर्धारिती को एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार प्रदान करता है।

25. यदि किसी को उपरोक्त आदेश का पालन करना है, जिसके साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं, तो वही तत्काल मामलों में भी लागू होगा। पंजाब अधिनियम के संदर्भ में, यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन के लिए समय बढ़ाने से सीमा की अवधि बढ़ जाती है और इसलिए, एक बार सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, मूल्यांकन के अधीन होने के खिलाफ प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है और मूल्यांकन करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसलिए, मूल्यांकन के लिए समय बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं होगा, जब मूल्यांकन पहले ही समयबद्ध हो चुका है। निर्धारिती के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार भी अर्जित हुआ है जब

326

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

सीमा अवधि समाप्त हो जाती है। यदि आयुक्त को अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा की मूल अवधि समाप्त होने के बाद भी विस्तार देने की अनुमति दी जाती है, तो यह उसे तत्काल अपीलों में मूल्यांकन की अंतिम तिथि के बाद भी किसी भी समय ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देगा, जब मूल्यांकन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2004 थी।”

(पैरा 103) ने अभिनिर्धारित किया कि ज्योति ट्रेडर्स और दूसरे के मामले (उपरोक्त) में निर्णय उपरोक्त निर्णय के रूप में अलग है, जबकि पहले के दो निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह राय दी गई थी कि संशोधन की भाषा ने सुझाव दिया कि यह पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ था, इसलिए, इसे इसका सही अर्थ दिया गया था। हाथ में मामले के तथ्य अलग हैं। उत्तम स्टील लिमिटेड के मामले (ऊपर) और मेसर्स श्रेयांस इंडस लिमिटेड के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णय हैं। (पैरा 104) में कहा गया है कि हमारी उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विस्तारित अवधि केवल उन मामलों में लागू होगी जहां संशोधन से पहले निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई थी और न कि जहां अवधि पहले समाप्त हो गई थी क्योंकि संशोधन एक मृत दावे को जीवन नहीं दे सकता है।

इश्यू नं। (3)

क्या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए जारी किया गया कारण दर्शाएँ नोटिस खराब है क्योंकि इसमें अपवाद खंड और सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए बुनियादी तथ्यों की कमी है?

(पैरा 105)

ग. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, धारा 34-के लिए आयोजित

अधिनियम की धारा 34 (1) के दूसरे परन्तुक में दी गई सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए संशोधन की शक्ति का प्रयोग, सामान्य परिस्थितियों में, घटना को सीमा की सामान्य अवधि समाप्त होने के बाद होना चाहिए-हालाँकि, कुछ अपवाद हो सकते हैं जहां घटना सीमा की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले हुई थी और कार्रवाई उचित समय के भीतर की गई थी या देरी को संतोषजनक रूप से समझाया गया था-अपवाद खंड को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जाना है-इसकी हमेशा सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, भले ही किसी भी पक्ष को कठिनाई हो।

प्रस्तुत किए गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक राय में दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की खंड 34 (1) के दूसरे परन्तुक में प्रदान की गई सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए संशोधन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए, सामान्य परिस्थितियों में, घटना को सामान्य . के बाद होना चाहिए।

327 मेसर्स धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. (एस. एस. सारोन, जे.)

सीमा की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।हालाँकि, कुछ अपवाद हो सकते हैं जहां घटना सीमा की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले हुई थी और उचित समय के भीतर कार्रवाई की गई थी या देरी को संतोषजनक रूप से समझाया गया था।अपवाद खंड केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाना है।इसे हमेशा सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, भले ही किसी भी पक्ष को कठिनाई हो।

इश्यू नं। (5)

क्या विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र विभाग और निर्धारिती के लिए बाध्यकारी हैं?

(पैरा 116)

रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

डी. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, धारा 2 (1) (जेड जी)

(स्पष्टीकरण (i)-संवैधानिक वैधता-आयोजित, स्पष्टीकरण (i) धारा। अधिनियम के 2 (1) (जेड जी) में कोई बुराई या असंवैधानिकता का दोष नहीं है।

अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (i) के संबंध में मुद्दे पर सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा विचार किया गया था, जहां अनुरोध अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (i) और हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम 25 (2) (संक्षेप में, 'नियम') को भारत के संविधान के अधिकार अधिकारातीत घोषित करने के लिए था। अधिनियम की खंड 42 की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। अधिनियम की खंड 2 (1) (जेड. जी.) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकारों में यह मत व्यक्त किया गया था कि यह एक आरोप लगाने वाली खंड नहीं है, बल्कि केवल एक परिभाषा खंड है, हालांकि, नियमों के नियम 25 (2) को राज्य द्वारा दायर शपथ पत्र में उल्लिखित सीमा तक इसे पढ़ते समय वैध माना गया था। राज्य को निर्णय में की गई टिप्पणियों के अनुरूप नियमों में आवश्यक परिवर्तन लाने का निर्देश दिया गया। यह भी देखा गया कि कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरित माल के मूल्य के अलावा किसी भी राशि पर कर लगाने का कोई भी प्रयास अधिकार अधिकारातीत होगा। इसका प्रासंगिक पैरा नीचे निकाला गया है:

“38. अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) का स्पष्टीकरण, जो "बिक्री मूल्य" को परिभाषित करता है, कार्य अनुबंध में "बिक्री मूल्य" पर पहुंचने के दौरान अधिनियम की खंड 2 (1) (यू) के तहत परिभाषित सकल कारोबार से श्रम, सामग्री और सेवाओं से संबंधित शुल्कों के कारण कटौती का प्रावधान करता है। यह एक शुल्क प्रावधान नहीं है जो "कार्य अनुबंध" में वैट का आकलन करने के लिए कोई दायित्व पैदा करता है। यह अधिनियम के परिभाषा खंड में है और प्रावधान इसके दायरे में कुछ शामिल नहीं करता है।

जो अन्यथा कानून द्वारा निषिद्ध है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान किसी भी बुराई या असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त नहीं है।”

(पैरा 128) चूंकि उपरोक्त प्रावधान की शक्तियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही बरकरार रखा जा चुका है, इसलिए हमें इस मुद्दे की फिर से जांच करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

इश्यून। (7)

क्या मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में में बिल्डरों पर कर लगाने को बनाए रखा जा सकता है? अवधि **16.5.2010** तक और उसके बाद, जब नियम बनाए गए थे।

(पैरा 129)

ई. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, **2003**, धारा **34** -

कर योग्य कारोबार की गणना-**16.5.2010** तक की अवधि के लिए, कर योग्य कारोबार की गणना के तरीके का प्रावधान करने के लिए विषय पर कोई नियम या निर्देश नहीं थे- विवरण निर्दिष्ट करने वाले मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में में, हालांकि इस तरह के शुल्क को विवादित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह **16.5.2010** तक अप्रवर्तनीय हो गया है-**17.5.2010** के बाद से, अस्तित्व में नियम होने के कारण, उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में संशोधित किया गया है, शुल्क को बनाए रखा जा सकता है।

रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(पैरा 146)

एफ. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, **2003**, धारा **34**-कोई निर्धारण नहीं

एक कंपनी के खिलाफ फंसाया जा सकता है, जो किसी अन्य कंपनी के साथ विलय के बाद भंग हो गई थी।

इस मुद्दे का जवाब नकारात्मक में दिया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी कंपनी के खिलाफ कोई आकलन नहीं किया जा सकता है, जो किसी अन्य कंपनी के साथ विलय के बाद भंग हो गई थी। जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निष्पक्ष रूप से कहा गया है, मेसर्स सुख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पारित 8.3.2016 (अनुलग्नक पी-8) का मूल्यांकन आदेश, कंपनी जो पहले से ही मेसर्स सुख रियल्टर्स गुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के बाद भंग हो चुकी थी, को अलग कर दिया गया है। विभाग को कोई नया आदेश पारित आदेश के लिए विशिष्ट स्वतंत्रता देने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसे कि कानून अनुमति देता है, वह हमेशा कार्रवाई कर सकता है।

(पैरा 145)

146. ऊपर वर्णित कारणों के लिए, निर्णय के पैरा संख्या 81 में बनाए गए कानूनी मुद्दों का उत्तर निम्नानुसार दिया गया है:

मेसर्स धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड वी.राज्य

329

हरियाणा और ओ. आर. एस. (एस. एस. सारोन, जे.)

(1) के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक बाध्यकारी उदाहरण था जिसमें उस समय के कानून को इस विषय पर लागू करने की घोषणा की गई थी।

यदि उचित समझा जाता तो इसके आधार पर सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों और अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती थी।

(2) पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विस्तारित अवधि केवल उन मामलों में लागू होगी जहां संशोधन से पहले निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई थी और न कि जहां अवधि समाप्त हो गई थी।

पहले समाप्त हो गया था क्योंकि संशोधन एक मृत दावे को जीवन नहीं दे सकता है।

(3) इस मुद्दे की जांच नहीं की जा रही है क्योंकि कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में, आदेश पहले ही पारित किए जा चुके हैं और वे इस अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं।

(4) इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक राय में दिया गया है कि अधिनियम की खंड 34 (1) के दूसरे परंतुक में प्रदान की गई सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए संशोधन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए, सामान्य परिस्थितियों में, घटना को सीमा की सामान्य अवधि समाप्त होने के बाद होना चाहिए। हालांकि, कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे कि जहां घटना सीमा की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले हुई थी और उचित समय के भीतर कार्रवाई की गई थी या देरी को संतोषजनक रूप से समझाया गया था।

अपवाद खंड केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाना है। इसे हमेशा सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, भले ही किसी भी पक्ष को कठिनाई हो।

(5) विभाग द्वारा जारी किए गए कोई भी निर्देश विभागीय अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं, सिवाय उस मुद्दे के जहां इसके विपरीत कोई निर्णय मौजूद है। ये अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। एक परिपत्र जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, उसका कानून में कोई अस्तित्व नहीं है।

(6) चूंकि उपरोक्त प्रावधान के अधिकारों को इस अदालत द्वारा पहले ही बरकरार रखा जा चुका है, इसलिए हमें इस मुद्दे की फिर से जांच करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

(7) 16.5.2010 तक की अवधि के लिए, कर योग्य कारोबार की गणना के तरीके के लिए इस विषय पर कोई नियम या निर्देश नहीं थे।विवरण निर्दिष्ट करने वाले मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में में, हालांकि इस तरह के शुल्क को विवादित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह 16.5.2010 तक अप्रवर्तनीय हो गया है।17.5.2010 के बाद से, नियम मौजूद हैं,

सीएचडी डेवलपर्स मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले और उसमें की गई टिप्पणियों के संदर्भ में संशोधित किए जाने के बाद, हम नहीं पाते हैं।

330

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

कि शुल्क को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(8) इस मुद्दे का जवाब नकारात्मक में दिया जाता है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी कंपनी के खिलाफ कोई आकलन नहीं किया जा सकता है, जो किसी अन्य कंपनी के साथ विलय के बाद भंग हो गई थी।जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निष्पक्ष रूप से कहा गया है, मेसर्स सुख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिनांकित 8.3.2016 (अनुलग्नक पी-8) का मूल्यांकन आदेश पारित किया गया, जो कंपनी मेसर्स सुख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के बाद पहले ही भंग हो चुकी थी।

एस. एस. ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को अलग रखा गया है।विभाग को कोई नया आदेश पारित आदेश के लिए विशिष्ट स्वतंत्रता देने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसे कि कानून अनुमति देता है, वह हमेशा कार्रवाई कर सकता है।

(पैरा 146)

रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।(पैरा 147) अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

पुनीत अग्रवाल, अधिवक्ता;

अभिषेक बूब, अधिवक्ता;

ऋषभ कपूर, अधिवक्ता;

संदीप गोयल, अधिवक्ता;

ऋषभ सिंगला, अधिवक्ता;
अमरिंदर सिंह, अधिवक्ता;
अमर प्रताप सिंह, अधिवक्ता; और
राजीव अग्निहोत्री, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता (गण) के लिए।
लोकेश सिंहल, ए. ए. जी., हरियाणा।
राजेश बिंदल जे।

(1) यह आदेश सी. डब्ल्यू. पी. संख्या

2015

की

20788,23671,23721,24700,24847,24966,25336,25848,26508,26833,27005
,27006,27032,27448,27458,27526,

और 2016 की

787,788,798,1868,2197,3196,3748,3768,6796,8820,18377 19413 वाली
याचिकाओं के एक समूह का निपटारा करेगा, क्योंकि सभी याचिकाओं में शामिल मुद्दे
समान हैं।

2015 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या **20788** के मामलों के तथ्य

(2) याचिकाकर्ता हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के
प्रावधानों के तहत खुद को एक पंजीकृत विक्रेता होने का दावा करता है। वर्ष 2011-12 के
लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन दिनांक 15.5.2013 के आदेश के माध्यम से तैयार किया
गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस
4.6.2015 पर जारी किया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने 3.7.2015 पर आदेश पारित
किया।

पुनरीक्षण आदेश को

331

एम/एस धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वी.राज्य

बनाम

हरियाणा और ओ. आर. एस. (एस. एस. सारोन, जे.)

चुनौती दी गई है, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि यह अधिकार क्षेत्र के बिना है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 23671

(3) वर्ष 2010-11 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए 30.4.2012 दिनांकित आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 14.5.2005 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 37858 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटान 29.9.2015 पर प्राधिकरण को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने 21.8.2015 पर आदेश पारित किया और 7.10.2015 पर याचिकाकर्ता को सेवा प्रदान की। रिट याचिका में उपरोक्त आदेश के अधिआदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 23721

(4) वर्ष 2009-10 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए 29.4.2011 दिनांकित आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 18.5.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 17880 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटान 14.9.2015 पर प्राधिकरण को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 22.7.2015 पर आदेश पारित किया और 30.10.2015 पर याचिकाकर्ता को प्रदान किया। रिट याचिका में उपरोक्त आदेश के अधिआदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 24700

(5) वर्ष 2008-09 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए 26.4.2010 दिनांकित आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 24.6.2015 पर जारी किया गया था। पुनरीक्षण आदेश 15.7.2015 पर पारित किया गया था। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 24847

(6) वर्ष 2009-10 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन दिनांक 28.4.2011 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 2.7.2015 पर जारी किया गया था। पुनरीक्षण आदेश 15.7.2015 पर पारित किया गया था। रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

332 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2017(1)

उपरोक्त आदेश का अधिकार क्षेत्र के बिना होना।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 24966

(7) वर्ष 2007-08 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए 11.2.2010 दिनांकित आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 17.7.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16955 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटान 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 20.10.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने और अधिआदेश की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 25336

(8) वर्ष 2009-10 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 29.2.2012 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। आकलन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 13.8.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 18119 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटान 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 6.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 25848

(9) वर्ष 2006-07 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 4.3.2010 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 13.8.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 17766 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटान 14.9.2015 पर प्राधिका को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 9.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 26508

(10) मेसर्स धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. द्वारा दाखिल विवरणी को स्वीकार करते हुए वर्ष 2006-07 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन दिनांकित 20.1.2010 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। प्राइवेट लिमिटेड

राज्य

333

हरियाणा और ओ. आर. एस. (एस. एस. सारोन, जे.)

याचिकाकर्ता। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 दिनांक शून्य के तहत नोटिस जारी किया गया था, जो याचिकाकर्ता को 9.10.2015 पर प्राप्त हुआ था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15654 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 16.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 26833

(11) वर्ष 2009-10 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 15.3.2013 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 22.4.2015 पर जारी किया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 13.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने, अधिआदेश

की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार और मशीनरी प्रावधान की अनुपस्थिति में में कर लगाने की क्षमता को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 27005

(12) वर्ष 2008-09 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 24.5.2010 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 18.6.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14842 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 16.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 27006

(13) वर्ष 2010-11 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 17.4.2012 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 18.6.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15494 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा 14.9.2015 पर प्राधिकारी को 334 लेने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

मामले में आगे की कार्रवाई। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 16.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 27032

(14) वर्ष 2007-08 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 31.12.2009 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया

था।मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 दिनांक शून्य के तहत नोटिस जारी किया गया था, जो याचिकाकर्ता को 7.9.2015 पर दिया गया था।इसे 2015 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 19417 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था।पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 16.11.2015 पर आदेश पारित किया।रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 27448

(15) वर्ष 2009-10 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 26.2.2013 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था।मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 18.6.2015 पर जारी किया गया था।इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16016 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा 29.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था।पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 20.11.2015 पर आदेश पारित किया।रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 27458

(16) वर्ष 2008-09 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 31.5.2010 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था।मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 18.6.2015 पर जारी किया गया था।इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15798 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 16.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 27526

मेसर्स धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वी.

बनाम

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. (एस. एस. सारोन, जे.)

(17) वर्ष 2010-11 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 29.11.2012 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 18.6.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16010 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटान 19.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 20.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 787

(18) वर्ष 2007-08 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 30.4.2009 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 2.7.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 15655 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटान 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 20.10.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने और अधिआदेश की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 788

(19) वर्ष 2007-08 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 26.11.2009 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 13.8.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 17752 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटान 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता

द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 9.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने और अधिआदेश की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है। अधिआदेश की खंड 34 के दूसरे प्रावधान के अपवाद को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 798

(20) वर्ष 2008-09 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन 222.4.2010 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था, जबकि 336 दाखिल किए गए विवरणी को स्वीकार किया गया था।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

याचिकाकर्ता द्वारा मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 2.7.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15656 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 20.10.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने और अधिआदेश की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1868

(21) वर्ष 2008-09 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 20.8.2010 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 17.7.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16916 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 20.10.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने और अधिआदेश की खंड 2

(1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है। अधिआदेश की खंड 34 के दूसरे प्रावधान के अपवाद को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2197

(22) वर्ष 2005-06 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 6.3.2009 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 7.10.2015 पर जारी किया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 30.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने और अधिआदेश की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है। अधिआदेश की खंड 34 के दूसरे प्रावधान के अपवाद को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3196

(23) वर्ष 2007-08 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 15.6.2009 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 23.6.2015 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14586 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसे 14.9.2015 पर निपटाया गया था, जिसमें प्राधिकारी को मेसर्स धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। प्राइवेट लिमिटेड

राज्य

337

हरियाणा और ओ. आर. एस. (एस. एस. सारोन, जे.)

याचिकाकर्ता मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 20.10.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने और अधिआदेश की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3748

(24) वर्ष 2010-11 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 18.4.2012 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 13.2.2014 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 17755 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 16.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3768

(25) वर्ष 2009-10 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 18.4.2011 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 13.2.2014 पर जारी किया गया था। इसे 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4920 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसे 2014-सी. एच. डी. के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5730 में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में निपटाया गया था।

डेवलपर्स लिमिटेड, करनाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,

22.4.2015 पर निर्णय लिया। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 18.6.2015 पर आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 17755 दाखिल करके इसे फिर से चुनौती दी, जिसका निपटारा 14.9.2015 पर प्राधिकारी को मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आपत्तियों को खारिज करते हुए 16.11.2015 पर आदेश पारित किया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने को चुनौती दी गई है।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6796

(26) वर्ष 2006-07 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 19.5.2008 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 1.10.2015 पर जारी किया गया था। रिट याचिका में, अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई), 338 की खंड 34 के दूसरे परंतुक को चुनौती दी गई है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में में कर लगाने के लिए अधिनियम और क्षमता।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8820

(27) वर्ष 2006-07 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 30.3.2009 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 28.12.2015 पर जारी किया गया था। 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6795 दाखिल करके इसे चुनौती दी गई थी। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 12.4.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक आपत्ति के निपटारे के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ 25.4.2016 पर रिट याचिका वापस ले ली। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने और अधिआदेश की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है।

2016 का सीडब्ल्यूपी No.19413

(28) वर्ष 2009-10 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 29.9.2011 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 24.6.2015 पर जारी किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा 7.7.2015 पर आपत्तियाँ दायर की गई थीं। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 30.11.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की आपत्तियों को खारिज कर दिया। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने और अधिआदेश की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है।

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18377

(29) वर्ष 2006-07 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विवरणी को स्वीकार करते हुए दिनांकित 30.3.2009 के आदेश के माध्यम से तैयार किया गया था। मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए अधिआदेश की खंड 34 के तहत नोटिस 28.12.2015 पर जारी किया गया था। 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6795 दाखिल करके इसे चुनौती दी गई थी। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 12.4.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम

से याचिकाकर्ता की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक आपत्ति के निपटारे के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ 25.4.2016 पर रिट याचिका वापस ले ली। रिट याचिका में, उपरोक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के बिना होने और अधिआदेश की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं के स्वयं पर तर्क। पुनरीक्षण के लिए विस्तारित अवधि का आह्वान

(30) याचिकाकर्ताओं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने कहा कि मेसर्स धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड

राज्य

339

हरियाणा और ओ. आर. एस. (एस. एस. सारोन, जे.)

सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करके मूल्यांकन के आदेश के संशोधन के लिए कार्यवाही। अधिआदेश की खंड 34, जिसके तहत याचिकाकर्ता को संशोधन के लिए नोटिस जारी किया गया है, में प्रावधान है कि किसी निर्धारित को ऐसे आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जाएगा। तीन अपवाद बनाए गए हैं, अर्थात्, जहां कानून में पूर्वव्यापी परिवर्तन के परिणामस्वरूप या इसी तरह के मामले में न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आधार पर आदेश को संशोधित आदेश की मांग की जाती है। अपवाद खंड और आदेश के संशोधन के लिए सीमा की विस्तारित अवधि को लागू आदेश के लिए, कारण बताएँ नोटिस में ही आधार बनाया जाना चाहिए। कुछ मामलों में, हालांकि अधिनियम की खंड 34 (1) के दूसरे प्रावधान का उल्लेख नोटिस में किया गया है, लेकिन बिना किसी तथ्यात्मक आधार के यह दिखाया गया है कि सीमा की विस्तारित अवधि को कैसे लागू किया जा रहा है।

(31) इसमें मौलिक तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, अर्थात् सीमा की विस्तारित अवधि के आह्वान के लिए आधार। कारण निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि नोटिस प्राप्तकर्ता उसी का जवाब दे सके। यदि नोटिस में किसी भी तथ्य का उल्लेख किया गया है, तो भी निष्कर्ष का कोई सवाल नहीं है क्योंकि शब्दों को विशिष्ट होना चाहिए कि सीमा की विस्तारित अवधि के लिए किन आधारों को लागू किया गया है। हाथ में मामले में, सीमा की विस्तारित अवधि के आह्वान के लिए कोई भी आधार उपलब्ध नहीं था। कानून में कोई

पूर्वव्यापी परिवर्तन नहीं हुआ था; न्यायाधिकरण का कोई निर्णय नहीं था और इस अदालत या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का कोई नया बयान नहीं था, क्योंकि मूल्यांकन आदेश पारित होने से पहले ही कानूनी स्थिति मौजूद थी।

(32) यदि के में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

रहेजा विकास निगम बनाम कर्नाटक राज्य, 1

आकलन के प्रारूपण से बहुत पहले, जो उस समय घोषित कानून था, मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन के प्रारूपण के समय पर विचार नहीं किया गया था, विभाग द्वारा परिपत्र जारी किए जाने के बावजूद, पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग संभवतः मूल्यांकन आदेश की सेवा की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर किया जा सकता था और उससे आगे नहीं। यहाँ तक कि राय में परिवर्तन भी पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए कोई आधार नहीं है। कुछ नोटिसों में, के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया गया है, जो मूल्यांकन तैयार करने से बहुत पहले दिया गया था, फिर भी विस्तारित अवधि की मांग की गई है।

1 (2005) 5 एस. सी. सी. 162 340

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

आह्वान करने के लिए। (33) याचिका के समर्थन में, इस पर निर्भरता रखी गई थी

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम एच. एम. एम. लिमिटेड 2; कौर और सिंह बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, नई दिल्ली 3; अबान लॉयड चिलीज ऑफशोर लिमिटेड बनाम कम्प्र।क. स., महाराष्ट्र 4; यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायपुर 5.

(34) यह भी तर्क दिया गया कि बिल्डरों के संदर्भ में कार्य अनुबंधों की करयोग्यता की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी

के. रहेजा विकास निगम के मामले में अदालत (ऊपर) और यह

आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा दिनांकित 7.5.2013 परिपत्र में इस प्रकार स्वीकार किया गया था और ध्यान दिया गया था, जहां उनके द्वारा उपयोग किए गए विशिष्ट शब्द थे कि वही अभी भी एक अच्छा कानून है। केवल इसलिए कि बाद में किसी भी निर्णय में, कानूनी स्थिति को दोहराया जाता है, प्राधिकारी को उस तारीख से सीमा की विस्तारित

अवधि का आह्वान करने के लिए वाद हेतुक नहीं देगा क्योंकि घोषित कानून को इस मुद्दे पर पहले निर्णय से देखा जाना है, न कि बाद वाले निर्णय से जहां कानून को केवल दोहराया या अनुमोदित किया गया है।

(35) उन्होंने आगे कहा कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य 6 [इसके बाद एल एंड टी प्रथम मामले (उपरोक्त) के रूप में संदर्भित] में, विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में निर्णय लिए गए कानूनी मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा दिनांकित आदेश द्वारा विचार आदेश के लिए संदर्भित किया गया था और अंत में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विकास निगम के मामले (उपर्युक्त) में निर्धारित कानून को मंजूरी दी।

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 7 (इसके बाद संदर्भित) के निर्णय के माध्यम से

एल एंड टी का दूसरा मामला। (36) कानून की घोषणा के मुद्दे पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, पक्षों के बीच संबंध तय करते समय, कानून घोषित करता है, जो न केवल पक्षों के बीच बाध्यकारी है, बल्कि देश का कानून माना जाता है। इसका पूर्ववर्ती मूल्य है। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय पक्षों के बीच पूर्ण न्यायाधीश आदेश के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। 2 1995(76) ईएलटी 497 (एससी)

3 1997 (94) ईएलटी 289 (एससी)

4 2006 (200) ईएलटी 370 (एससी)

5 2013 (288) ईएलटी 161 (एससी)

6 (2008) 17 एससीसी 199

7 (2014) 1 एस. सी. सी. 708 एम/एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड वी. राज्य

341

हरियाणा और ओ. आर. एस. (एस. एस. सारोन, जे.)

सी. गोलक में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए

नाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 8, यह था

प्रस्तुत किया कि कानून की घोषणा तब होती है जब इसे किसी कानूनी मुद्दे पर पहली बार निपटाया जाता है।उसी पर विचार करने वाला कोई भी बाद का निर्णय, या तो पहले वाले को दोहराता है या मंजूरी देता है।इसे कानून की घोषणा नहीं कहा जा सकता है।हाथ में मामले में, कानून की घोषणा तब हुई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में इस मुद्दे पर राय दी, दिनांक 5.5.2005 के फैसले के माध्यम से।

(37) इसके अलावा तर्क यह है कि भले ही पहले के फैसले में तय किए गए कानूनी मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए संदर्भित किया जाता है, लेकिन यह अपने पूर्ववर्ती मूल्य या प्रवर्तन को नहीं खोता है।यह तब तक बाध्यकारी है जब तक कि एक बड़ी पीठ द्वारा एक अलग दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया जाता है।समर्थन में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई थी

माधो बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 9.

(38) विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि कुछ मामलों में, मूल्यांकन के स्तर पर भी, जारी किए गए कारणदर्शक नोटिसों में, मूल्यांकन प्राधिकारी ने के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया था।इसका अर्थ है कि वह इस विषय पर निर्धारित कानून के प्रति सचेत था, लेकिन फिर भी मूल्यांकन के समय, पारित आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया गया था।कुछ मामलों में, यहां तक कि अधिनियम की खंड 34 के तहत कारण बताओ नोटिस में भी, केवल के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया गया था, जिसे 5.5.2005 पर दिया गया था, जबकि कुछ मामलों में, एलएंडटी के दूसरे मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी संदर्भित किया गया है, जिसने केवल के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में पहले के फैसले को मंजूरी दी थी। सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं को दोषी नहीं कहा जा सकता है।वे नियमित रूप से अपना रिटर्न दाखिल करते थे।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में 5.5.2005 पर घोषित कानून पहले से ही उपलब्ध था, जो विभाग की जानकारी के भीतर था, फिर भी मूल्यांकन को उसी की अनदेखी करते हुए तैयार किया गया था, इसलिए, अधिनियम की खंड 34 के प्रावधानों को इन परिस्थितियों में सख्त व्याख्या दी जानी चाहिए।हम अप्रत्यक्ष करों से संबंधित हैं, जहां निर्धारिती को अगले खरीदार पर बोझ डालने का अधिकार है।व्यापारी केवल राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।याचिकाकर्ता ने

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

यह चरण न तो कर एकत्र करने में समर्थ हो सकता है और न ही पर्याप्त अवधि बीत जाने के कारण अगले खरीदार पर बोझ डाल सकता है।

रेग. संशोधन की अवधि बढ़ाने के लिए दिनांक **3.8.2015** का संशोधन

(39) विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि राज्य द्वारा दायर जवाब में, एक याचिका दायर की गई है कि दिनांक 1 के अध्यादेश के अनुसार, मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए प्रदान की गई अवधि को पहले प्रदान किए गए तीन वर्षों के मुकाबले छह वर्ष के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। दिनांकित 3.8.2015 अध्यादेश को संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे 15.9.2015 पर राज्यपाल की सहमति मिली और इसे 21.9.2015 पर राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यह मुद्दा उठेगा कि क्या उस संशोधन को उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां संशोधन किए जाने से पहले प्रावधान में प्रदान की गई तीन साल की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। क्या मृत दावे में जीवन का इंजेक्शन लगाया जा सकता है? उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिकांश मामलों में, तीन साल की अवधि के बाद निर्धारिती को नोटिस जारी किए गए हैं और संशोधन को बाद में अधिसूचित किया गया था। तर्क यह है कि एक बार जब पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिनियम में निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी, तो कुछ अधिकार निर्धारिती में निहित थे। उसी को दूर नहीं किया जा सकता था। इस अवधि को संभवतः केवल उन मामलों में बढ़ाया जा सकता है जहां तीन साल अभी तक समाप्त नहीं हुए थे। याचिका के समर्थन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था

भारत संघ और अन्य बनाम उत्तम स्टील लिमिटेड 10 और पंजाब राज्य और अन्य बनाम मेसर्स श्रेयांस इंड्स लिमिटेड आदि।¹¹ उन्होंने आगे कहा कि

तर्क दिया कि अधिनियम की खंड 34 में किए गए संशोधन में उपयोग की गई भाषा इस तथ्य का संकेत है कि यह संभावित है और पूर्वव्यापी नहीं है। यहाँ तक कि संशोधन अधिनियम भी इसका सुझाव नहीं देता है।

रेग. पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए अवधि की तर्कसंगतता

(40) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया अगला तर्क उचित अवधि के बारे में था जिसके दौरान प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की खंड 34 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। निवेदन यह है कि अधिनियम की खंड 34 (1) में अधिनियम की खंड 34 (1) में निर्धारित शर्तों के संदर्भ में शक्ति के प्रयोग के लिए संशोधन से पहले तीन साल और संशोधन के बाद छह साल की सामान्य अवधि का प्रावधान है। यह सामान्य परिस्थितियों में होता है। हालाँकि, यदि कुछ निर्दिष्ट शर्तों के तहत बनाए गए अपवाद को लागू किया जाना है, तो उचित अवधि कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अधिनियम के तहत कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाना है। इसे अनंत काल तक जीवित नहीं रखा जा सकता है। यदि में से कोई भी

10 (2015) 319 ई. एल. टी. 598

11 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 218

343

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

अधिनियम की खंड 34 (1) के दूसरे परंतुक में दिए गए अपवाद खंड में वर्णित घटना स्वतः संज्ञान संशोधन के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि के भीतर होती है, उस अवधि के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन परिस्थितियों में, सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जा सकता है। यदि कोई भी घटना पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए सीमा की अवधि की समाप्ति के करीब होती है, तो किसी तथ्य की स्थिति में, अवधि की तर्कसंगतता की जांच की जा सकती है। हालाँकि, यदि सीमा की अवधि समाप्त हो जाती है और अपवाद खंड में उल्लिखित कोई भी स्थिति, जैसे कि पूर्वव्यापी संशोधन, किसी न्यायाधिकरण का आदेश या माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा इसके बाद होती है, तो स्वतः संज्ञान संशोधन के लिए कार्रवाई आदेश के लिए प्राधिकारी को कितना उचित समय दिया जाता है, यह विवादास्पद प्रश्न है। यदि इसके तुरंत बाद कार्रवाई नहीं की जाती है और प्राधिकरण इस मामले पर वर्षों तक एक साथ रहता है, तो उसे उस अवधि के लिए कार्रवाई को उचित ठहराने की आवश्यकता है। मौजूद मामले में, एलएंडटी के दूसरे मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी, जो 26.9.2013 पर दिया गया था, अधिनियम की खंड 34 के तहत नोटिस उसके बाद 1-1/2 वर्षों के बाद जारी किए गए थे, जो पूरी तरह से अनुचित है।

(41) अधिनियम की योजना का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की खंड 15 में मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति के बाद मूल्यांकन तैयार करने के लिए तीन साल की अवधि का प्रावधान है। अधिनियम की खंड 17 में वर्ष की समाप्ति के बाद पांच साल की समाप्ति से पहले या उस वर्ष के लिए मूल्यांकन अंतिम होने की तारीख के बाद दो साल की समाप्ति से पहले, जो भी बाद में हो, पुनर्मूल्यांकन तैयार करने की अवधि प्रदान की गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की खंड 29 (2) (ई) के तहत प्रदान की गई अधिकतम अवधि, जिसके लिए एक निर्धारिती द्वारा लेखा पुस्तकों को रखा जाना है, आठ वर्ष है। इसलिए, उसके बाद किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाएगी। उपरोक्त याचिका के समर्थन में, गुजरात राज्य बनाम पाटिल राघव नाथ और अन्य 12; सुलोचना चंद्रकांत गलांडे बनाम पुणे नगर परिवहन और अन्य 13; नीलधारा वीवाकारखाना बनाम दिर। जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली 14; टीकॉय रबर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम कृषि आयकर आयुक्त 15; और प्रतिभा सिंटेक्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 16 पर निर्भरता रखी गई थी

12 (1969) 2 एससीसी 187 13 (2010) 8 एससीसी 467

14 2007(5) एसटीआर 404 (पी एंड एच) 15 (1996) 219 आईटीआर 615 (केरल)

344

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

विभाग द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में

(42) याचिकाकर्ताओं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने कहा कि आबकारी और कराधान आयुक्त ने सिविल निर्माण अनुबंधों/बिल्डरों और डेवलपर्स की कर योग्यता के विषय पर ज्ञापन संख्या 6152/एसटी-4 दिनांक 7.5.2013 वाला एक परिपत्र जारी किया था। उपरोक्त परिपत्र में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी भी एक अच्छा कानून है, इसलिए एकरूपता के लिए इसका पालन करने की आवश्यकता है। उपरोक्त निर्देशों का पालन ज्ञापन संख्या 1166/एसटी-4 दिनांक 4.6.2013 के माध्यम से जारी किए गए बाद के निर्देशों द्वारा किया गया, जिसमें संशोधन के लिए मामलों को लेने की सीमा के बारे में मुद्दा भी निर्दिष्ट किया गया था। यदि दोनों निर्देशों को एक साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट था कि सामान्य परिस्थितियों में, वर्ष 2006-07 तक के मूल्यांकन आदेशों को अंतिम रूप मिल गया था और वर्ष 2007-08 के लिए मूल्यांकन आदेशों को मार्च, 2014 तक संशोधित किया जा सकता था। जिन मामलों में निर्धारण आदेश वर्ष से पहले के हैं,

उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जो अधिआदेश की खंड 56 (2) के तहत प्रकृति में बाध्यकारी हैं, उस निर्धारण आदेश को संशोधित करने की सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए, जारी किए गए नोटिस या उन वर्षों के लिए मूल्यांकन के संशोधन के लिए पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण, अलग किए जाने के योग्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि विभाग द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र की वैधता को इस अदालत ने 2014 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 5730 सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड, करनाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 22.4.2015 पर निर्णय लिया व बरकरार रखा गया था।।

(43) इस दलील के समर्थन में कि अधिनियम की खंड 56 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए निर्देश विभाग के लिए बाध्यकारी हैं, एक खण्ड पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था

यह अदालत सोनेक्स ऑटो इंडस्ट्रीज पी. लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 17 उपरोक्त मामला अधिनियम के प्रावधानों के तहत था। वास्तव में, आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि विभिन्न मूल्यांकन अधिकारी या अधिनियम के प्रशासन में लगे पुनरीक्षण अधिकारी अलग-अलग विचार ले रहे थे।

अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (i) के अधिकार और मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में

16 2013(287) ई. एल. टी. 290 (गुजरात) 17 (2014) 74 वी. एस. टी. 518

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

(44) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया अगला तर्क अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (i) के अधिकारों को चुनौती देने के संदर्भ में है, जो कि 20.3.2009 तक मौजूद है और 20.3.2009 से 17.5.2010 तक की अवधि के लिए या बिल्डरों के संदर्भ में उपरोक्त प्रावधान के वैकल्पिक गैर-आवेदन में है। वास्तव में, यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य सरकार ने बिल्डरों के मामले में कर योग्य कारोबार की गणना के लिए नियमों को 17.5.2010 पर अधिसूचित किया था, जो सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के समक्ष विचाराधीन थे। उस मामले में, राज्य सरकार को नियमों में की गई टिप्पणियों के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन लाने का निर्देश दिया गया था। पुनर्निर्मित नियमों को 17.5.2010 से पूर्वव्यापी प्रभाव वाले 23.7.2015 पर अधिसूचित किया गया था, इसलिए, मशीनरी प्रावधान की अनुपस्थिति में, बिल्डरों के समग्र अनुबंधों के संदर्भ में बिल्डरों से कर की कोई मांग नहीं की जा सकती है।

(45) अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) की भाषा का उल्लेख करते हुए, जो 'बिक्री मूल्य' को परिभाषित करती है, यह प्रस्तुत किया गया था कि सामान्य परिभाषा यह है कि यह किसी भी माल की बिक्री के लिए एक व्यापारी को देय राशि है। परिभाषा के साथ संलग्न स्पष्टीकरण कार्य अनुबंध के संदर्भ में बिक्री मूल्य को परिभाषित करता है। स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में बिक्री मूल्य का अर्थ होगा कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए उसे प्राप्त कुल बिक्री पर विचार, जिससे श्रम का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि और इस तरह के निष्पादन के लिए किए गए अन्य सेवा शुल्क कम हो जाएंगे। निवेदन यह है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में प्रविष्टि 54 राज्य विधानमंडल को राज्य के भीतर वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार देती है। यदि कराधान के उद्देश्य से कोई अन्य घटक शामिल किया जाता है, तो राज्य विधानमंडल अपनी क्षमता का उल्लंघन करेगा। एक बिल्डर के मामले में, प्राप्त कुल बिक्री प्रतिफल में न केवल श्रम या कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए किए गए कुछ सेवा शुल्क शामिल हैं, बल्कि इसमें भूमि लागत, बाहरी

विकास शुल्क, आंतरिक विकास शुल्क, भूमि उपयोग शुल्क का परिवर्तन और विभिन्न अन्य विभिन्न प्रकार के शुल्क/खर्च शामिल हैं। विक्रेता द्वारा किए गए ये खर्च, जो कार्य अनुबंध की कुल लागत का हिस्सा हैं, किसी भी तरह से कार्य अनुबंध के निष्पादन में माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर वैट के अधीन नहीं हो सकते हैं। राज्य विधानमंडल के पास भूमि हस्तांतरण पर वैट लगाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। किसी भवन में फ्लैट की बिक्री के मामले में, भूमि का आनुपातिक हिस्सा भी हस्तांतरित किया जाता है, जिसका मूल्य कुल लागत में शामिल होता है।

346

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

(46) विकल्प में, स्पष्टीकरण में यह प्रावधान किया गया है कि जहां ऐसे श्रम और अन्य सेवा शुल्क मात्रात्मक नहीं हैं, तो बिक्री मूल्य कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की लागत होगी, जिसमें उस पर लाभ का अंतर और माल में संपत्ति के हस्तांतरण की लागत और उसके संबंध में होने वाले कोई अन्य खर्च शामिल होंगे, जब तक कि संपत्ति संविदाकारी को हस्तांतरित नहीं की जाती है। व्याख्या के दूसरे भाग में माल के कराधान के उद्देश्य से सेवा घटक भी शामिल है। इस विषय पर कानून बनाने के लिए, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 97 को देखते हुए संसद के पास विशेष अधिकार क्षेत्र है। वैकल्पिक केवल वहाँ लागू होता है जहाँ श्रम और अन्य सेवा शुल्क मात्रात्मक नहीं होते हैं। वास्तव में, 'बिक्री मूल्य' की परिभाषा माल के मूल्य की गणना के लिए किसी भी प्रत्यक्ष विधि का प्रावधान नहीं करती है, वह संपत्ति जिसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन में हस्तांतरण किया जाता है, जो सबसे उपयुक्त विधि है। केवल अप्रत्यक्ष विधि प्रदान की गई है जो अपने कम्पास में वह राशि लेती है जिसका कार्य अनुबंध में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से कोई सीधा संबंध नहीं है। जैसा कि एल एंड टी के दूसरे मामले (ऊपर दिए गए) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, यह केवल खरीदार के साथ बेचने के समझौते के बाद हस्तांतरित माल में संपत्ति है, जिसे कराधान के लिए माना जा सकता है, हालांकि, इसके लिए खंड में कुछ भी प्रावधान नहीं है। बिल्डर द्वारा कार्य अनुबंध में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर खर्च की गई किसी भी राशि पर तब तक कर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि संपत्ति का हिस्सा नहीं बेचा जाता है। निर्माण पूरा होने के बाद इकाई बेचे जाने पर कोई कर नहीं लिया जाता है।

(47) 20.3.2009 से लेकर प्रावधान में एकमात्र परिवर्तन यह है कि जहां श्रम और अन्य सेवा शुल्कों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि मात्रात्मक नहीं है, वहां इसकी गणना उस प्रतिशत पर की जा सकती है, जो निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रावधान में अभी भी यह नहीं बताया गया है कि भूमि की लागत और अन्य खर्चों का ध्यान कैसे रखा जाए। किसी भी कराधान अधिनियम में, चार पैरा-मीटर महत्वपूर्ण हैं, अर्थात्, कर योग्य घटना, कर योग्य व्यक्ति, कर की दर और मशीनरी का प्रावधान। भले ही उनमें से कोई एक गायब हो, शुल्क को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। मौजूदा मामले में, चौथा पैरा-मीटर गायब है।

(48) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की खंड 6 कर योग्य कारोबार के निर्धारण का प्रावधान करती है। इसमें प्रावधान है कि इसकी उप-धारा (1) में उपबंधित कटौती के अलावा कोई कटौती अनुमत नहीं होगी। भूमि के मूल्य और बिल्डर द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के कारण किसी भी स्तर पर कोई कटौती प्रदान नहीं की गई है। इसका अर्थ यह है कि बिक्री की परिभाषा और जिस तरीके से कर योग्य कारोबार निर्धारित किया जाना है, उसके संदर्भ में भी भूमि के मूल्य और अन्य सेवा शुल्कों पर भी अधिनियम के तहत कर लगाया जाएगा, जो राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे है।

एम./एस. धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

347

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एक प्रावधान खराब है यदि इसमें कराधान के उद्देश्य के लिए कुछ शामिल है, जिस पर कर नहीं लगाया जा सकता है। यह उस स्थिति में भी बुरा है जब जिसे बाहर रखने की आवश्यकता है उसे बाहर नहीं किया गया है, जैसे कि वर्तमान मामले में भूमि की लागत और अन्य सेवा शुल्क। याचिका के समर्थन में, एल एंड टी के दूसरे मामले (ऊपर); सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड और गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य 18. के मामले (ऊपर) पर भरोसा रखा गया था।

(49) विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि कराधान के उद्देश्य के लिए क्या शामिल किया जाना है और क्या बाहर रखा जाना है, इसका विवरण या तो अधिनियम में या अधिक से अधिक नियमों में प्रदान किया जाना चाहिए, यदि अधिनियम अनुमति देता है। जवाब में केवल बयान या अदालत में राज्य के वकील द्वारा लिया गया रुख उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि प्रशासनिक निर्देश भी शरारत को ठीक नहीं करते हैं। याचिका के समर्थन में,

मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम द स्टेट पर निर्भरता रखी गई थी

बिहार और अन्य 19 [इसके बाद एल एंड टी का तीसरा मामला संदर्भित किया गया है।

(ऊपर)]; झारखंड राज्य और अन्य बनाम वोल्टास लिमिटेड 20 और आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, केरल बनाम मेसर्स

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड 21 (इसके बाद एल एंड टी का चौथा मामला (ऊपर) के रूप में संदर्भित)।

(50) यदि किसी बिल्डर के मामले में कर योग्य कारोबार कैसे निर्धारित किया जाना है, इसके बारे में विस्तृत मशीनरी प्रावधान अधिनियम या नियमों में प्रदान नहीं किए गए हैं, तो यह मूल्यांकन अधिकारियों पर छोड़ दिया जाएगा कि वे अपनी सनक और कल्पना के अनुसार कोई भी सूत्र लागू करें, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। कार्य अनुबंध के निष्पादन में माल में संपत्ति का हस्तांतरण कराधान में एक काल्पनिक कल्पना है। इसकी कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए।

(51) एक अन्य तर्क यह है कि मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में, उगाही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 में प्रावधान है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है। भले ही एक कारक गायब हो, उगाही खराब होगी। कर योग्य कारोबार और उसके परिणामस्वरूप कर की प्रभावी गणना के लिए विस्तृत तंत्र प्रावधानों की आवश्यकता होती है। तंत्र प्रावधान में कर निर्धारण का तरीका और तरीका प्रदान किया जाना चाहिए। समर्थन में, एल एंड टी के चौथे मामले (ऊपर) पर निर्भरता रखी गई थी।

18 (1993) 88 एसटीसी 204 (एससी)

19 (2004) 134 एसटीसी 354 (पटना) 20 (2007) 7 वीएसटी 317 (एससी)

21 (2016) 1 एस. सी. सी. 170

2017(1)

सुरेश कुमार बंसल बनाम भारत संघ और अन्य 22 मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया गया था। उपरोक्त निर्णय में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा किए गए संशोधन के बाद बिल्डरों पर सेवा कर लगाने को रद्द कर दिया था। में माननीय उच्चतम न्यायालय में **राष्ट्रीय** खनिज विकास निगम लिमिटेड बनाम एम. पी. राज्य और **अन्य 23** के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था।

जिसमें शुल्क अलग रखा गया था, भले ही कर लगाने के लिए प्रभार खंड का प्रावधान किया गया था, हालांकि, अनुसूची में, जहां दरें निर्धारित की गई थीं, कर लगाने वाली वस्तु के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था।

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. **25336** में अतिरिक्त तर्क

(52) याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप गोयल ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने कार्य अनुबंध के रूप में पूरे कारोबार पर संयोजन योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुना था। मूल्यांकन वर्ष 2009-10 के लिए मूल्यांकन 29.2.2012 पर तैयार किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विभाग की जानकारी में था। यहां तक कि 7.5.2013 पर आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में, याचिकाकर्ता का मूल्यांकन तैयार किए जाने के बाद, इसे इस तरह संदर्भित किया गया था। इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि डेवलपर/बिल्डर द्वारा निर्मित घरों या फ्लैटों का हिस्सा बनने वाली भूमि की लागत को बाहर रखा जाना चाहिए। 10.2.2014 दिनांकित परिपत्र के माध्यम से, पहले के परिपत्र में खंड को प्रतिस्थापित किया गया था जिसमें कहा गया था कि भूमि का मूल्य भी जोड़ा जाना है। उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन विषय पर विभाग की वेबसाइट पर आज भी उपलब्ध सार्वजनिक सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि भूमि का मूल्य कार्य अनुबंधों में कराधान के उद्देश्य से शामिल नहीं किया जाना है। याचिकाकर्ता को अधिनियम की खंड 34 के तहत सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान नहीं करने पर 13.8.2015 को नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि कोई भी तत्व, जो प्राधिकारी को सीमा की अवधि से परे संशोधन के लिए नोटिस जारी करना करने में सक्षम बनाता है, नोटिस में उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यदि विभाग सीमा की अवधि के भीतर पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, तो उसे अवधि समाप्त होने की

अनुमति देने और उसके बाद अपवाद खंड को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

22 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3657 23 (2004) 6 एस. सी. सी. 281

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

349

(53) अधिनियम की खंड 34 का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी को सीमा की अवधि से परे स्वतः-प्रेरित शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया अपवाद केवल तभी उपलब्ध है जब कोई भी घटना सामान्य अवधि के बाद होती है। भले ही कोई भी घटना उस अवधि की समाप्ति से ठीक पहले हो, कम से कम कार्यवाही शुरू करनी होगी। वहाँ अवधि की तर्कसंगतता के सवाल पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने हरियाणा न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा पारित एक आदेश का हवाला दिया।

(संक्षेप में, 'द ट्रिब्यूनल') मैसर्स अमरनाथ अग्रवाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

बनाम हरियाणा राज्य 24, जहां न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आधार पर सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान आदेश वाली राज्य की कार्रवाई को कानून की दृष्टि से गलत माना गया था। उपरोक्त आदेश का बाद में मेसर्स चीका सॉल्वेंट (पी) लिमिटेड, कैथल बनाम हरियाणा राज्य, [वीएसटी1] में पालन किया गया

2013 सी-391।] उपरोक्त आदेशों को राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है क्योंकि आगे कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

(54) 2013 के वैटएपी संख्या 132-मेसर्स एच. आर. स्टील्स पी. लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में इस अदालत के फैसले का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि किसी निर्धारिती की वापसी अधिआदेश की खंड 15 (1) के तहत स्वीकार की जाती है, तो सीमा की अवधि को विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि से गिना जाना चाहिए, न कि जब प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन का कोई आदेश पारित किया जाता है, क्योंकि कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 26508 में

(55) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर प्रताप सिंह ने प्रस्तुत किया कि भले ही अपवाद खंड को लागू किया जाना है, यह उचित अवधि के दौरान हो सकता है, जो

मूल्यांकन आदेश की तारीख से अधिकतम पांच साल हो सकता है, जिससे यह कुल आठ साल हो जाएगा। यह अधिनियम की खंड 34 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए सीमा की सामान्य अवधि की समाप्ति के बाद दो साल की और अवधि देता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य व अन्य बनाम भटिंडा जिला सहकारी समिति।मिल्क पी. यूनियन लिमिटेड 25 में इस प्रकार की राय व्यक्त की थी, जबकि पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की योजना पर विचार करते हुए।

2016 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18377 में

24 (2012) 42 पीएचटी 109 (एचटीटी)

25 (2007) 19 वीएसटी 180 (एससी)

350

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

(56) श्री अमर प्रताप सिंह, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान मामले ने अतिरिक्त दलीलें दीं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मौजूदा मामले में, कंपनी के खिलाफ मूल्यांकन तैयार किया गया था, जिसका नाम मेसर्स सुख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड था, जो याचिकाकर्ता के साथ 1.4.2013 से अपने विलय पर पहले ही भंग हो चुकी थी। यह 2013 के सीपी नंबर 203 में इस अदालत द्वारा पारित दिनांक 30.9.2014 के आदेश के संदर्भ में था -

यह सुख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और एम-गंगा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विलय का मामला था जोकि 10.11.2014 को ठीक किया गया। वर्तमान मामले में मूल्यांकन वर्ष 2009-10 से संबंधित है। मेसर्स सुख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 19.2.2016 पर अधिनियम की खंड 16 के तहत मूल्यांकन के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था, जो पहले से ही भंग हो चुका था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दिनांक 29.2.2016 के जवाब में, पूर्वाग्रह के बिना, अन्य याचिकाओं को उठाने के अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी, अर्थात् मेसर्स सुख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके नाम पर नोटिस जारी किया गया था, पहले से ही भंग हो चुकी है, इसलिए, उसके नाम पर मूल्यांकन तैयार नहीं किया जा सकता है। स्थानांतरिती कंपनी का विवरण प्रस्तुत किया गया था। जवाब में उठाया गया एक अन्य मुद्दा नोटिस के समय-

बाधित होने के बारे में था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब के बावजूद, मेसर्स सुख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 8.3.2016 पर मूल्यांकन तैयार किया गया था, जो पहले से ही 1.4.2013 पर भंग हो चुका था। याचिकाकर्ता को 27.6.2016 पर आदेश दिया गया था।

(57) इस तर्क के समर्थन में कि एक गैर-मौजूद कंपनी के खिलाफ मूल्यांकन का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, सरस्वती औद्योगिक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था।

सिंडिकेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त और स्पाइस एंटरटेनमेंट लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम सेवा आयुक्त मामले के फैसले का संदर्भ दिया गया था।

(58) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अधिआदेश की खंड 16 के तहत मूल्यांकन तैयार किया गया था, जो विचाराधीन अवधि समाप्त होने के बाद आदेश पारित करने के लिए बाहरी सीमा के रूप में तीन साल की अवधि प्रदान करता है। मूल्यांकन वर्ष 2009-10 होने के कारण, 31.3.2010 पर बंद होता है, इसलिए, मूल्यांकन केवल 31.3.2013 तक ही तैयार किया जा सकता है। 8.3.2016 पर मूल्यांकन का आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से समय वर्जित था। हालांकि अधिनियम की खंड 16 में मूल्यांकन तैयार करने की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर छह साल करने के लिए किए गए संशोधन का संदर्भ दिया गया है, लेकिन यह याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होगा, क्योंकि यह अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इस तथ्य के बावजूद कि समस्या निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष

26 1990 (सप) एस. सी. सी. 675

27 2012 (280) ईएलटी 43 (डेल)

351

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

विशेष रूप से उठाए गए प्रश्न पर मूल्यांकन के आदेश में विचार नहीं किया गया था। आदेश की सेवा में देरी की व्याख्या नहीं की गई है। यदि 27.6.2016 पर आदेश की सेवा की तारीख से लिया जाता है, तो यह विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के समापन से छह साल से भी अधिक था। वास्तव में, आदेश पूर्व-दिनांकित किया गया है।

(59) यह आगे तर्क दिया गया कि भले ही स्थानांतरिती कंपनी कार्यवाही में शामिल हो जाए, लेकिन इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई रोक नहीं है कि कंपनी के खिलाफ मूल्यांकन

तैयार नहीं किया जा सकता है, जिसे पहले ही भंग कर दिया गया था। नियमों के नियम 28 (2) के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया था, जो मूल्यांकन कार्यवाही में आपत्तियों को दाखिल करने का प्रावधान करता है और नियमों के नियम 28 (3), जो कारण दर्ज करते समय उन आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को कर्तव्य देता है।

राज्य के स्वयं पर तर्क

(60) दूसरी ओर, श्री लोकेश सिंहल, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा ने प्रस्तुत किया कि अधिआदेश की खंड 34 आयुक्त को किसी भी लंबित मामले या तय किए गए मामले के रिकॉर्ड मांगने, कार्यवाही की वैधता या औचित्य की जांच करने या उसके तहत किए गए किसी भी आदेश की पर्याप्त शक्ति देती है, जो उनकी राय में राज्य के हित के लिए प्रतिकूल है। उपरोक्त खंड के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि संशोधित किए जाने के लिए मांगे गए आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से तीन साल के भीतर आदेश को संशोधित किया जा सकता है। तीन अपवाद हैं, जिनके तहत सीमा की अवधि लागू नहीं होती है। जहाँ तक पहले अपवाद का संबंध है, वह संशोधित किए जाने वाले आदेश के पारित होने के बाद की घटना होनी चाहिए, अर्थात् कानून में पूर्वव्यापी परिवर्तन। जहाँ तक अन्य दो अपवादों का संबंध है, अर्थात् न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आधार पर, आदेश/निर्णय या तो आदेश को संशोधित आदेश से पहले या बाद में हो सकता है। खंड की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह निर्दिष्ट करता हो कि न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संशोधित किए जाने के आदेश के बाद होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए खंड को जोड़ा गया है, वह अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारना है या जहां इस विषय पर कानून का उल्लंघन किया गया था, जैसे कि किसी भी निर्णय का पालन नहीं किया गया था। जिस क्षण यह आयुक्त के संज्ञान में आता है, वह कार्यवाही शुरू कर सकता है और तीन साल की सीमा (अब छह साल तक बढ़ाई गई) लागू नहीं होगी। अधिनियम में किसी भी शब्द को जोड़ा या अधिशेष घोषित नहीं किया जा सकता है। 2012 के वी. ए. टी. ए. पी. संख्या 172 के हरियाणा राज्य बनाम मैसर्स हरियाणा राज्य भंडारण निगम और एक अन्य के में इस न्यायालय की खण्ड पीठ का निर्णय 22.08.2013 को लिया गया

ने पूरी तरह से

यह लिया गया निर्णय विभाग के मामले का समर्थन करता है। उस फैसले में यह राय दी गई है कि एक विवाद का निपटारा तब किया जाता है जब वह अंतिम होता है। मौजूदा मामले में, मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया था और यह मुद्दा अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था। यह अंतिम नहीं था। एल एंड टी के दूसरे मामले (उपरोक्त) में निर्णय 26.9.2013 पर दिया गया था।

(61) यह उस समय था जब इस विषय पर कानून घोषित किया गया था। इसके बाद नोटिस जारी करने में कोई देरी नहीं होगी।

(62) के. रहेजा विकास निगम के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले के आलोक में, यह प्रस्तुत किया गया था कि मूल्यांकन प्राधिकारी या आयुक्त के पास या तो उसमें निर्धारित कानून का पालन करने या एल एंड टी के दूसरे मामले (ऊपर) में बड़ी पीठ के फैसले की प्रतीक्षा करने का विकल्प था। यदि विभाग ने के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए निर्धारिती को नोटिस जारी किया था, तो निर्धारिती की तत्काल प्रतिक्रिया यह होगी कि मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया है और शुद्धता संदेह में है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

(63) विभाग द्वारा जारी परिपत्र के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि परिपत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपवाद खंड को लागू नहीं किया जा सकता है। इसने केवल सामान्य अवधि प्रदान की जिसके दौरान संशोधन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था। के निर्णय का उल्लेख करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बोलपुर बनाम रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज 28 के मामले में यह प्रस्तुत किया कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि यह केवल विभाग के लिये कानून की समझ है।

(64) वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि दिनांक 07.05.2013 के परिपत्र में, आयुक्त ने उल्लेख किया कि के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी भी एक अच्छा कानून था, हालाँकि, उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि वे केवल मार्गदर्शक रेखाएँ थीं ताकि मूल्यांकन को उसके संदर्भ में तैयार किया जा सके। पुनरीक्षण के लिए मामला उठाने के लिए कानून अलग है। पुनरीक्षण प्राधिकारी के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर कार्रवाई शुरू कर सकता था। भले ही वह समय की दृष्टि से पहले था, फिर भी मामला अपवाद खंड में आएगा। एल एंड टी के दूसरे मामले

(उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनुपस्थिति में भी, अधिनियम की खंड 34 के तहत नोटिस तीन साल की अवधि से आगे जारी किए जा सकते थे। में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का केवल गैर-उल्लेख कुछ पक्षों को जारी किए गए नोटिसों में एल एंड टी के दूसरे मामले (ऊपर) से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

28 (2008) 13 एस. सी. सी. 1

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

(65) जहां तक नोटिस की सामग्री का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि नोटिस अधिकार क्षेत्र की धारणा के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। अधिआदेश में केवल यह प्रावधान है कि आदेश पारित करने से पहले उचित अवसर दिया जाना चाहिए, जिसका अर्थ केवल नोटिस जारी करना है। यही बात निर्धारिती को भी दी गई थी। नोटिस में दर्ज या उल्लिखित होने का कोई कारण नहीं है, विशेष रूप से अपवाद खंड के आह्वान के संबंध में। आयुक्त द्वारा अधिआदेश की खंड 34 के तहत एक साधारण सूचना जो पक्ष को सूचित करती है कि आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है, पर्याप्त है। नोटिस जारी होने के बाद, पक्ष हमेशा उसका जवाब दे सकता है और उसके लिए उपलब्ध सभी संभावित आधारों को उठाने वाले नोटिस पर आपत्ति कर सकता है। किसी भी मामले में, निर्णय, जिसके आधार पर आदेशों को संशोधित करने की मांग की गई है, का उल्लेख किया गया है, इसलिए, किसी भी नोटिस को केवल इस आधार पर खराब नहीं कहा जा सकता है कि उसमें उल्लिखित सामग्री याचिकाकर्ता को पसंद नहीं है।

(66) 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 25336 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अतिरिक्त तर्क के संदर्भ में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आदेश/निर्णय के किसी भी तथ्य का केवल गैर-उल्लेख, जिसके आधार पर पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र को लागू करने की मांग की जाती है, घातक नहीं है, क्योंकि नोटिस में ऐसा कुछ भी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

(67) राज्य के लिए विद्वान वकील ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य 29; राजस्थान राज्य और दूसरा बनाम जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड और अन्य 30 और व्यापार कर आयुक्त, यू. पी. और दूसरा बनाम कजारिया सिरेमिक लिमिटेड 31, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए,।

प्रस्तुत किया कि कर का भुगतान करना विक्रेता का दायित्व है और यह उसका विकल्प है कि वह या तो खरीदार पर बोझ डाले या नहीं, हालांकि कानून में वह इसका हकदार हो सकता है। केवल यह तथ्य राज्य को देय कर एकत्र करने से नहीं रोकेगा।

(68) अतिरिक्त आयुक्त (कानूनी) और एक अन्य बनाम ज्योति ट्रेडर्स और अन्य 32 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, संशोधन की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर छह साल करने और सभी लंबित मामलों में इसकी प्रयोज्यता को उचित ठहराना,

29 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 452

30 (2004) 7 एस. सी. सी. 673

31 (2005) 11 एस. सी. सी. 149

354

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

यह प्रस्तुत करता है कि संशोधन, वास्तव में, प्रक्रियात्मक होने के कारण और जैसा कि भाषा से पता चलता है, प्रकृति में पूर्वव्यापी है, इसलिए, सभी मामलों में लागू होगा, भले ही संशोधन को अधिसूचित आदेश से पहले पुनरीक्षण आदेश पारित आदेश के लिए तीन साल की सीमा समाप्त हो गई हो। यहां तक कि संशोधन से पता चलता है कि "तीन साल" शब्दों को "छह साल" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। इस दलील के समर्थन में कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के समान संख्या में न्यायाधीशों के दो फैसलों में टकराव है, तो इनमें से किस फैसले का पालन किया जाना है, इसका संदर्भ में इस न्यायालय में पूर्ण पीठ इंडो स्विस टाइम लिमिटेड, डुंडाहेड़ा बनाम उमराव और अन्य 33 के फैसले के लिए दिया गया था।

(69) जहां तक आदेश पारित आदेश के लिए उचित समय का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता की मुख्य निर्भरता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भटिंडा जिला सहकारी समिति मिल्क पी. यूनियन लिमिटेड का मामला (ऊपर) के निर्णय पर है।

जहां पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत कोई सीमा प्रदान नहीं की गई थी। वर्तमान मामले में, तीन साल की सीमा की सामान्य अवधि प्रदान की गई थी, जो अब छह साल के साथ प्रतिस्थापित है। हालांकि, कुछ निर्दिष्ट शर्तों के तहत अपवाद खंड के आह्वान के लिए, कोई सीमा अवधि नहीं है। उन संभावनाओं में, प्रावधान में कोई समय नहीं पढ़ा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि विभाग किसी भी समय नोटिस जारी करना कर

सकता है, क्योंकि किसी भी मूल्यांकनकर्ता को इस तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं होने वाला है। भले ही वह लेखा पुस्तकें प्रस्तुत आदेश में असमर्थ हो, कानून के प्रस्ताव के आधार पर, आदेश को केवल विवरणी या मूल्यांकन के आदेश को देखने के बाद संशोधित किया जा सकता है। अदालत के इस सवाल पर कि कार्यालय में अभिलेखों के संरक्षण के लिए विभाग के क्या निर्देश हैं, वह विशेष रूप से जवाब नहीं दे सके। उन्होंने आगे कहा कि भले ही अपवाद खंड में किसी भी घटना को लागू करने के लिए नोटिस जारी करने में कुछ देरी हो, लेकिन नोटिस में कारण देने की आवश्यकता नहीं है।

(70) निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार आदेश के बाद उन्हें आदेश का हिस्सा बनना होगा। वर्तमान मामले में, देरी को अच्छी तरह से समझाया गया है क्योंकि के. रहेजा विकास निगम के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय एलएंडटी के पहले मामले (ऊपर) में एक बड़ी पीठ के समक्ष पुनर्विचार के लिए लंबित था। चूंकि एल एंड टी के दूसरे मामले (ऊपर) में फैसले के तुरंत बाद निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया था, इसलिए कोई देरी नहीं हुई।

(71) राज्य के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि यहां तक कि

32 (1999) 2 एससीसी 77
33 एयर 1981 पी एंड एच 212

355

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

यद्यपि वर्तमान याचिकाओं में 'बिक्री मूल्य' की परिभाषा प्रदान करने वाले अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (i) को चुनौती दी गई है, लेकिन याचिका से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रावधान के अधिकारों को चुनौती दी गई है, जैसा कि पहले था या उसके बाद था। प्रावधान, जैसा कि 20.3.2009 से पहले मौजूद था, बिक्री मूल्य की गणना के लिए दो तरीकों के लिए प्रदान किया गया था, पहला कटौती विधि और दूसरा योगात्मक विधि। दूसरा लागू था जहां श्रम और सेवा के संबंध में मात्रात्मक डेटा उपलब्ध नहीं था। सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत के खण्ड पीठ के फैसले का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (i) के प्रावधान, जो 20.3.2009 के बाद मौजूद थे, अधिनियम की खंड 9 और 42 और नियमों के नियम 25 (2) और 49 को भी चुनौती दी गई थी और मूल्यांकन आदेशों और पुनरीक्षण आदेशों को रद्द करने के लिए भी अनुरोध किया गया था। इस न्यायालय ने, उपरोक्त मामलों का निर्णय करते समय, अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी)

के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कहा कि यह एक आरोप लगाने वाली खंड नहीं थी, बल्कि केवल परिभाषा के लिए प्रावधान किया गया था।

(72) अधिनियम की खंड 2 (1) (जेड. जी.) के स्पष्टीकरण (i) का विश्लेषण करते हुए, जैसा कि 20.3.2009 से पहले मौजूद था, यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे नियमित लेखा पुस्तिकाएं बना रहे हैं, इसलिए, माल में संपत्ति का मूल्य, जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में हस्तांतरित किया जाता है, उसकी गणना कटौती विधि लागू करके बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है। अधिनियम के प्रावधानों में वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की परिकल्पना की गई है। "माल" शब्द को परिभाषित किया गया है और इसलिए "सकल कारोबार"। इसमें माल की बिक्री मूल्य के बारे में भी बताया गया है। श्रम और सेवा शुल्क के कारण होने वाले खर्चों में कटौती करने के बाद, सकल कारोबार की गणना की जा सकती है और उसके बाद अधिनियम की खंड 6 के अनुसार कर योग्य कारोबार की गणना की जा सकती है। यह आरोप लगाना गलत है कि कार्य अनुबंध में शामिल भूमि की लागत, यदि कोई हो, पर कर लगाने की मांग की जाती है। अधिनियम की खंड 2 (जेडजी) 'कार्य अनुबंध' को परिभाषित करती है। इस प्रावधान में केवल वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का प्रावधान है। अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. 20.3.2009 की खंड 2 (1) (जेड. जी.) में संशोधन किए जाने से पहले, वास्तव में, किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी। यह आवश्यकता संशोधन किए जाने के बाद ही उत्पन्न हुई, जिसने सरकार को मात्रात्मक आंकड़ों की अनुपस्थिति में बिक्री मूल्य की गणना के लिए कुछ सूत्र प्रदान करने में सक्षम बनाया। 20.3.2009 से पहले की अवधि के लिए, इस स्तर पर, इसकी वैधता में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के पास अपनी लेखा बहियां हैं, जो व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में रखी गई थीं और उस कर योग्य कारोबार से निर्धारित किया जा सकता है और मामला दूसरी श्रेणी में नहीं आएगा, जो केवल तभी लागू होगा जब श्रम और सेवा शुल्क का मात्रात्मक डेटा उपलब्ध न हो। के संदर्भ में जो भी कटौती प्रदान की जानी है

356

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

माननीय उच्चतम न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का ध्यान अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा रखा जाएगा।

(73) माननीय सर्वोच्च के अदालत में गैरन डंकरली एंड कंपनी के मामले में (ऊपर) निर्णय का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उन कटौती के प्रकार के बारे में परिभाषित किया है, जो माल, संपत्ति के मूल्य का आकलन करने के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें एक कार्य अनुबंध में पारित किया जाता है। उस अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं के मूल्यांकन को इस विषय पर कानून के बयान को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी मामले का उल्लेख करने में समर्थ नहीं हैं जहां निर्धारण प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी ने कर लगाने के उद्देश्य से भूमि के मूल्य को ध्यान में रखा हो। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णय अलग-अलग हैं। यहां तक कि 20.3.2009 से 16.5.2010 तक की अवधि के लिए, जब नियमों में नियम 25 (2) जोड़ा गया था, यदि लेखा पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं, तो कर योग्य कारोबार की गणना में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस खंड में सभी आवश्यक सामग्री का प्रावधान है।

(74) राज्य के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि कंपनी के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, जो किसी अन्य कंपनी में विलय के बाद भंग हो गई थी, आदेश को दरकिनार किया जा सकता है, हालांकि, विभाग को नया आदेश पारित आदेश की स्वतंत्रता दी जाए।

याचिकाकर्ता के स्वयं के बारे में जवाब

(75) जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भटिंडा जिला सहकारी समिति मिलक पी. यूनियन लिमिटेड का मामला (ऊपर), में प्रस्तुत किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि भले ही अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए किसी भी अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन उसे उसमें पढ़ा जाना चाहिए। जहाँ भी कोई सीमा प्रदान नहीं की जाती है, वहाँ उचित अवधि की अवधारणा आगे बढ़ती है। चूंकि राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता का रुख यह है कि अपवाद खंड को लागू करने के लिए कोई सीमा नहीं है, इसलिए उसमें उचित अवधि पढ़ी जानी चाहिए। वाद हेतुक सामने आने के बाद विभाग को अपनी मर्जी से अपवाद खंड लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह विभाग का स्वीकृत मामला है कि के. रहेजा विकास निगम के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक अच्छा कानून था। यह विभाग के पक्ष में था। एल एंड टी के पहले मामले (ऊपर) में संदर्भ के निर्णय की प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं था। वास्तव में, यदि आवश्यक होता, तो के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) के आधार पर संशोधन के लिए कार्रवाई शुरू करना और अधिआदेश के तहत अनुमत अवधि के भीतर आदेश पारित करना उचित मार्ग होता। अधिक से अधिक यदि विभाग ने ऐसा महसूस किया होता, तो यह वसूली को स्थगित रख सकता था;

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

निर्धारिती के लिए उचित है। यह विवाद में नहीं है कि विभाग के रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर अधिनियम की खंड 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। एल एंड टी के दूसरे मामले (उपरोक्त) में दो संभावनाएं संभव थीं, जहां मामले को फिर से विचार के लिए भेजा गया था-एक एक ही दृष्टिकोण की पुनरावृत्ति है और दूसरा एक अलग दृष्टिकोण ले रहा है। इन परिस्थितियों में मामले को लंबित रखने से विभाग को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। राज्य द्वारा या तो नोटिस में या पारित आदेश में कोई दुर्गम कठिनाइयों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वाद हेतुक सामने आने के बाद नोटिस इतनी देर से क्यों जारी किया गया है।

(76) अपवाद खंड में, तीन संभावनाओं का उल्लेख किया गया है, अर्थात्, कानून का पूर्वव्यापी संशोधन, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश या उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून। प्रावधान की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। एक बार जब राज्य द्वारा यह स्वीकार कर लिया जाता है कि कानून में संशोधन निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित आदेश के बाद होना चाहिए, तो अन्य दो संभावनाएं भी बाद में समय पर होनी चाहिए यदि अपवाद खंड को लागू किया जाना है। हालाँकि, यदि किसी त्रुटि के कारण मूल्यांकन प्राधिकारी मौजूदा कानून पर ध्यान देने में विफल रहा है और सीमा की अवधि अभी भी उपलब्ध है, तो आदेश को केवल उस अवधि के दौरान संशोधित किया जा सकता है।

(77) विभाग द्वारा जारी परिपत्रों की बाध्यकारी प्रकृति के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह केवल तभी होता है जब किसी अदालत का निर्णय परिपत्र में कही गई बातों से अलग दृष्टिकोण रखता है, कि परिपत्र बाध्यकारी नहीं है, अन्यथा विभाग को यह याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसके द्वारा जारी परिपत्र उस पर बाध्यकारी नहीं है, विशेष रूप से जब विभाग को अधिनियम के तहत परिपत्र जारी करने का अधिकार है। मौजूदा मामले में, परिपत्र में व्यक्त विचार के विपरीत कोई निर्णय नहीं है, बल्कि न्यायालय के आदेश उसके अनुरूप हैं। सोनेक्स ऑटो इंडस्ट्रीज पी. लिमिटेड के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया गया था।

(78) उन्होंने आगे कहा कि एलएंडटी के दूसरे मामले (उपरोक्त) में फैसले के बाद भी विभाग द्वारा जारी परिपत्र में संशोधन किया जा सकता था, लेकिन 10.2.2014 पर परिपत्र में कुछ संशोधन किए जाने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। नोटिस की सामग्री के बारे में, यह प्रस्तुत किया गया था कि जब तक कोई निर्धारिती यह नहीं जानता कि उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों शुरू समर्थ की मांग की गई है, विशेष रूप से सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए, वह उस पर विशिष्ट जवाब दाखिल नहीं कर पाएगा। याचिका के समर्थन में, अबान लॉयड चिलीज ऑफशोर लिमिटेड का मामला (ऊपर) और का आयुक्त आय-कर बनाम कॉन्टिमीटर इलेक्ट्रिकल्स पी. लिमिटेड 34. पर निर्भरता रखी गई थी।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

(79) ज्योति ट्रेडर्स का निर्णय और दूसरे का मामला (ऊपर) में राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत पुनरीक्षण आदेश पारित आदेश के लिए सीमा की अवधि को तीन साल से छह साल में बदलने के संबंध में याचिका के समर्थन में, यह कहते हुए अलग किया गया कि उस मामले के तथ्यों में, संशोधन की भाषा को देखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि इरादा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून में संशोधन करना था, अन्यथा संशोधन को सही अर्थ नहीं दिया जा सकता था। मौजूदा मामले में, न तो संशोधन की भाषा से और न ही अधिनियम से, यह राय दी जा सकती है कि इरादा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधिनियम में संशोधन करना था। सीमा की अवधि समाप्त होने पर किसी निर्धारिती में निहित अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है।

(80) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि केवल विवरणी या मूल्यांकन के आदेश के आधार पर अधिआदेश के तहत आदेश पारित करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उस उद्देश्य के लिए, कर की राशि की गणना के लिए तथ्यात्मक पहलुओं को निर्धारित करने के लिए हमेशा लेखा पुस्तकों में जाना होगा, इसलिए विभाग को किसी भी समय नोटिस जारी करना करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है।

(81) याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप गोयल ने कहा कि अधिनियम की खंड 56 (2) के संदर्भ में, विभाग द्वारा जारी परिपत्र अधिनियम के तहत प्राधिकरणों पर बाध्यकारी हैं, सिवाय अपीलीय प्राधिकरण के। पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उचित अवधि 5.5.2005 से शुरू होगी जब के. रहेजा विकास निगम के मामले (ऊपर) में निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था।

(82) मैसर्स हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत का फैसला तथ्यों के आधार पर अलग है क्योंकि उस मामले में, इस अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर सीमा की विस्तारित अवधि के आह्वान की अनुमति दी थी। उस मामले में, मूल्यांकन 15.3.2007 पर तैयार किया गया था। प्रतिलिपि निर्धारिती को 25.7.2007 पर प्रदान की गई थी। भारतीय खाद्य निगम बनाम पंजाब राज्य 35 में 19.3.2009 को मूल्यांकन आदेश पारित होने के बाद इस अदालत के फैसले को

देखते हुए पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का उपयोग आदेश की मांग की गई थी। निर्धारिती द्वारा यह तर्क दिया गया था कि विभाग का हमेशा यह विचार रहा है कि आकस्मिक शुल्क भुगतान का हिस्सा हैं, इसलिए, सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जा सकता है। इस दलील को खारिज कर दिया गया जबकि

34 (2009) 317 आई. टी. आर. 249

35 (2009) 33 पी. एच. टी. 632 (पी एंड एच)

359

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

यह मत व्यक्त करते हुए कि अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, यह कानून को निर्धारित करने वाला न्यायालय का निर्णय है, जो प्रासंगिक है, न कि विभाग के दृष्टिकोण से।

(83) पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और पेपर बुक का अध्ययन किया।

चर्चाएँ

(84) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि निम्नलिखित कानूनी मुद्दों के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता है:

(1) क्या के. रहेजा विकास निगम बनाम कर्नाटक राज्य, 2005 (141) एस. टी. सी. 298 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, भले ही इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए भेजा गया हो?

(2) क्या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए सीमा की विस्तारित अवधि उन मामलों में भी लागू होगी जहां संशोधन से पहले अधिनियम में दी गई अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी?

(3) क्या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए जारी किया गया कारण दर्शाएँ नोटिस खराब है क्योंकि इसमें अपवाद खंड और सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए बुनियादी तथ्यों की कमी है?

(4) क्या अधिनियम में निर्धारित सीमा की सामान्य अवधि से परे पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को सक्षम करने वाले अपवाद खंड को उन मामलों में भी लागू किया जा सकता है जहां घटना अधिनियम में निर्धारित सामान्य अवधि के दौरान हुई थी?

(5) क्या विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र विभाग और निर्धारिती के लिए बाध्यकारी हैं?

(6) क्या अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) का स्पष्टीकरण (i)

क्या अधिकारातीत है?

(7) क्या मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में बिल्डरों पर कर लगाने को बनाए रखा जा सकता है? अवधि 16.5.2010 तक और उसके बाद, जब नियम बनाए गए थे।

(8) क्या के नाम पर मूल्यांकन तैयार किया जा सकता है

360

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

ऐसी कंपनी जिसका किसी अन्य कंपनी में विलय हो गया था और जिसने कानून के संचालन से अपनी इकाई खो दी थी?

इश्यू नं। (1)

क्या के. रहेजा विकास निगम बनाम कर्नाटक राज्य, 2005 (141) एस. टी. सी. 298 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, भले ही इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए भेजा गया हो?

(85) अधिनियम की खंड 34 के प्रासंगिक प्रावधान, जो संशोधन से पहले मौजूद थे, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

34. (1) आयुक्त, अपने प्रस्ताव पर, किसी भी कार्यवाही या उसमें किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट आदेश के उद्देश्यों के लिए किसी भी कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी भी मामले का रिकॉर्ड बुला सकता है जो राज्य के हितों के लिए प्रतिकूल है और संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का

उचित अवसर देने के बाद, उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे:

बशर्ते कि किसी कर प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश को किसी ऐसे मुद्दे पर संशोधित नहीं किया जाएगा जो अपील पर या ऐसे आदेश से किसी अन्य कार्यवाही में किसी अपीलीय प्राधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित है या उसके द्वारा निपटाया गया है:

बशर्ते कि निर्धारिती को ऐसे आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां कानून में पूर्वव्यापी परिवर्तन के परिणामस्वरूप या इसी तरह के मामले में न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आधार पर आदेश को संशोधित किया जाता है।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आबकारी और कराधान आयुक्त के पद से नीचे के किसी भी अधिकारी को, अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए ऐसे अपवादों, शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) के तहत आयुक्त की शक्ति का प्रयोग आदेश की शक्ति प्रदान कर सकती है और जहां एक अधिकारी जिसे ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं, वह को एक आदेश पारित कर सकता है।

361

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

इस खंड के तहत, ऐसा आदेश उप-खंड (1) के तहत आयुक्त द्वारा पारित किया गया माना जाएगा।

(86) अधिआदेश की खंड 34 आबकारी और कराधान आयुक्त को, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, किसी भी कर प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के अलावा किसी अन्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी भी मामले के रिकॉर्ड को बुलाने में सक्षम बनाती है, ताकि वह कार्यवाही या किए गए आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके, जो आबकारी और कराधान आयुक्त की राय में राज्य के हित के लिए प्रतिकूल है। अधिआदेश की खंड 34 के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि निर्धारिती को ऐसे आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जाएगा। हालांकि, परंतुक में सीमा की उपरोक्त

अवधि के लिए अपवाद दिए गए हैं, जहां एक आदेश को तीन साल की अवधि से परे भी संशोधित किया जा सकता है, यदि:

- (i) कानून में पूर्वव्यापी परिवर्तन हुआ है।
- (ii) इसी तरह के मामले में न्यायाधिकरण का कोई निर्णय; और
- (iii) उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून के आधार पर।

(87) मौजूदा मामले में, यह विवाद में नहीं है कि न तो कानून में कोई पूर्वव्यापी परिवर्तन हुआ है और न ही न्यायाधिकरण का कोई निर्णय, जिसके आधार पर पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया है, वह भी सीमा की सामान्य अवधि से परे अपवाद खंड को लागू करके।

(88) पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए अपवाद खंड का याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दो भागों में विश्लेषण किया गया था, पहला "उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून" के आधार पर और दूसरा " सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून" पर।

(89) किसी भी चीज का आधार वह है जिस पर वह खड़ी होती है। इसका अर्थ यह है कि जिस आधार पर सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करके मूल्यांकन आदेश के संशोधन के लिए जारी किए गए नोटिस को उचित ठहराया जाना चाहिए, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है।

(90) भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यहाँ, हमें जाँच करने की आवश्यकता है, कानून क्या घोषित किया गया है?

कानून क्या घोषित करता है?

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

(91) भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून" वाक्यांश का उपयोग किया गया है। इसे कानूनों या संविधान की व्याख्या करते समय बनाए गए कानून के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा माना गया था।

(92) इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सी. गोलक नाथ के मामले (उपरोक्त) में विचार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि घोषणा करना राय की घोषणा करना है। व्याख्या, निर्धारण और विकास प्रक्रिया के हिस्से हैं, जबकि व्याख्या, निर्धारण या विकसित को कानून घोषित किया जाता है। इनसे संबंधित पंक्तियाँ नीचे निकाली गई हैं:

“51..... अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायाधीशालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा और अनुच्छेद 142 इसे अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसी डिक्री पारित आदेश या ऐसा आदेश देने में सक्षम बनाता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्यायाधीश आदेश के लिए आवश्यक हो। इन अनुच्छेदों को व्यापक रूप से बनाया गया है ताकि सर्वोच्च न्यायालयों कानून घोषित कर सकें और ऐसे निर्देश दे सकें या ऐसे आदेश पारित कर सकें जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हैं। "घोषित" अभिव्यक्ति "पाए गए या बनाए गए" शब्दों की तुलना में व्यापक है। घोषणा करना राय की घोषणा करना है। वास्तव में, बाद में प्रक्रिया शामिल होती है, जबकि पहले वाला परिणाम व्यक्त करता है। व्याख्या, निर्धारण और विकास प्रक्रिया के हिस्से हैं, जबकि व्याख्या, निर्धारण या विकसित को कानून घोषित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश का कानून है। यदि ऐसा है, तो हम कोई स्वीकार्य कारण नहीं देखते हैं कि क्यों यह पहले घोषित कानून के अधिक्रमण में कानून घोषित करने में, भविष्य के लिए घोषित कानून के संचालन को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है और लेनदेन को बचा सकता है, चाहे वह वैधानिक हो या अन्यथा जो पहले के कानून के आधार पर प्रभावित हुए थे।

[(93) इस मुद्दे पर बाद में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य 36 में विचार किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का अर्थ कानूनों या संविधान की व्याख्या करते हुए बनाया गया कानून है।

(94) मौजूदा, मामले में, यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून थाके. रहेजा विकास निगम के मामले (ऊपर) में

36 (2012) 10 एस. सी. सी. 603

363

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

5.5.2005 के निर्णय के माध्यम से वर्तमान याचिका में शामिल प्रकार के लेनदेन पर कराधान के संबंध में। एल एंड टी के पहले मामले (ऊपर) में पारित आदेश दिनांकित 19.08.2008 के अनुसार ही इस मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए भेजा गया था, जिसे अंततः एल एंड टी के दूसरे मामले (ऊपर) में के. रहेजा विकास निगम के मामले (ऊपर) में घोषित कानून को मंजूरी देते हुए निर्णय दिया गया था।

निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति भले ही मुद्दा बड़ी पीठ को भेजा गया हो

(95) एक सहायक मुद्दा, जो वर्तमान मामले के तथ्यों में विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून अभी भी एक अच्छा कानून और एक बाध्यकारी मिसाल है, भले ही इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए संदर्भित किया गया हो। इस प्रश्न पर राजस्थान राज्य बनाम मेसर्स आर. एस. शर्मा एंड कंपनी 37 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। इसमें यह राय दी गई थी कि किसी विवाद के अंतिम निर्धारण को केवल इस आधार पर लंबित नहीं रखा जा सकता है कि यह मुद्दा एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि चूंकि यह मुद्दा संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए मामले का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, कानून को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मौजूद है, मामले का अंत में निर्णय लिया गया। इसके प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:

“7. हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि यह प्रश्न कि क्या कारणों की अनुपस्थिति में के आधार पर, निर्णय स्वयं खराब है, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 1985 की सीए संख्या 3137-39, 1985 की 3145-जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम फर्म छोकामल ठेकेदार में विचाराधीन है। इसलिए, आग्रह किया गया कि इस मुद्दे पर संविधान पीठ द्वारा निर्णय की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। हम इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में इस प्रश्न विचाराधीनता होने से इस न्यायालय के सभी निर्णयों को स्थगित

नहीं किया जाना चाहिए। न्यायाधीश प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक कानून, न्यायाधीश और समानता के अनुसार विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है।

8. आज जो कानून है वह स्पष्ट है कि जब तक पुरस्कार के सामने कानून की कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं होती है, तब तक पुरस्कार को केवल कारणों की अनुपस्थिति में के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा तय किया गया कानून है।

37 (1988) 4 एससीसी 353

364

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

न्यायाधीश और न्यायाधीश प्रशासन के हितों की पूर्ति इस याचिका पर इस मामले में विवाद के अंतिम निर्णय को दरकिनार करके नहीं की जाएगी कि क्या एक अनुचित पुरस्कार खराब है या नहीं, यह सवाल एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए लंबित है। मध्यस्थों के समक्ष बड़ी संख्या में बैठकें हुई हैं। दलों को सुना गया है। कार्यवाही में कोई गलत आचरण नहीं हुआ। प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा इस प्रश्न का निर्णय लंबित रहने तक निर्णय को स्थगित करना अनुचित होगा। हम नहीं जानते कि उस प्रश्न पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा, और क्या अंततः यह न्यायालय यह निर्णय लेगा कि अनुचित पुरस्कार स्वयं खराब हैं या क्या निर्णय का संभावित अनुप्रयोग केवल इस पहलू पर कानून की लंबे समय से स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए होगा या नहीं। किसी विशेष मामले में पक्षों के बीच न्याय निलंबित एनिमेशन में नहीं होना चाहिए "[जोर दिया गया] उड़ीसा राज्य बनाम दंडासी साहू, (1988) 4 एस. सी. सी. 12 में भी ऐसा ही विचार था।

(96) इस मुद्दे पर बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा माधाओ के मामले (ऊपर) में विचार किया गया था। इसमें शामिल विषय-वस्तु पर, महाराष्ट्र राज्य बनाम संत जोगिंदर सिंह 38 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी मुद्दे का निर्णय लिया गया था, हालांकि, उपरोक्त मामले में दो माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए फैसले पर संदेह करते हुए, गिरनार व्यापारी बनाम महाराष्ट्र राज्य 39 (जिसे इसके बाद "गिरनार-1 मामला" के रूप में संदर्भित किया गया है), मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। तीन न्यायाधीशों पीठ

गिरनार ट्रेडर्स बनाम महाराष्ट्र राज्य 40 (इसके बाद संदर्भित)

"गिरनार-द्वितीय मामला" के रूप में) में मामले को अभी भी एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई के लिए भेजा है। बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार द्वारा यह तर्क उठाए जाने की मांग की गई थी कि "गिरनार-1 और गिरनार-2 मामलों" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखते हुए, संत जोगिंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून अब लागू नहीं है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

38 (1995 पूरक (2) एस. सी. सी. 475)

39 (2004) 8 एससीसी 505

40 (2007) 7 एस. सी. सी. 555

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

"गिरनार-द्वितीय मामले में" (ऊपर)।माननीय के निर्णय का उल्लेख करते हुए

आर. एस. शर्मा एंड कंपनी के मामले (ऊपर) और अन्य में उच्चतम न्यायालय

इस मुद्दे पर निर्णय में यह राय दी गई थी कि एक बड़ी पीठ के संदर्भ के निर्णय के लंबित रहने तक, पक्षों के बीच किसी भी समझौते को निलंबित नहीं रखा जा सकता है।किसी बड़ी पीठ का कोई भी संदर्भ शीर्ष न्यायालय द्वारा पहले से ही निर्धारित कानून को तब तक बाध्यकारी नहीं बनाता है जब तक कि इस मुद्दे पर एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है।इसके प्रासंगिक पैराग्राफ को नीचे निकाला गया है:

“56. सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की पीठों की उपरोक्त निर्दिष्ट टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच न्यायाधीश को बड़ी पीठ के समक्ष निर्णय के लिए संदर्भ विचाराधीनता होने को देखते हुए निलंबित एनिमेशन में नहीं रखा जाना चाहिए। इसी तरह, वृहद पीठ को भेजे गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही निर्धारित कानून उच्च न्यायालय के लिए तब तक बाध्यकारी नहीं हो जाता जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा आधिकारिक निर्णय नहीं दिया जाता।तत्काल मामले में, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही 2005 से बहुत पहले शुरू की गई थी और पुरस्कार विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा 20.6.2008 पर पारित किया गया था।प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कोई चुनौती नहीं है और न ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 11-ए के प्रावधानों के लागू होने के आधार के अलावा पुरस्कार की वैधता पर सवाल उठाया गया है। संत जोगिंदर सिंह के मामले में शीर्ष अदालत ने पहले ही इस विषय पर कानून घोषित कर दिया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 11-ए एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। गिरनार-1 के मामले में बाद के निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कारण बताते हुए संत जोगिंदर सिंह के मामले में निर्णय को फिर से विचार के लिए तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया, जिसने बदले में, इस विषय पर कानून घोषित किए बिना उक्त मुद्दे को फिर से पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने संत जोगिंदर सिंह के मामले में निर्णय को तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया।

संत जोगिंदर सिंह के मामले में शीर्ष अदालत की सुनवाई जारी है।

और इसलिए, ऊपर बताए गए कारणों से, हमारे लिए इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्क को प्रतिग्रहण करना मुश्किल है।”

(97) उपरोक्त निर्णय में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ चार मुद्दे तैयार किए थे, जिनमें से दो यहां प्रासंगिक हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

366

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

“(II) क्या गिरनार-I और गिरनार-II मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संत जोगिंदर सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून की बाध्यकारी प्रकृति को प्रभावित करते हैं और क्या यह अपनी प्रभावशीलता खो देता है?”

(III) क्या एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम विचाराधीनता 11-ए के लागू होने के संबंध में संत जोगिंदर सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत अपनी बाध्यकारी प्रकृति खो देता है?”

उपरोक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक दिया गया था।

(98) डेनी फर्नांडीज बनाम केरल राज्य 41 के मामले में केरल उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत भूमि का कानून बना हुआ है और नीचे दिए गए सभी न्यायालयों पर तब तक बाध्यकारी है जब तक कि इसे एक बड़ी अदालत द्वारा उलट या संशोधित नहीं किया जाता है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी बनाम पीठासीन अधिकारी केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण अन्य 42 और पैरा संख्या 23 में में किया गया अवलोकन भी इसी लाइन में हैं। इसके प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया है:

“23. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त संविधान पीठ के फैसलों की शुद्धता पर उच्चतम न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किए जाने की संभावना है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों के एक समूह में उत्पन्न होने वाले इसी तरह के प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजा गया है। इसे ऐसा मानते हुए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय फिर भी मेरे लिए बाध्यकारी है क्योंकि देश का कानून घोषित किया गया है, जिसका मैं संविधान के अनुच्छेद 141 के जनादेश को ध्यान में रखते हुए पालन

करने के लिए बाध्य हूँ।केवल यह तथ्य कि मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया है, इसके अधिकार के निर्णय को एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में अस्वीकार नहीं करता है।

[जोर दिया गया] इसी तरह का विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य और दूसरा बनाम सर्व श्रमिक संघ, सांगली और अन्य 43 में लिया गया था

41 2003(1) के. एल. टी 280

42 1994 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 277

367

एम./एस. धोंगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

|

खोज

(99) हमारी उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल थी जिसमें घोषणा की गई थी कि उस समय इस विषय पर सभी अदालतों और अधिकारियों द्वारा कानून का पालन किया जाना चाहिए था और यदि उचित समझा जाता तो अधिकारियों द्वारा इसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती थी।

इश्यू नं। (2)

क्या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए सीमा की विस्तारित अवधि उन मामलों में भी लागू होगी जहां संशोधन से पहले अधिनियम में दी गई अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी?

(100) राज्य ने 3.8.2015 पर अध्यादेश जारी किया, जिसमें उस अवधि को बढ़ाकर अधिनियम की खंड 34 में संशोधन करने की मांग की गई, जिसके दौरान स्वतः संशोधन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था। अध्यादेश को संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 15.9.2015 को राज्यपाल की सहमति मिली और 21.9.2015 पर राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अधिआदेश की खंड 34 (1) का दूसरा परंतुक, जो संशोधन से पहले मौजूद था, जैसा कि निर्णय के पैरा संख्या 82 में पहले ही दोहराया जा चुका है, बशर्ते कि निर्धारिती को ऐसे आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख

से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान सामान्य परिस्थितियों में लागू किया जाना था। अधिनियम की खंड 34 की उप-खंड (1) के दूसरे परंतुक में संशोधन के माध्यम से "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "छह वर्ष" शब्द रखे गए। इसका मतलब है कि मूल्यांकन आदेश को संशोधित आदेश के लिए सीमा की सामान्य अवधि अब तीन साल की तुलना में छह साल थी।

(101) यह मुद्दा, जो विचार के लिए उत्पन्न होता है, यह है कि क्या अवधि उन मामलों में भी बढ़ाई गई थी जहां किसी निर्धारिती को आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से तीन साल पहले ही समाप्त हो चुके थे। जवाब नकारात्मक होगा, क्योंकि एक मृत दावे को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। आदेश को संशोधित आदेश का अधिकार समाप्त हो गया था, जिसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सका था। आगे का जीवन केवल उन मामलों में दिया जा सकता है जहां मूल्यांकन आदेश को संशोधित आदेश की सीमा अभी भी मौजूद थी।

(102) इसी तरह के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तम स्टील लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में विचार किया गया था, जहां निर्यात शिपमेंट में छूट का दावा

43 (2013) 16 एससीसी 16 368

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की खंड 11 बी के तहत इस तरह का दावा करने के लिए प्रासंगिक समय पर निर्धारित अवधि छह महीने की थी, जिसे बाद में एक वर्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। निर्धारिती ने छह महीने की अवधि के भीतर दावा करना पसंद नहीं किया। अवधि का विस्तार करने वाला संशोधन बाद में आया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि जहां मौजूदा प्रावधान के तहत दावा संशोधन अधिनियम द्वारा अवधि के विस्तार से पहले ही समय-बाधित था, वह निर्धारिती के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इस मुद्दे पर पहले के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, अर्थात् (i) जे. पी. जानी, आयकर अधिकारी बनाम इंदुप्रसाद देवशंकर भट्ट 44; (ii) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा 45; (iii) टी. कल्लामूर्ति बनाम पांच गोरी थैकल वक्फ 46; और (iv) तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य 47, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित राय दी:

“10. हमने पक्षकारों और विद्वान न्यायालय मित्र श्री बगारिया के लिए विद्वान अधिवक्ता को कुछ समय तक सुना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रक्रियात्मक या विशेषण कानून

होने की सीमा की अवधि आमतौर पर प्रकृति में पूर्वव्यापी होगी। हालाँकि, यह एक परंतुक के साथ जोड़ा गया है जो यह है कि संशोधित प्रावधान के तहत किया गया दावा स्वयं इस अर्थ में एक मृत दावा नहीं होना चाहिए था कि एक बड़ी अवधि की सीमा के साथ एक संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले यह समय बाधित था।

[(103) इस मुद्दे पर बाद में माननीय द्वारा मेसर्स श्रेयांस इंडस में उच्चतम न्यायालय। लिमिटेड का मामला (ऊपर), में विचार किया गया जहाँ कानून के समान प्रस्ताव से निपटने वाले इस अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था। उस मामले में, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की खंड 11 (10) में प्रावधान के अनुसार मूल्यांकन तैयार करने की सामान्य अवधि तीन साल थी, हालांकि, आयुक्त को लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद उस अवधि को और बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। अदालत के समक्ष विचार के लिए जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या मूल्यांकन तैयार करने के लिए आयुक्त द्वारा तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद कोई विस्तार दिया जा सकता है, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है। यह दृश्य

44 आकाशवाणी 1969 एससी 778

45 (1975) 2 एस. सी. सी. 840

46 (2008) 9 एस. सी. सी. 303

47 (2011) 6 एस. सी. सी. 739

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया था कि मूल्यांकन तैयार करने के लिए सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, मूल्यांकन करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके बाद, आयुक्त को मूल्यांकन तैयार करने के उद्देश्य से विस्तार देने की शक्ति का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:

“6. निर्धारिती ने अपील दायर करके मामले को आगे बढ़ाया

उच्च न्यायालय के समक्ष। यहाँ, निर्धारिती सफल हुआ है

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के रूप में इसकी प्रस्तुति

26 सितंबर, 2008 के विवादित फैसले के माध्यम से

माना कि एक बार सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, प्रतिरक्षा

स्वयं को एक अधिकार में निर्धारित मूल्यांकन के अधीन करने से

मूल्यांकन करना समाप्त हो जाता है। अतः जब

पारित करने के लिए अधिनियम में निर्धारित सीमा की अवधि

मूल्यांकन आदेश समाप्त हो जाता है, उसके बाद, आयुक्त है

उप-धारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित

अधिनियम की खंड 11 और की अवधि का विस्तार नहीं कर सकते

मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए सीमा। यह आदेश है -

हमारे समक्ष तत्काल अपीलों में राजस्व द्वारा हमला किया गया।

XX

XX

24. यह भी देखा गया कि अवधि के अंत में

निर्धारित सीमा का, विभाग का अधिकार

एक निर्धारिती का आकलन समाप्त हो जाता है और यह विस्तार

निर्धारिती को एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार प्रदान करता है।

25. अगर किसी को उपरोक्त आदेश के अनुसार चलना है, जिसके साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं, वही तत्काल मामलों में लागू होगा

ठीक है। पंजाब अधिनियम के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन के लिए समय बढ़ाने का प्रभाव है -

सीमा की अवधि को बढ़ाना और इसलिए, एक बार

सीमा की अवधि समाप्त हो जाती है, होने के खिलाफ प्रतिरक्षा

निर्धारित मूल्यांकन और करने के अधिकार के अधीन

मूल्यांकन समाप्त हो जाता है। इसलिए, कोई नहीं होगा

मूल्यांकन के लिए समय बढ़ाने का प्रश्न जब

मूल्यांकन पहले से ही समय की पाबंदी बन गया है। ए.

निर्धारिती के पक्ष में मूल्यवान अधिकार भी अर्जित हुआ है।

जब सीमा अवधि समाप्त हो जाती है। यदि आयुक्त

समाप्ति के बाद भी विस्तार देने की अनुमति है

अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा की मूल अवधि, यह होगा

उसे किसी भी समय ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दें।

तत्काल अपीलों में मूल्यांकन की अंतिम तिथि के बहुत बाद

स्वयं, जब मूल्यांकन की अंतिम तिथियां 30 अप्रैल थीं, 370

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

2004.”

[जोर दिया गया]

(104) ज्योति ट्रेडर्स और दूसरे के मामले में निर्णय (ऊपर) इससे पहले के दो निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह राय दी गई थी कि संशोधन की भाषा ने सुझाव दिया कि यह पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ था, इसलिए, इसे इसका सही अर्थ दिया गया था। हाथ में मामले के तथ्य अलग हैं। उत्तम स्टील लिमिटेड और मेसर्स श्रेयांस इंडस लिमिटेड का मामला (ऊपर) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णय हैं।

खोज

(105) हमारी उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विस्तारित अवधि केवल उन मामलों में लागू होगी जहां संशोधन से पहले निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई थी और न कि जहां अवधि पहले समाप्त हो गई थी क्योंकि संशोधन जीवन को एक मृत दावे में नहीं डाल सकता है।

इश्यू नं। (3)

क्या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए जारी किया गया कारण दर्शाएँ नोटिस खराब है क्योंकि इसमें अपवाद खंड और सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए बुनियादी तथ्यों की कमी है?

(106) याचिकाओं के समूह में याचिकाकर्ताओं ने मूल्यांकन के आदेशों को संशोधित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए कारण बताएँ नोटिसों की वैधता को चुनौती देने की भी मांग की है, मुख्य रूप से यह याचिका लेते हुए कि अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी तत्व नोटिसों में नहीं थे। सीमा की विस्तारित अवधि के आह्वान के लिए विशेष संदर्भ दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि विस्तारित अवधि केवल तीन निर्दिष्ट परिस्थितियों में लागू की जा सकती है। यदि प्राधिकरण ने अधिनियम की खंड 34 में प्रदान की गई सीमा के समाप्त होने के बाद कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी, तो नोटिस में ही इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था। इसकी अभाव में, इस तरह का नोटिस खराब था। समर्थन में, एच. एम. एम. लिमिटेड; कौर & सिंह; अबान लॉयड चिलीज ऑफशोर लिमिटेड; और यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड के मामले (ऊपर) पर भरोसा रखा गया है।

(107) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तर्क का विरोध करने के लिए यह याचिका दायर की गई थी कि मूल्यांकन के आदेश को संशोधित करने का प्रस्ताव करने वाले अधिआदेश की खंड 34 के तहत केवल एक नोटिस पर्याप्त था। तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। इस खंड में आदेश पारित आदेश से पहले केवल सुनवाई के अवसर की परिकल्पना के अधिकार क्षेत्र में आने से की गई है। पहले कोई पूर्व-आवश्यकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य

371

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

आयुक्त द्वारा ग्रहण किया गया।

(108) यह न्यायालय मामले के इस पहलू में इस कारण से नहीं जा रहा है कि इस स्तर पर, यह अपना महत्व खो चुका है, इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश के संदर्भ में, आयुक्त ने याचिकाकर्ता द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण आदेश के संबंध में उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों का पहले ही निपटारा कर दिया है। एक बार आदेश पारित हो जाने के बाद, यह अदालत आदेश की वैधता की जांच कर रही है। हालाँकि इस तरह का आदेश न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, जो मौजूद थी, वह यह थी कि पिछले लगभग दो वर्षों से, जब तक दलीलों की सुनवाई नहीं हुई थी, तब तक पीठासीन अधिकारी और उसके सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण हरियाणा राज्य में कोई कार्यात्मक न्यायाधिकरण नहीं था।

(109) इस मुद्दे की जांच नहीं की जा रही है क्योंकि कारणदर्शक नोटिसों के अनुसरण में, आदेश पहले ही पारित किए जा चुके हैं और वे इस अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं।

इश्यू नं। (4)

क्या अधिनियम में निर्धारित सीमा की सामान्य अवधि से परे पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को सक्षम करने वाले अपवाद खंड को उन मामलों में भी लागू किया जा सकता है जहां घटना अधिनियम में निर्धारित सामान्य अवधि के दौरान हुई थी?

(110) अधिआदेश की खंड 34 (1) के अवलोकन में यह प्रावधान है कि किसी आदेश की वैधता और किसी भी कार्यवाही के औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, जो आयुक्त की राय में राज्य के हित के लिए प्रतिकूल है, वह उन मामलों को छोड़कर उस

मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है, जो या तो लंबित हैं या जिनका निपटान किसी अपीलिय प्राधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। अधिआदेश की खंड 34 (1) के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि मूल्यांकन आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जाएगा, जिसे संशोधित करने की मांग की गई है। यह सीमा की सामान्य अवधि है। हालांकि, यह सीमा तीन स्थितियों में लागू नहीं होती है, अर्थात् (i) जहां कानून में पूर्वव्यापी परिवर्तन होता है; (ii) इसी तरह के मामले में न्यायाधिकरण का कोई निर्णय; और (iii) उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आधार पर।

(111) राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार की गई स्थिति है कि आयुक्त को सामान्य अवधि की समाप्ति के बाद पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का उपयोग आदेश में सक्षम बनाने के लिए, कानून में पूर्वव्यापी परिवर्तन मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद होना चाहिए। हालांकि, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश या उच्च के निर्णयों के संदर्भ में

372

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, तर्क यह था कि ये निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से पहले भी हो सकते हैं। अर्थात्, मूल्यांकन आदेश पारित आदेश के चरण में मूल्यांकन प्राधिकारी ने न्यायाधिकरण या क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ बाध्यकारी पूर्व निर्णय अनदेखी की थी। कानून के प्रस्ताव में इस हद तक कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यदि निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि है, जो राजस्व के पक्ष में एक बाध्यकारी मिसाल का ध्यान रखने में विफल रहा है, तो आदेश राज्य के हित के लिए प्रतिकूल होने के कारण संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, उन परिस्थितियों में, यह सीमा की सामान्य अवधि होगी जिसके भीतर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना है। अपवाद खंड को सामान्य परिस्थितियों में लागू आदेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि विभाग के पास प्रावधान में प्रदान किए गए पर्याप्त समय थे, अर्थात्, आदेश पारित आदेश की तारीख से तीन साल संशोधित आदेश की मांग की गई थी। यदि अपवाद खंड को लागू किया जाना है, तो असाधारण परिस्थितियाँ होनी चाहिए। भले ही न्यायाधिकरण का कोई संशोधन, आदेश या उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय

का निर्णय मूल्यांकन के आदेश के पारित होने के बाद हो, सामान्य परिस्थितियों में पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सीमा की अवधि के दौरान होना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जिनके आधार पर संशोधन या आदेश/निर्णय, जिसके आधार पर पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की मांग की जाती है, अधिआदेश की खंड 34 में प्रदान की गई सीमा के समाप्त होने से ठीक पहले अस्तित्व में आ गया था। वे मामले जांच किए जाने वाले प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेंगे कि क्या उस खंड में निर्धारित अवधि से अधिक संशोधन के लिए शक्ति के प्रयोग के लिए अपवाद खंड को लागू करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।

(112) तथापि, जिन मामलों में आधार, अर्थात् अधिआदेश की धारा 34 (1) के दूसरे परन्तुक में उत्कीर्ण तीन अपवाद निर्धारण आदेश के पारित होने से बहुत पहले उपलब्ध थे, उन मामलों में सीमा की विस्तारित अवधि प्रदान करने वाले अपवाद खंड की संभवतः अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि अनुमति दी जाती है, तो यह अधिकारियों की अक्षमता को बढ़ाने के बराबर होगा, जो स्पष्ट रूप से अधिनियम की भावना के खिलाफ है। इसे असाधारण परिस्थिति नहीं कहा जा सकता है, जो अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत प्रदान की गई सीमा की अवधि के भीतर शक्ति के प्रयोग के लिए आयुक्त के नियंत्रण से बाहर थी। यदि व्याख्या, जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया जाना चाहा जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमा की अवधि को समाप्त कर देगा, क्योंकि सभी मामलों में खंड बिना किसी भेद के किसी भी समय इसे लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा।

एम./एस. धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

(113) इस विषय पर कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में 5.5.2005 पर दिए गए फैसले के माध्यम से निर्धारित किया गया था, जो इसमें शामिल मूल्यांकन वर्षों से बहुत पहले था। मूल्यांकन आदेश के बारे में विवरण; जिस तारीख को मूल्यांकन का आदेश पारित किया गया था; मूल्यांकन आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख (जहां भी उपलब्ध हो); जिस तारीख को संशोधन के लिए सीमा की सामान्य अवधि समाप्त हो गई थी; अधिआदेश की खंड 34 (1) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख; जिस तारीख को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अंततः आदेश पारित किया गया था या प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लिया गया था, वह नीचे दी गई है। उपरोक्त जानकारी राज्य द्वारा 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 23336 में उत्तर के साथ संलग्नक आर-1/3 के रूप में संलग्न एक तालिका के रूप में प्रस्तुत की गई थी।

क्रम स.	सी. डब्ल्यू. पी. नं.	दलों का नाम	मूल्यांकन का वर्ष	मूल्यांकन आदेश की तिथि	निर्धारित आदेश की आपूर्ति की तिथि	आदेश पारित आदेश के लिए सीमा एन
1	20788 2015 का -	मेसर्स धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2011-12	15.5.20 13	15.5.2013	14.5.2016
2	23671 201 5 में से	ओमैक्स लिमिटेड बनाम. हरियाणा राज्य और अन्य	2010-11	30.4.20 12	7.6.2012	06.06. 2015
3	23721 से	ओमैक्स लिमिटेड बनाम. राज्य	2009 - 10	30.4.20 12	29.4.2011 और तारीख	26.09. 2014

	201 5	हरियाणा और अन्य			सुधार 27.9.20 11	
4	247 00 201 5 में से	मेसर्स धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	200 8-09	26.4.20 10	26.4.20 10	25.04. 2 013
5	248 47 201 5 में से	मेसर्स ढिंगर ए जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य ए और अन्य	200 9-10	28.4.20 11	04.10. 2 011	03.10. 2 014
6	249 66 201 5 में से	मेसर्स डीएलएफ लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य ए और अन्य	200 7-08	11/02/2 010	25.2.20 10	24.02. 2 013
7	253 36 201 में से	मेसर्स अमरनत एच अग्रवा	200 9-10	29.2.20 12	29.2.20 12	28.02. 2 015

375

एम./एस. धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

	5	आई. इन्वेस्टमे एन. टी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य				
8	258 48 201 5 में से	मेसर्स रहेजा डेवलपर लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2006 - 7	04/03/1 0	---	
9	265 08 201 5 में से	मेसर्स वाटिका लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2006-07	20.1.20 10	12.3. 9 9	11/03/16 09.07. 1
10	268 33 201 5 में से	एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2009-10	15.3.20 13	-	
11	270 05 201 5 में से	बेस्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2008-09	24.5.20 10	-	
12	270 06 201 5 में से	बेस्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य का	2010-11	17.4.20 12	-	

376

		हरियाणा और अन्य				
13	270 32 201 5 में से	बेस्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2007- 08	31.12. 2 009	-	
14	274 48 201 5 में से	अजय एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2009- 10	26.2.20 13	26.2.20 13	25.02.20 16
15.	274 58 201 5 में से	अजय एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2008- 09	31.5.20 10	-	
16.	275 26 201 5 में से	अजय एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2010- 11	29.11. 2 012	-	
17.	787 201 6 में से	मेसर्स बी. पी. टी. पी. लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2007- 08	22.4.20 10	22.4.20 10	21.04.20 13
18.	788 201 में से	मेसर्स रहेजा डेवलपर	2007- 08	26.11. 2 009	-	

एम./एस. धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

	6	एस. लिमिटेड वी. हरियाणा राज्य और अन्य				
19.	798 201 6 में से	मेसर्स बी. पी. टी. पी. लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2007- 08	30.4.20 09	30.4.20 09	29.4.201 2
20.	186 8 201 6 में से	मेसर्स डीएलएफ लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2008- 09	20.8.20 10	27.9.20 10	28.9.201 3
21.	219 7 201 6 में से	मेसर्स रहेजा डेवलपर एस Ltd.v। हरियाणा राज्य और अन्य	2005- 06	6.3.200 9	22.4.20 09	21.4.201 2
22.	319 6 201 6 में से	मेसर्स डी. एल. एफ. होम डेवलपर लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2007- 08	15.6.20 09	25.6.20 09	24.6.201 2
23.	374 8 201 6 में से	मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य	2010- 11	18.4.20 12	-	

		और अन्य				
24.	376 8 201 6 में से	मेसर्स पार्श्वनत एच डेवलपर लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2009- 10	18.4.20 11	-	
25.	679 6 201 6 में से	मेसर्स डी. एल. एफ. होम डेवलपर लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2006- 07	19.5.20 08	-	
26.	882 0 201 6 में से	मेसर्स डीएलएफ लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2006- 07	13.2.20 009	-	
27.	194 13 201 6 में से	मेसर्स एस. पी. आर. बिल्डटेक लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य	2009- 10	29.9.20 11	-	-

(114) यद्यपि न्यायाधिकरण द्वारा पारित कोई भी आदेश इस न्यायालय के लिए एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती नहीं होगा, तथापि, इसे निश्चित रूप से इस तथ्य के आलोक में संदर्भित किया जा सकता है कि पूर्ण सदस्य न्यायाधिकरण द्वारा एक दृष्टिकोण लिया गया था और इसे राज्य द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं करके स्वीकार किया गया था। हालांकि, इसे नजरअंदाज किया जा सकता है अगर इसके खिलाफ समझौता किया जाता है

कानून के सिद्धांत। मेसर्स चीका सॉल्वेंट (पी) लिमिटेड के मामले में (उपरोक्त),

379

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिआदेश, 1973 की खंड 40 के संदर्भ में एक समान स्थिति से निपटने वाले न्यायाधिकरण की तीन पीठ ने अधिआदेश के प्रावधानों के साथ पढ़ा, क्योंकि अधिआदेश के अधिआदेशन के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी, अन्य बातों के साथ-साथ राय दी कि यदि न्यायाधिकरण का आदेश जिसके आधार पर पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र को लागू करने की मांग की गई थी, पहले से ही लंबे समय से मौजूद था, तो पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग सीमा की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए था। न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक पूर्व आदेश को संदर्भित किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त दो आदेशों ने अंतिमता प्राप्त की।

(115) यदि वर्तमान मामले में तथ्यों के आलोक में विचार किया जाए, तो के. रहेजा विकास निगम के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के रूप में बाध्यकारी पूर्ववर्ती 5.5.2005 पर दिया गया था। निर्विवाद रूप से, उसके बाद सभी मूल्यांकन आदेश उस तय किए गए सिद्धांत की अनदेखी करते हुए पारित किए गए, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। केवल इसलिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एल एंड टी के पहले मामले (उपरोक्त) में एक बड़ी पीठ द्वारा विचार आदेश के लिए मामले को भेजा था, दिनांकित 19.8.2008 के आदेश के अनुसार, इसने बाध्यकारी पूर्ववर्ती के अपने मूल्य को तब तक नहीं हटाया जब तक कि इस मामले पर बड़ी पीठ द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था। एल एंड टी के दूसरे मामले (ऊपर) में बड़ी पीठ द्वारा निर्णय 26.9.2013 पर सुनाया गया था। एल एंड टी के दूसरे मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के काफी बाद याचिकाकर्ताओं को पुनरीक्षण के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

खोज

(116) प्रस्तुत किए गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक राय में दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की खंड 34 (1) के दूसरे परंतुक में प्रदान की गई सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए संशोधन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए, सामान्य परिस्थितियों में, घटना को सीमा की सामान्य अवधि समाप्त होने के बाद होना चाहिए। हालांकि, कुछ अपवाद हो सकते हैं जहां घटना सीमा की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले हुई थी और उचित समय के भीतर कार्रवाई की गई थी या देरी को संतोषजनक रूप से समझाया गया था। अपवाद खंड केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाना है। इसे हमेशा सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, भले ही किसी भी पक्ष को कठिनाई हो।

इश्यू नं। (5)

क्या विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र विभाग और निर्धारिती के लिए बाध्यकारी हैं?

(117) अधिनियम की धारा 56 (2) (3) और (4) के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

380

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

“56. कर प्रशासन।

(2) राज्य सरकार या आयुक्त, से समय-समय पर ऐसे आदेश, निर्देश और निर्देश जारी करें ऐसे सभी व्यक्ति जो प्रशासन में कार्यरत हैं यह अधिनियम राज्य सरकार या आयुक्त के रूप में ऐसे प्रशासन के लिए उपयुक्त समझते हैं और ऐसे सभी व्यक्ति ऐसे आदेशों, निर्देशों और निर्देशों का पालन करें और उनका पालन करें राज्य सरकार और आयुक्त:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश, निर्देश या निर्देश न हो जारी किया जाएगा ताकि किसी के विवेक में हस्तक्षेप किया जा सके अपीलीय प्राधिकारी अपने अपीलीय कार्यों के प्रयोग में।

(3) राज्य सरकार, यदि वह इसे आवश्यक समझती है या बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन है कर के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रह में एकरूपता या स्वप्रेरणा संज्ञान या किसी आवेदन पर किसी भी संदेह को दूर करने के लिए के भुगतान पर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से किया गया एक विक्रेता या विक्रेताओं के एक निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क, एक जारी करें उद्ग्रहण, निर्धारण से संबंधित किसी भी बिंदु को स्पष्ट आदेश वाला आदेश और कर का संग्रह और इसमें नियोजित सभी व्यक्ति एक अपीलीय प्राधिकारी को छोड़कर इस अधिनियम का प्रशासन, और इससे प्रभावित सभी विक्रेता इस प्रकार का पालन करेंगे। आदेश दें।

(4) उप-धारा (3) के तहत जारी प्रत्येक आदेश होगा -

वेबसाइट पर अपलोड करके एक साथ प्रचारित किया गया

डब्ल्यू. डब्ल्यू. हर्यानाटैक्स। 'वैट ऑर्डर' शीर्षक के तहत।

XXX "

XXX

XXX

(118) अधिनियम की खंड 56 राज्य सरकार या आयुक्त को ऐसे सभी व्यक्तियों को आदेश, निर्देश या निर्देश जारी करने में सक्षम बनाती है, जो अधिनियम के प्रशासन में कार्यरत हैं और वे अपीलीय प्राधिकरण के मामले को छोड़कर इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार, यदि स्वप्रेरणा आवश्यक समझती है, कर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से या किसी भी संदेह को दूर आदेश के लिए, स्वतः संज्ञान ले सकती है, या किसी भी प्रभावित पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर बिंदुओं को स्पष्ट आदेश वाला आदेश जारी कर सकती है। ऐसा स्पष्टीकरण अपीलीय प्राधिकारी को छोड़कर सभी के लिए बाध्यकारी होगा। अधिआदेश की खंड 56 (3) के तहत पारित किसी भी आदेश को की वेबसाइट पर अपलोड करके विभाग द्वारा प्रचारित किया जाना है।

381

एम./एस. धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

(119) उपरोक्त शक्ति का उपयोग करते हुए, आयुक्त ने दिनांक 7.5.2013 के ज्ञापन के माध्यम से विभाग के सभी अधिकारियों को "सिविल कार्य अनुबंधों/बिल्डरों और डेवलपर्स के बारे में निर्देश-कारोबार की गणना में स्वीकार्य कटौती और कर के लिए उत्तरदायी विचार" विषय पर निर्देश जारी किए। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि फ्लैटों और भवनों के डेवलपर्स/बिल्डरों द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों पर कर लगाने के बारे में कुछ भ्रम है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां निर्मित भवनों की बिक्री के लिए समझौते हैं, अधिनियम में प्रदान की गई "बिक्री" और "कार्य अनुबंध" की परिभाषा का उल्लेख करते हुए, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी भी एक अच्छा कानून था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद के किसी भी फैसले में इसे उलट नहीं दिया गया था। अधिकारियों को आयुक्त द्वारा इस तरह के लेनदेन पर कर लगाने और किए गए सभी दावों को अस्वीकार करने की सलाह दी गई थी, जो के. रहेजा विकास निगम के मामले

(उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत हैं। ऐसे ठेकेदारों/बिल्डरों के पंजीकरण के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया गया। उपरोक्त निर्देशों के प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:

“इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि विभागीय अधिकारियों के बीच सकल कारोबार और उससे स्वीकार्य कटौती और सिविल कार्य अनुबंध मामलों में कर के लिए उत्तरदायी विचार, विशेष रूप से फ्लैटों और भवनों के बिल्डरों और डेवलपर्स के मामले में, निर्धारित करने में कुछ भ्रम है। इसने ऐसे मामलों में कर के आकलन में एकरूपता की कमी पैदा की है और इसके परिणामस्वरूप टालने योग्य विवाद भी हुए हैं। इस मामले की जांच की गई है और यह आवश्यक समझा गया है कि इन मामलों में सही मूल्यांकन और कर की वसूली के संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं। तदनुसार, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे हैं:

1. भवन अनुबंधों के मामले में कर का आकलन (निर्मित भवन की बिक्री के लिए समझौता):

यह देखा गया है कि कई बिल्डर और डेवलपर निर्मित फ्लैटों/अपार्टमेंटों या अन्य इमारतों की बिक्री के लिए संभावित खरीदारों के साथ समझौते करते हैं और दावा करते हैं कि निर्मित इमारतों की बिक्री का उनका लेनदेन कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के बराबर नहीं है। हालाँकि, ऐसा दावा है।

382

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (संक्षेप में, "एच. वी. ए. टी. अधिनियम") के प्रावधानों के विपरीत क्योंकि एच. वी. ए. टी. अधिनियम की खंड 2 (1) (जेड. ई.) के खंड (ii) के तहत परिभाषित "बिक्री" में शामिल है, "किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में)।" "कार्य अनुबंध" शब्द को खंड 2 (1) (जेडटी) के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें "नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार, संयोजन, निर्माण, भवन, परिवर्तन, निर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, स्थापना, फिटिंग, सुधार, मरम्मत या किसी भी चल या अचल संपत्ति को चालू करने के लिए कोई भी समझौता शामिल है।" जैसा कि

डेवलपर्स या अन्य लोगों द्वारा वास्तविक निर्माण शुरू होने से पहले या निर्माण पूरा होने से पहले पूरी तरह से निर्मित अपार्टमेंट या फ्लैट या अन्य भवनों की बिक्री के लिए संभावित ग्राहकों के साथ किए गए ऐसे समझौतों या अनुबंधों को भवन निर्माण के कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए समझौतों या अनुबंधों के रूप में माना जाना चाहिए, जैसा कि के. रहेजा विकास निगम बनाम कर्नाटक राज्य (पृष्ठ 298 पर 141 एसटीसी में सूचित) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। यह अभी भी एक अच्छा कानून है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद के किसी भी फैसले में इसे उलट नहीं दिया गया है। इसके विपरीत दावे, यदि कोई हों, को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कई डेवलपर्स/प्रमोटर/बिल्डर पंजीकृत नहीं हैं और भवन के निर्माण के लिए उनके द्वारा नियुक्त ठेकेदारों को भुगतान करते समय कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यूसीटी) के स्रोत पर काटे गए कर को छोड़कर कोई कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि जहां वे पंजीकृत हैं, वे वैट आर-1 या वैट आर-6 के रूप में रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं, जैसा भी मामला हो। वे वास्तव में अनुबंधकर्ता के रूप में वैट आर-4 ए के रूप में रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। ऐसे मामलों में कानून की सही व्याख्या यह है कि विकासकर्ता/प्रवर्तक/बिल्डर कार्य ठेकेदार के रूप में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें एच. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता है और उन्हें निर्मित आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों/भवनों के संभावित खरीदारों से प्राप्त प्राप्तियों सहित कुल प्राप्तियों की सही राशि का खुलासा करते हुए वैट आर-1 या वैट आर-6 के रूप में अपना विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता है।

383

एम./एस. धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

XXX "

XXX

XXX

(120) उपरोक्त स्पष्टीकरण में सभी अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था।

(121) उपरोक्त निर्देशों के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेश किसी भी अवैधता या अनुचितता से पीड़ित न हों, विशेष रूप से आदेश पारित करने में सीमा के मुद्दे के संदर्भ में, 4.6.2013 पर नए निर्देश जारी

किए गए थे। अधिनियम की खंड 15 के संदर्भ में अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली सीमा की अवधि के लिए प्रदान किए गए उपरोक्त निर्देशों के पैरा संख्या 1 में नियमित मूल्यांकन का प्रावधान है, अधिनियम की खंड 16 में गैर-पंजीकृत विक्रेताओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है, जबकि इसकी खंड 17 में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है। तारीखें विशेष रूप से तब तक दी गई थीं जब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती या उसे अंतिम रूप नहीं दिया जाना है। अधिनियम की खंड 34 के तहत पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग से संबंधित मुद्दे को भी विशेष रूप से पैरा संख्या 1.5 में दिए गए निर्देशों में संबोधित किया गया था। इसमें यह उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2007-08 के लिए मूल्यांकन आदेशों को मार्च, 2014 तक संशोधित किया जा सकता है, सीमा की सामान्य अवधि तीन वर्ष है। इसके प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया है:

“ 1.5 अधिनियम की खंड 34 के तहत संशोधन प्रदान किया गया है। यह.

इसमें कहा गया है कि किसी आदेश की समाप्ति के बाद उसे संशोधित नहीं किया जाएगा।

ऐसी प्रति की आपूर्ति की तारीख से 3 वर्ष की अवधि

निर्धारित की जायेगी। इसका मतलब है कि सामान्य से कम

ए. वाई. 2006-07 तक की परिस्थितियों के मूल्यांकन के आदेश हैं

अंतिमता प्राप्त की। ए. वाई. 2007-08 के लिए मूल्यांकन आदेश कर सकते हैं

मार्च, 2014 तक संशोधित किया जाएगा।”

(122) यह निर्देश दिया गया कि कार्रवाई शुरू करते समय अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रदान की गई सीमा की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। निर्देश आगे इस मुद्दे पर डेवलपर्स/बिल्डरों/ठेकेदारों के मामलों की निगरानी के लिए प्रदान किए गए हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनके लिए संशोधन या पुनर्मूल्यांकन की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।

(123) उपरोक्त निर्देशों की वैधता विषयगत थी -

सी. एच. डी. डेवलपर्स लिमिटेड के मामले (ऊपर) में चुनौती का विषय, जिसमें

उसी को बरकरार रखा गया था।

(124) अधिनियम के तहत किसी भी स्थिति को स्पष्ट करने वाले विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश विभाग के लिए बाध्यकारी हैं, हालांकि, वे अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, अगर इसके विपरीत कोई निर्णय है। अदालत द्वारा व्यक्त विचार के विपरीत चलने वाले

किसी भी निर्देश को लागू करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। का प्रासंगिक अनुच्छेद

रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज के मामले में फैसला (ऊपर), से निपटना

384

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

इस मुद्दे के साथ, नीचे निकाला गया है: “7. बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र और निर्देश निस्संदेह संबंधित कानूनों के तहत अधिकारियों के लिए कानून में बाध्यकारी हैं, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर कानून घोषित करता है, तो अदालत के लिए यह निर्देश देना उचित नहीं होगा कि परिपत्र को इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यक्त किए गए विचार को नहीं बल्कि प्रभावी बनाया जाना चाहिए। जहां तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों/परिपत्रों का संबंध है, वे केवल वैधानिक प्रावधानों की उनकी समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। यह घोषणा करना अदालत का काम है कि अधिनियम का विशेष प्रावधान क्या कहता है और यह कार्यपालिका के लिए नहीं है। एक अन्य कोण से देखने पर, एक परिपत्र जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, वास्तव में कानून में मौजूद नहीं है।”

(125) विभाग द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देशों में दो पहलू हैं-पहला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की सही स्थिति के बारे में अधिआदेश के तहत विभिन्न प्राधिकरणों को अवगत कराना और दूसरा, अधिआदेश के तहत आदेश पारित करने के लिए सीमा का मुद्दा। जहाँ तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, हमारी राय में, निर्देशों में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया है कि मामलों की परिस्थितियों में सीमा की विस्तारित अवधि को लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसमें केवल सामान्य अवधि के लिए प्रावधान किया गया था जिसके दौरान पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अपवाद खंड को लागू करके पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के संबंध में मुद्दे को वर्तमान मामले में निपटाया गया है, इसलिए, उस हद तक यह राय नहीं दी जा सकती है कि आयुक्त के तहत अधिकारियों की कार्रवाई किसी भी तरह से विभाग द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है।

(126) हालाँकि, निर्देशों से एक तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होता है, अर्थात्, इस तथ्य की स्वीकृति कि के. रहेजा विकास निगम के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का

निर्णय देश का कानून था और सभी अधिकारियों द्वारा इसका सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। इस हद तक, निर्देश स्थिर स्थिति के अनुरूप थे।

खोज

(127) एक परिपत्र जिसे विभाग द्वारा जारी किए गए कोई भी निर्देश विभागीय अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं, सिवाय उस मुद्दे के जहां इसके विपरीत कोई निर्णय मौजूद है। ये अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

385

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

वैधानिक प्रावधानों के विपरीत कानून में कोई अस्तित्व नहीं है।

इश्यू नं। (6)

क्या अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) का स्पष्टीकरण (आई) अधिकार अधिकारातीत है?

(128) अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (i) के संबंध में मुद्दे पर सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा विचार किया गया था, जहां अनुरोध अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (i) और हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम 25 (2) (संक्षेप में, 'नियम') को भारत के संविधान के अधिकार अधिकारातीत घोषित करने के लिए था। अधिनियम की खंड 42 की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (आई) के अधिकारों को यह मानते हुए बरकरार रखा गया कि यह एक आरोप लगाने वाली खंड नहीं है, बल्कि केवल एक परिभाषा खंड है, हालांकि, नियमों के नियम 25 (2) को राज्य द्वारा दायर शपथ पत्र में उल्लिखित सीमा तक पढ़ते समय वैध माना गया था। राज्य को निर्णय में की गई टिप्पणियों के अनुरूप नियमों में आवश्यक परिवर्तन लाने का निर्देश दिया गया। यह भी देखा गया कि कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरित माल के मूल्य के अलावा किसी भी राशि पर कर लगाने का कोई भी प्रयास अधिकार अधिकारातीत होगा। इसका प्रासंगिक पैरा नीचे निकाला गया है:

“38. अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी) का स्पष्टीकरण, जो "बिक्री मूल्य" को परिभाषित करता है, कार्य अनुबंध में "बिक्री मूल्य" पर पहुंचने के दौरान अधिनियम की

खंड 2 (1) (यू) के तहत परिभाषित सकल कारोबार से श्रम, सामग्री और सेवाओं से संबंधित शुल्कों के कारण कटौती का प्रावधान करता है। यह एक शुल्क प्रावधान नहीं है जो "कार्य अनुबंध" में वैट का आकलन करने के लिए कोई दायित्व पैदा करता है। यह अधिनियम के परिभाषा खंड में है और प्रावधान इसके दायरे में कुछ ऐसा नहीं है जो अन्यथा कानून द्वारा निषिद्ध है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान किसी भी बुराई या असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त नहीं है।”

खोज

(129) चूंकि उपरोक्त प्रावधान के अधिकारों को इस अदालत द्वारा पहले ही बरकरार रखा जा चुका है, इसलिए हमें इस मुद्दे की फिर से जांच करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

इश्यू नं। (7)

क्या मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में में बिल्डरों पर कर लगाने को बनाए रखा जा सकता है? 16.5.2010 तक की अवधि और उसके बाद, जब नियम बनाए गए थे।

386

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

(130) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे दोहराया गया है:

“2. परिभाषाएँ

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

XX

XX

(यू) "सकल कारोबार" का जब किसी व्यापारी के संबंध में उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ है ऐसे व्यापारी द्वारा बेचे गए किसी भी माल के संबंध में प्राप्त या प्राप्य बिक्री मूल्यों का कुल, चाहे वह मूलधन, एजेंट के रूप में हो या किसी अन्य क्षमता में, और इसमें राज्य से बाहर निर्यात किए गए माल का मूल्य या बिक्री के अलावा अन्यथा निपटान शामिल है।

XXX

XXX

XXX

(") "बिक्री मूल्य" "से किसी भी वस्तु की बिक्री के लिए विचार के रूप में एक व्यापारी को देय राशि अभिप्रेत है, जो व्यापार में प्रचलित प्रथा के अनुसार नकद या व्यापार छूट के रूप में बिक्री के समय अनुमत किसी भी राशि से कम है, लेकिन इसमें माल की डिलीवरी के समय या उससे पहले व्यापारी द्वारा की गई किसी भी चीज़ के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल है और" "खरीद मूल्य" "अभिव्यक्ति का अर्थ उसी के अनुसार किया जाएगा;"

स्पष्टीकरण।-

((i) किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में, 'बिक्री मूल्य' का अर्थ ऐसी राशि होगी जो ऐसे कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति को भुगतान या देय मूल्यवान प्रतिफल की राशि में से कटौती करके प्राप्त की जाती है, ऐसी राशि जो श्रम और अन्य सेवा शुल्कों का प्रतिनिधित्व करती है और जहां ऐसे श्रम और अन्य सेवा शुल्क कोई मात्रात्मक नहीं हैं, वहां ऐसे शुल्कों की राशि की गणना उस प्रतिशत पर की जाएगी जो निर्धारित किया जाए।

xxx "

xxx

xxx

6. कर योग्य कारोबार का निर्धारण

(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक व्यापारी के कर योग्य कारोबार का निर्धारण करने में, उसके सकल कारोबार से निम्नलिखित कटौती की जाएगी, अर्थात्:

387

एम./एस. धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

(क) राज्य के बाहर माल की बिक्री का कारोबार;

(ख) अंतर-राज्यीय अवधि में माल की बिक्री का कारोबार

व्यापार और वाणिज्य;

(ग) आयात के दौरान माल की बिक्री का कारोबार

भारत के क्षेत्र में माल;

(घ) के निर्यात के दौरान माल की बिक्री का कारोबार
भारत के क्षेत्र से बाहर का माल।

(ई) राज्य से बाहर माल के निर्यात का कारोबार;

(च) बिक्री के अलावा माल के निपटान का कारोबार;

(छ) राज्य में छूट प्राप्त वस्तुओं की बिक्री का कारोबार;

(ज) ऐसे विदेशी राजनयिक को माल की बिक्री का कारोबार

मिशन/वाणिज्य दूतावास और उनके राजनयिक और एजेंसियां
और संयुक्त राष्ट्र के संगठन और उनके

राजनयिक जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; और

(i) उसे वापस किए गए माल की बिक्री का कारोबार, बशर्ते कि
प्रतिबंध और शर्तें जो निर्धारित की जाएं,
और शेष में कर योग्य खरीद को जोड़ा जाएगा।

खंड 3 की उप-खंड (3) के तहत, यदि कोई हो।

xxx"

xxx

xxx

(128) 'अधिनियम की खंड 2 (1) (एम) में 'विक्रेता' को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की खंड 2 (1) (आर) में 'वस्तुओं' को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की खंड 2 (1) में 'बिक्री' को परिभाषित किया गया है जिसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति का हस्तांतरण भी शामिल है। स्पष्टीकरण (I) में यह प्रावधान है कि किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में 'बिक्री मूल्य' का अर्थ होगा, मूल्यवान प्रतिफल की राशि से कटौती करके प्राप्त राशि, श्रम और अन्य सेवा शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि। अन्य सेवा शुल्कों का कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि की लागत सेवा शुल्क के अंतर्गत आती है। डब्ल्यू. ई. एफ. 17.5.2010 नियमों में नियम 25 को अधिसूचित करने से पहले कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई थी। "बिक्री मूल्य' को अधिनियम की खंड 2 (1)

(जेडजी) में परिभाषित किया गया है। कार्य अनुबंध को अधिनियम की खंड 2 (1) (जेड) में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की खंड 2 (1) (यू) में 'सकल कारोबार' को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है बेचे गए किसी भी माल के संबंध में प्राप्त या प्राप्य बिक्री मूल्यों का कुल और 'कर कारोबार' को अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडएन) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है खंड 6 और के प्रावधानों के संदर्भ में आया आंकड़ा।

388

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

3(3) अधिनियम से। एक कार्य अनुबंध में माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर का लेवी अब कोई मुद्दा नहीं है। यह केवल कराधान के उद्देश्य के लिए मात्रा है।

(129) 'बिक्री मूल्य' की परिभाषा, जो 19.3.2009 तक और 20.3.2009 के बाद से मौजूद थी, नीचे दी गई है:

<p>"1)" "बिक्री मूल्य" "से किसी भी वस्तु की बिक्री के लिए विचार के रूप में एक व्यापारी को देय राशि अभिप्रेत है, जो व्यापार में प्रचलित प्रथा के अनुसार नकद या व्यापार छूट के रूप में बिक्री के समय अनुमत किसी भी राशि से कम है, लेकिन इसमें माल की डिलीवरी के समय या उससे पहले व्यापारी द्वारा की गई किसी भी चीज के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल है और" "खरीद मूल्य" "अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार किया जाएगा;"</p>	<p>"1)" "बिक्री मूल्य" "से किसी भी वस्तु की बिक्री के लिए विचार के रूप में एक व्यापारी को देय राशि अभिप्रेत है, जो व्यापार में प्रचलित प्रथा के अनुसार नकद या व्यापार छूट के रूप में बिक्री के समय अनुमत किसी भी राशि से कम है, लेकिन इसमें माल की डिलीवरी के समय या उससे पहले व्यापारी द्वारा की गई किसी भी चीज के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल है और" "खरीद मूल्य" "अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार किया जाएगा;"</p>
<p>व्याख्या: -</p>	<p>व्याख्या: -</p>
<p>(i) किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में, 'बिक्री मूल्य' का अर्थ ऐसी राशि होगी जो ऐसे कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति को भुगतान की गई या देय मूल्यवान प्रतिफल की राशि में से कटौती करके प्राप्त की जाती है, वह राशि जो ऐसे निष्पादन के लिए श्रम और अन्य सेवा शुल्क का प्रतिनिधित्व करती है, और जहां ऐसे श्रम और अन्य सेवा शुल्क मात्रात्मक नहीं हैं, तो बिक्री मूल्य माल के अधिग्रहण की लागत और व्यापार में उन पर प्रचलित लाभ का मार्जिन और हस्तांतरण की</p>	<p>((i) किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में, 'बिक्री मूल्य' का अर्थ ऐसी राशि होगी जो ऐसे कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति को भुगतान या देय मूल्यवान प्रतिफल की राशि में से कटौती करके प्राप्त की जाती है, ऐसी राशि जो श्रम और अन्य सेवा शुल्कों का प्रतिनिधित्व करती है और जहां ऐसे श्रम और अन्य सेवा शुल्क मात्रात्मक नहीं हैं, वहां ऐसे शुल्कों की राशि की गणना उस प्रतिशत पर की जाएगी जो निर्धारित किया जाए।</p>

एम./एस. धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

माल में संपत्ति और उसके संबंध में अन्य सभी खर्च, जब तक कि उनमें संपत्ति, चाहे वह इस रूप में हो या किसी अन्य रूप में, संविदाकारी को पारित नहीं हो जाती है और जहां संपत्ति एक अलग रूप में पारित होती है, उसमें रूपांतरण की लागत शामिल होगी।

(130) नियम 25 (2) से (5) को अधिसूचना दिनांक 26.3.2010 के माध्यम से नियमों में जोड़ा गया था। ये कार्य अनुबंध के निष्पादन में कर योग्य कारोबार की गणना के लिए विधि प्रदान करते हैं। कुछ कटौती प्रदान की जाती हैं। इस अदालत ने सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में पक्षों के बीच मुकदमे के पहले दौर में इस मुद्दे पर विचार किया था। यह पाते हुए कि नियमों में कुछ विसंगतियां थीं, इस मामले का निपटारा इस अवलोकन के साथ किया गया कि राज्य न्यायालय के समक्ष लिए गए रुख के संदर्भ में नियमों में संशोधन करेगा। नियम 25 (2) से (5) को 23.7.2015 की अधिसूचना के माध्यम से 26.3.2010 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

(131) मशीनरी प्रावधान की अनुपस्थिति में लेवी के खराब होने पर एल एंड टी के चौथे मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुद्दा यह था कि क्या वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा आई. डी. 1 पर इसे लागू करने से पहले अविभाज्य कार्य अनुबंधों पर सेवा कर लगाया जा सकता है, जिसने स्पष्ट रूप से कार्य अनुबंधों को सेवा कर के लिए उत्तरदायी बना दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य अनुबंध के पूरे इतिहास का पता लगाया। वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा किए गए संशोधनों के साथ सेवा कर लगाया गया था। वित्त अधिनियम, 1994 की खंड 65 (105) ने कर योग्य सेवा को परिभाषित किया है। इसके खंड में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, परिसर के निर्माण के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवा एक कर योग्य सेवा होगी। इसे वर्ष 2004 में जोड़ा गया था। वित्त अधिनियम, 1994 की खंड 67 सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य

सेवाओं के मूल्यांकन का प्रावधान करती है। इसमें प्रावधान है कि किसी भी कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा उसके द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवा के लिए ली गई सकल राशि होगी। वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था। खंड 65 (105) (ज़ज़ा) जोड़ी गई थी। इसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन के संबंध में सेवा कर लगाने का प्रावधान है। कार्य अनुबंध को भी परिभाषित किया गया था। वित्त अधिनियम, 1994 की खंड 67 में भी संशोधन किया गया। इसमें प्रावधान है कि जहां सेवा के लिए प्रावधान विचाराधीन है, जो पता लगाने योग्य नहीं है, तो यह वह राशि होगी जो निर्धारित तरीके से निर्धारित की जा सकती है। इसके बाद, सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, में

390

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

2006, नियम 2-ए जोड़ा गया। इसने कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा कर के मूल्य के निर्धारण का प्रावधान किया। माननीय का निर्णय गैरन डंकरली एंड कंपनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय (ऊपर) था

विचार किया। इसने समग्र अविभाज्य कार्य अनुबंधों पर कर लगाने के तौर-तरीकों का प्रावधान किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में कानून का सार निम्नलिखित पैरा में दिया गया था: “14. इस निर्णय को पढ़ने से, जिस पर निर्धारिती के वकील ने बहुत अधिक भरोसा किया था, यह पता चलता है कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में निहित माल के मूल्य का पृथक्करण पूरे कार्य अनुबंध के मूल्य से काम करके और श्रम और सेवाओं के लिए शुल्क में कटौती करके निर्धारित किया जाना चाहिए। संविधान पीठ ने इस तरह की कटौती की संख्या आठ बताई है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण वह कटौती है जो उप-पैरा (एफ), (जी) और (एच) के तहत की जानी है। इनमें से प्रत्येक पैरास के तहत, प्रभार खंड द्वारा ही एक विभाजन किया जाना चाहिए ताकि ठेकेदार की स्थापना की लागत को श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित लागत में विभाजित किया जा सके। इसी तरह, अन्य सभी खर्चों को भी विभाजित किया जाना चाहिए क्योंकि वे श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं, और यही बात ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ के लिए भी लागू होती है। ये कटौती आमतौर पर ठेकेदार के खातों से की जाती हैं। हालाँकि, यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदारों ने उचित खाते नहीं रखे हैं, या उनके खाते विश्वसनीयता के योग्य नहीं पाए जाते हैं, तो यह विधायिका पर छोड़ दिया जाता है कि वह श्रम और सेवा

तत्व से संबंधित संपूर्ण कार्य अनुबंध के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर एक सूत्र निर्धारित करे। इसलिए, इस निर्णय में स्पष्ट और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक कटौती के आठ शीर्षों को ध्यान में रखते हुए एक अविभाज्य कार्य अनुबंध का विभाजन नहीं किया जाता है, तब तक किए जाने वाले कर शुल्क में अन्य चीजों के अलावा, स्थापना की पूरी लागत, अन्य खर्च और ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ शामिल होंगे और यह निषिद्ध क्षेत्र में ऐसे लागत, खर्च और लाभ के ऐसे हिस्से में प्रवेश करेगा जो ऐसे अनुबंध में माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कार्य अनुबंध में जिम्मेदार होगा। यह मामला होने के कारण, हम महसूस करते हैं कि निर्धारिती के लिए विद्वान अधिवक्ता दृढ़ आधार पर हैं जब वे कहते हैं कि सेवा कर प्रभार खंड को स्वयं के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए।

391

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

विशिष्टता यह है कि सेवा कर का उद्ग्रहण केवल कार्य अनुबंधों पर ही हो सकता है और कर का माप केवल कार्य अनुबंधों के उस हिस्से पर ही हो सकता है जिसमें एक सेवा तत्व होता है जो कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित सकल राशि से प्राप्त किया जाना है जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में अंतरित वस्तुओं में संपत्ति के मूल्य को कम करता है। यह वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा नहीं किया गया है, यह स्पष्ट है कि ऊपर देखी गई खंड 65 (105) में पांच शीर्षों के तहत कर का कोई भी शुल्क केवल सेवा अनुबंधों का होगा, न कि समग्र अविभाज्य कार्य अनुबंधों का।

15. इस स्तर पर, हमारे संविधान के तहत कराधान की योजना पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। संविधान की 7 वीं अनुसूची में निहित सूचियों में, कराधान प्रविष्टियां केवल सूची I और II में पाई जाती हैं। यही कारण है कि हमारी संवैधानिक योजना में केंद्र और राज्यों की कराधान शक्तियां परस्पर अनन्य हैं। कराधान की कोई समवर्ती शक्ति नहीं है। यह मामला होने के कारण, जिस क्षण किसी कर अधिनियम में निहित लेवी एक निषिद्ध अनन्य क्षेत्र में अतिक्रमण करती है, उसे निरस्त किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अंतर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले बिक्री कर और केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले सेवा कर के बीच है। जब समग्र अविभाज्य कार्य अनुबंधों की बात आती है, तो ऐसे अनुबंधों पर संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं द्वारा भी कर लगाया जा सकता है। संसद इन अनुबंधों में निहित सेवा तत्व पर ही कर लगा सकती है और राज्य इन अनुबंधों में निहित माल तत्व में संपत्ति के हस्तांतरण पर ही कर लगा सकते हैं। इस प्रकार, दोनों तत्वों को पूरी तरह से

अलग करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यदि सेवा कर लगाए जाने पर माल में संपत्ति के हस्तांतरण का कुछ तत्व बना रहता है, तो उक्त शुल्क संवैधानिक रूप से कमजोर पाया जाएगा। यह स्थिति भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2006) 3 एस. सी. सी. 1 में अच्छी तरह से परिलक्षित होती है:-

“88. बिक्री पर बिक्री कर लगाने के लिए राज्यों की विधायी क्षमता से कोई भी इनकार नहीं करता है, बशर्ते कि बिक्री के आवश्यक सहयोगी लेनदेन में मौजूद हों और बिक्री लेनदेन में स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो। हालाँकि, यह राज्य को माल के मूल्य में ऐसी सेवा की लागत को शामिल करके संघ सूची और कर सेवाओं में शामिल करने की अनुमति नहीं देता है। उन संयुक्त अनुबंधों में भी जो

392

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

यदि कानूनी कल्पना द्वारा अनुच्छेद 366 (29-ए) के तहत विभाज्य माना जाता है, तो पूरे लेनदेन के निष्पादन में शामिल माल के मूल्य का मूल्यांकन बिक्री कर से नहीं किया जा सकता है। जैसा कि लार्सन एंड टुब्रो बनाम भारत संघ [(1993) 1 एस. सी. सी. 364] में कहा गया था: (एस. सी. सी. पी. 395, पैरा 47):-

“47..... ठेकेदार की स्थापना की लागत जो श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है, उसे अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल के मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है और स्थापना की लागत जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सामग्री की आपूर्ति से संबंधित है, केवल माल के मूल्य में शामिल की जा सकती है।”

89. इसी कारण से केंद्र सिम कार्ड के मूल्य को सेवा की लागत में शामिल नहीं कर सकता है, अगर वे अंततः सामान पाए जाते हैं। जैसा कि हमारे द्वारा गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड में आयोजित किया गया था। भारत संघ [(2005) 4 एस. सी. सी. 214], पी. 228, पैरा 23:-

“23..... यह पारस्परिक विशिष्टता जो अनुच्छेद 246 (1) में परिलक्षित हुई है, इसका अर्थ है कि कर लगाने वाली प्रविष्टियों का अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि विशिष्टता बनाए रखी जा सके। हालाँकि आम तौर पर, कर लगाने वाली प्रविष्टियों के लिए एक उदार

व्याख्या दी जानी चाहिए, लेकिन यह अपने दायरे में ऐसे विषय पर कर नहीं लाएगा जो प्रविष्टि के निष्पक्ष अध्ययन में शामिल नहीं है। यदि सारतः, अधिनियम राज्य को दिए गए किसी क्षेत्र के लिए संदर्भित नहीं है, तो न्यायालय व्याख्या के किसी भी सिद्धांत द्वारा उस अधिनियम को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा जो उसके अंतर्गत नहीं आता है।”

[(132) कार्य अनुबंध पर कर लगाने के संदर्भ में वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों की जांच करते हुए, यह राय दी गई कि वित्त अधिनियम, 2006 में संशोधन के साथ पहली बार कार्य अनुबंध में सेवा घटक की राशि का पता लगाने के लिए प्रावधान किए गए थे। इसके प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:

“23. वित्त अधिनियम, 1994 पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलेगा कि खंड 65 (105) में निर्दिष्ट पाँच कर योग्य सेवाएं केवल सेवा अनुबंधों को संदर्भित करेंगी, न कि समग्र कार्य अनुबंधों को। यह खंड 65 (105) की भाषा से ही स्पष्ट है जो

393

एम./एस. धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

"कर योग्य सेवा" को "प्रदान की गई किसी भी सेवा" के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त उपखंडों में निर्दिष्ट सभी सेवाएं बिना किसी अन्य तत्व के सरल सेवा अनुबंध हैं, जैसे कि एक सेवा अनुबंध जो एक कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन है, या निर्माण, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन अनुबंध। इसके अलावा, खंड 67 के तहत, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा उसके द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवा के लिए ली गई सकल राशि है। यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि प्रभार प्रावधान में जो संदर्भित किया गया है वह सेवा अनुबंधों का करधान है, न कि समग्र कार्य अनुबंध, जैसे कि वर्तमान मामलों के तथ्यों पर निहित हैं। यह भी ध्यान दिया जाएगा कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में अंतरित माल में संपत्ति के मूल्य को कार्य अनुबंध के सकल मूल्य से घटाकर उपरोक्त किसी भी धारा द्वारा समग्र कार्य अनुबंधों से गैर-सेवा तत्वों को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

XXX

XXX

XXX

25. हम पहले ही देख चुके हैं कि इस शक्ति के अनुसार बनाए गए नियम 2 (ए) ने कार्य अनुबंध के 'सेवा' घटक को 'माल' घटक से अलग करने में दूसरे गन्नन डंकरले मामले का

पालन किया है। यह पूरे कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि से नीचे की ओर काम करने और इस तरह के कार्य अनुबंध के निष्पादन में हस्तांतरित माल में संपत्ति के मूल्य को कम करने से शुरू होता है। यह वैट के भुगतान के उद्देश्य से अपनाए गए मूल्य को अपनाकर किया जाता है। नियम आगे कहता है कि कार्य अनुबंध के सेवा घटक में दूसरे गन्नन डंकरले मामले में निर्धारित आठ तत्वों को शामिल करना है जिसमें स्थापना की लागत, अन्य खर्चों और सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित लाभ का विभाजन शामिल है जो केवल श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। और, जहां उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है, (अर्थात्, उन मामलों में जहां ठेकेदार की लेखा पुस्तकों को किसी भी कारण से नहीं देखा जाता है) विभिन्न कार्यों के अनुबंधों में यह निर्धारित करके कि ऐसे अनुबंधों में सेवा तत्व के कारण कार्य अनुबंध के लिए ली गई कुल राशि का कितना प्रतिशत होगा। यह योजना है और

394

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

केवल यह योजना जो संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है क्योंकि यह एक समग्र अविभाज्य कार्य अनुबंध को विभाजित करती है और इस बात का ध्यान रखती है कि इस तरह के अनुबंध के अनुसार हस्तांतरित माल में संपत्ति के लिए जिम्मेदार कोई भी तत्व सेवा कर की गणना में प्रवेश न करे।”

(133) इसके बाद, 1.6.2007 से पहले मशीनरी प्रावधान की अनुपस्थिति में समग्र कार्य अनुबंध पर सेवा कर की लेवीयता के मुद्दे पर विचार किया गया। इसके प्रासंगिक पैरास, जहां पहले के निर्णयों पर चर्चा की गई थी, नीचे दिए गए हैं:

“33. उपरोक्त निष्कर्ष वास्तव में निर्णयों की एक लंबी कतार के विपरीत है जिसमें कहा गया है कि जहां मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र नहीं है, कानून अस्पष्ट होने के कारण, मूल्यांकन प्राधिकरण के लिए विषय पर कर लगाने के लिए मनमाने ढंग से मूल्यांकन करने के लिए खुला नहीं होगा। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को हैंज इंडिया (पी) लिमिटेड के निम्नलिखित अंशों में संदर्भित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 5 एस. सी. सी. 443। इस अदालत ने कहा:- “15. इस न्यायालय ने समय-समय पर दिए गए निर्णयों की एक लंबी कतार में, कर अधिनियम के तहत वसूली योग्य करों और शुल्कों के मूल्यांकन के लिए तंत्र प्रावधानों के महत्व पर जोर दिया है। के. टी. मूपिल नायर बनाम केरल राज्य [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 552] मामले में इस न्यायालय की एक

संविधान पीठ ने इस विषय पर पहले के निर्णयों में से एक में त्रावणकोर-कोच्चि भूमि कर अधिनियम (1955 का 15) की संवैधानिक वैधता की जांच की। यह स्वीकार करते हुए कि अब कानून का जो अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक कर कानून इस आधार पर हमले से पूरी तरह से मुक्त नहीं है कि यह अनुच्छेद 14 में समानता खंड का उल्लंघन करता है, इस अदालत ने पाया कि विचाराधीन अधिअधिनियम असमानता के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था जो अधिअधिनियम पर बड़े पैमाने पर लिखा गया था और इसकी कर खंड के तहत प्रावधानों में निहित था। ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने यह भी देखा कि अधिनियम तंत्र और मूल्यांकन करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में चुप था। यह कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया था कि वह आवश्यक तंत्र और प्रक्रिया विकसित करे, जिससे शुरू से अंत तक पूरी बात पूरी तरह से प्रशासनिक हो जाए, इस कानूनी स्थिति की पूरी तरह से अनदेखी की जाए कि व्यक्ति या संपत्ति पर कर का आकलन एक अर्ध-न्यायिक अभ्यास है।”

16. बहुमत की ओर से बोलते हुए सी. जे. सिन्हा ने कहा: (के. टी. मूपिल मामला [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 552], ए. आई. आर. पी. 559, पैरा 9)

एम./एस. धोंगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

“9. ... आम तौर पर, एक कर कानून कानून द्वारा लगाए जाने वाले प्रस्तावित कर का आकलन करने के लिए एक अधिनियमित तंत्र निर्धारित करता है। यह कर लगाने के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में विवरणी देने के लिए प्रस्तावित निर्धारिती को नोटिस देने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है, कर के लिए दायित्व या प्रस्तावित कर की सीमा के बारे में किसी भी आपत्ति की सुनवाई के लिए प्राधिकरण और प्रक्रिया निर्धारित करता है और अंत में, उच्च नागरिक न्यायालय में कार्यवाही का सहारा लेकर किए गए मूल्यांकन की नियमितता को चुनौती देने के अधिकार के बारे में निर्धारित करता है। अधिनियम केवल एक अस्थायी मूल्यांकन करने के लिए सरकार की क्षमता की घोषणा करता है, और मद्रास राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 की खंड 3 के आधार पर, भूमि धारक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। अधिनियम के मूल्यांकन करने में अपनाई जाने वाली मशीनरी और प्रक्रिया के बारे में चुप रहने के कारण यह कार्यपालिका पर छोड़ देता है कि वह आवश्यक मशीनरी और प्रक्रिया विकसित करे। शुरु से अंत तक, पूरी बात को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक चरित्र के रूप में माना जाता है, इस कानूनी स्थिति की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए कि व्यक्ति या संपत्ति पर कर का आकलन कम से कम एक अर्ध-न्यायिक चरित्र का है।”

16. राय रामकृष्ण बनाम बिहार राज्य [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1667] मामले में यह न्यायालय यात्रियों और वस्तुओं (लोक सेवा मोटर वाहनों द्वारा वहन) अधिनियम, 1961 पर बिहार कराधान की संवैधानिक वैधता की जांच कर रहा था। के. टी. मूपिल नायर [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 552] में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराते हुए इस न्यायालय ने कहा कि एक अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा निर्धारित सीमाओं के दायरे से परे नहीं है और अनुच्छेद 304 (बी) द्वारा निर्धारित तर्कसंगतता का परीक्षण न्यायसंगत है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां अधिनियम पूरी तरह से भेदभावपूर्ण था या कर के मूल्यांकन और उद्ग्रहण के लिए कोई प्रक्रियात्मक तंत्र प्रदान नहीं करता था या जहां यह ज़ब्त करने वाला था, न्यायालय इसे असंवैधानिक के रूप में खारिज करने के लिए उचित होगा। ऐसे मामलों में विवादित अधिनियम के भौतिक प्रावधानों का स्वरूप ऐसा हो सकता है जो अदालत को यह विचार रखते हुए उचित ठहरा सके कि कर लगाने वाली अधिनियम अपने ज़बती उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विधायिका द्वारा अपनाया गया एक लबादा है।

17. जगन्नाथ बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। [ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1563] यह न्यायालय यू. पी. लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स एक्ट (1957 का 31) की संवैधानिक वैधता की जांच कर रहा था।सौदा

396

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

इस तर्क के साथ कि अधिनियम ने कर के निर्धारण या वसूली के लिए तंत्र के बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया है, इस न्यायालय ने कहा:(AIR pp. 1570-71, पैरा 17)

“17. ... यदि कोई कराधान अधिनियम कर की वसूली के लिए तंत्र और कर का आकलन करने की प्रक्रिया के बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं करता है और इसे पूरी तरह से कार्यपालिका पर छोड़ देता है कि वह ऐसी मशीनरी तैयार करे जो वह उचित समझे और ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करे जो उसे उचित लगे, तो अदालतों के लिए इस बात पर विचार करने का अवसर उत्पन्न हो सकता है कि क्या किसी तंत्र का प्रावधान करने और प्रक्रिया निर्धारित करने में विफलता अनुच्छेद 19 (5) के अर्थ के भीतर कर के अधिरोपण को अनुचित प्रतिबंध नहीं बनाती है। एक कर के अधिरोपण को, जो एक निर्धारित तंत्र और निर्धारित प्रक्रिया की अनुपस्थिति में में विशुद्ध रूप से प्रशासनिक मामले के रूप में लिया जाएगा, उचित अर्थों में, अनुच्छेद 19 (1) (च) के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जा सकती है।”

18. ए. पी. बनाम राज्य मेंनल्ला राजा रेड्डी [ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1458] यह न्यायालय आंध्र प्रदेश भूमि राजस्व (अतिरिक्त मूल्यांकन) और उपकर संशोधन अधिनियम, 1962 (1962 का 22) की संवैधानिक वैधता की जांच कर रहा था, जैसा कि संशोधन अधिनियम (1962 का 23) द्वारा संशोधित किया गया था। विवादित अधिनियमों में तंत्र प्रावधानों की अनुपस्थिति में को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने कहा:(ए. आई. आर. पी. 1468, पैरा 22)

“22. ... यदि खंड 6 को दरकिनार कर दिया जाता है, आत्यन्तिक रूप अधिनियम में मूल्यांकन के तरीके को निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 3 और 4 अनुभागों को प्रभारित कर रहे हैं और वे वास्तव में कहते हैं कि एक व्यक्ति को सूखी और आर्द्र भूमि दोनों के संबंध में प्रति एकड़ अतिरिक्त मूल्यांकन का भुगतान करना होगा। वे यह निर्धारित

नहीं करते हैं कि मूल्यांकन कैसे लगाया जाना चाहिए। कोई सूचना निर्धारित नहीं की गई है, व्यक्ति को उसकी भूमि पर मूल्यांकन पर सवाल उठाने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। आयकट, एकड़ या यहां तक कि ताराम के संदर्भ में अपनी भूमि को एक विशेष वर्ग में रखकर किए गए वर्गीकरण की शुद्धता को लेकर उनके लिए आंदोलन करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। अधिनियम मूल्यांकन के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों से निपटने के लिए मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त अधिकारी को भी नामित नहीं करता है और मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। सब कुछ एक अस्पष्ट रूप में छोड़ दिया जाता है। संक्षेप में कहा गया है कि अधिनियम के तहत मूल्यांकन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है और भले ही गंभीर गलती की गई हो, लेकिन

397

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

पीड़ित पक्ष के लिए इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। यह एक विशिष्ट मामला है जहां एक कर अधिनियम मूल्यांकन का कोई तंत्र प्रदान नहीं करता है।”

अधिनियम को निरस्त करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपीलों को उपरोक्त आधार पर खारिज कर दिया गया था।

19. विष्णु दयाल महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का भी उल्लेख किया जा सकता है [(1974) 2 एस. सी. सी. 305] और

डी. जी. गॉस एंड कंपनी (एजेंट) (पी) लिमिटेड बनाम केरल राज्य [(1980) 2 एस. सी. सी. 410] जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की प्रस्तावना और अन्य प्रावधानों से पर्याप्त मार्गदर्शन उपलब्ध है। समिति के सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करें और ऐसे मामलों में जहां वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के लिए तंत्र अधिनियम और स्थानीय प्राधिकरण के नियमों में प्रदान किया गया है, अन्य अधिनियम या नियमों में समान या समान प्रावधान प्रदान करने का कोई कारण या आवश्यकता नहीं है।

20. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी अधिनियम के तहत लगाए गए कर के निर्धारण/वसूली के लिए तंत्र प्रावधानों का पूर्ण की अनुपस्थिति में जो कर के निर्धारण और वसूली की पूरी प्रक्रिया और उससे संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय को प्रशासनिक रूप देने का प्रभाव डालता है, एक रिट अदालत के समक्ष उचित कार्यवाही में चुनौती देने के लिए खुला है। यद्यपि, कर अधिरोपित करने वाला अधिनियम स्वयं या

उसके अधीन बनाए जाने वाले नियमों के संदर्भ में किसी तंत्र का प्रावधान करता है या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसकी प्रत्येक मामले में जांच की जानी चाहिए।”

34. हममें से एक द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले में, शबीना अब्राहम और अन्य बनाम.केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्टर, 29 जुलाई, 2015 के फैसले में, 2005 की सिविल अपील No.5802 में, इस अदालत ने निर्णय दिया:-

“27. उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि राजस्व हमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के मशीनरी प्रावधानों को अनुमानों और अनुमानों के आधार पर बढ़ाने के लिए कह रहा है।हमें डर है कि यह संभव नहीं है।मुरारीलाल के मामले (ऊपर) में फैसला देने से पहले, हम यह जोड़ना चाहते हैं कि जहाँ तक साझेदारी फर्मों की बात है,

398

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

संबंधित हैं, आयकर अधिनियम की खंड 189 (1) में एक विशिष्ट प्रावधान है जो एक काल्पनिक विघटित फर्मों का परिचय देता है।इसमें कहा गया है कि जहां कोई फर्म भंग हो जाती है, वहां निर्धारण अधिकारी फर्म की कुल आय का आकलन करेगा जैसे कि ऐसा कोई विघटन नहीं हुआ था और आयकर अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसी भंग फर्म के मूल्यांकन पर लागू होंगे।दिलचस्प बात यह है कि इस प्रावधान का उल्लेख केवल मैसर्स मुरारीलाल के मामले (उपरोक्त) में अल्पमत निर्णय में किया गया है।

XXX

XXX

XXX

32. वर्तमान मामले में विवादित फैसले में एलिस सी. रीड के मामले का उल्लेख किया गया है, लेकिन उसमें निहित वास्तविक अनुपात को नहीं निकाला गया है।इसके बाद यह कहा जाता है कि यह कम शुल्क का मामला है जो मृतक के जीवनकाल के दौरान देखा गया है और फिर यह कहा जाता है कि समान रूप से इसलिए एक निर्माता के कानूनी प्रतिनिधि जिन्होंने अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया था, वे स्वयं एक ही तर्क से मृतक द्वारा भुगतान की गई ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा करने में समर्थ नहीं होंगे।इनमें से कोई भी

कारण ऐसे कारण नहीं हैं जो कानून के किसी भी प्रावधान को संदर्भित करते हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने नैतिकता में जाकर कहा कि गैरकानूनी संवर्धन का नैतिक सिद्धांत भी लागू होगा और चूंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देगा, इसलिए अधिनियम की व्याख्या उसी के अनुसार की जानी चाहिए। हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। जब कानूनों पर कर लगाने की बात आती है तो यह पहले सिद्धांत के सामने उड़ता है। इसलिए कानून की स्थिति को दोहराना आवश्यक है। पार्टिंगटन बनाम ए. जी., (1869) एल. आर. 4 एच. एल. 100 में 122 पर, लॉर्ड केर्न्स ने कहा:

“..... यदि कर लगाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कानून के दायरे में आता है तो उस पर कर लगाया जाना चाहिए, भले ही न्यायिक दिमाग को कितनी भी कठिनाई दिखाई दे। दूसरी ओर, यदि क्राउन कर की वसूली करना चाहता है, तो विषय को कानून के पत्र के भीतर नहीं ला सकता है, तो विषय स्वतंत्र है, हालांकि स्पष्ट रूप से कानून की भावना के भीतर मामला अन्यथा प्रतीत हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी भी अधिनियम में स्वीकार्य है, जिसे न्यायसंगत, निर्माण कहा जाता है, तो निश्चित रूप से, ऐसा निर्माण कर लगाने वाले अधिनियम में स्वीकार्य नहीं है जहां आप केवल अधिनियम के शब्दों का पालन कर सकते हैं।

35. हम पाते हैं कि पटना, मद्रास और उड़ीसा उच्च न्यायालयों ने वास्तव में या तो मशीनरी प्रावधानों या

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

अविभाज्य कार्य अनुबंधों को सेवा कर के दायरे में लाने के लिए मशीनरी के प्रावधानों को अपर्याप्त माना गया। पटना उच्च न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय द्वारा झारखंड राज्य बनाम वोल्टास लिमिटेड, पूर्वी सिंहभूम, (2007) 9 एस. सी. सी. 266 में स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया था। इस न्यायालय ने कहा:-

36. “9. बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की खंड 21, जैसा कि संशोधित किया गया है:

“21. कर योग्य कारोबार।—(1) इस भाग के प्रयोजन के लिए व्यापारी का कर योग्य कारोबार उसके सकल कारोबार का वह हिस्सा होगा जो उसमें से कटौती करने के बाद रह जाता है—(क) अनुबंध किए गए कार्यों के मामले में श्रम की राशि और निर्धारित तरीके से और सीमा तक कोई अन्य शुल्क।

10. बिहार बिक्री कर नियमों का नियम 13-ए, जिसे 1-2-2000 दिनांकित अधिसूचना द्वारा भी संशोधित किया गया था, इस प्रकार है:

“**13-A. Deduction** के कारण कार्य अनुबंध के मामले में

श्रम शुल्क।—यदि विक्रेता कोई खाता प्रस्तुत करने में विफल रहता है या प्रस्तुत किए गए खाते खंड 21 की उप-खंड (1) के खंड (ए) के उप-खंड (आई) के तहत अविश्वसनीय कटौती हैं, तो सकल कारोबार से कार्य अनुबंध के मामले में श्रम शुल्क निम्नलिखित प्रतिशत के बराबर होगा।

11. उपरोक्त प्रावधानों को झारखंड राज्य द्वारा 15-12-2000 की अधिसूचना के माध्यम से अपनाया गया है और इस प्रकार झारखंड राज्य में लागू होते हैं।

12. संशोधित धारा 21 (1) और नए प्रतिस्थापित नियम 13-ए की व्याख्या लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड मामले में पटना उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के विचार के लिए गिर गई। बिहार राज्य [(2004) 134 एसटीसी 354]। पटना उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणी की: “22. नियम 13-ए दुर्भाग्य से 'किसी अन्य आरोप' की बात नहीं करता है। दुर्भाग्य से नियम 13-ए इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि नियमों के तहत किसी अन्य शुल्क के संबंध में कटौती भी निर्धारित की जानी थी। नियम 13-ए को धारा 21 (1) के खंड (ए) के उपखंड (आई) का आत्यन्तिक

अनुवर्ती विधान नहीं कहा जा सकता है। जब कानून यह प्रावधान करता है कि नियमों में कुछ निर्धारित किया जाना है तो वह बात होनी चाहिए।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

प्रावधानों को व्यवहार्य और संवैधानिक रूप से वैध बनाने के लिए नियमों में निर्धारित।
गैन्न डंकरली एंड कंपनी में [(1993) 1 एस. सी. सी. 364:

(1993) 88 एस. टी. सी. 204] उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 खंड (3) और नियम 29 के उप-नियम (2) और नियम विशेष कटौती के लिए प्रावधान नहीं कर रहे थे, वे अमान्य थे। वर्तमान मामले में कानून के संवैधानिक प्रावधान में कहा गया है कि विशेष कटौती प्रदान की जाएगी लेकिन दुर्भाग्य से अन्य शुल्कों के संबंध में या तो खंड 21 में या बिहार वित्त अधिनियम की खंड 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों में कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है।

XXX

XXX

XXX

31. हमारी सुविचारित राय में नियमों के नियम 13-ए के साथ पठित धारा 21 (1) के खंड (ए) के उपखंड (आई) ने उपखंड (1) को पूरी तरह से व्यवहार्य नहीं बनाया क्योंकि किसी अन्य शुल्क से संबंधित कटौती का तरीका और सीमा राज्य द्वारा प्रदान/निर्धारित नहीं की गई है।”

37. इसी तरह, मद्रास उच्च न्यायालय ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम. तमिलनाडु राज्य और अन्य, [1993] 88 एस. टी. सी. 289 ने तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर नियमों के नियम 6 ए और 6 बी को इस प्रकार निरस्त कर दिया:-

“32.....आठ सिद्धांत वे मानदंड और मानदंड हैं जिनका प्रत्येक राज्य के कानून को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पालन करना होता है, जिसे हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। इसके अलावा, हमने राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की खंड और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 29 (2) को निरस्त करते हुए शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए विशेष कारणों का भी काफी विस्तार से उल्लेख किया है। नियमों के विवादित नियम 6-

ए और 6-बी, हमारे विचार में, उपरोक्त महत्वपूर्ण और आवश्यक परीक्षण और गैरन डंकरले के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुपात द्वारा निर्धारित बुनियादी आवश्यकताओं को पारित नहीं करते हैं। विवादित नियम उक्त निर्णय के अनुपात और विशेष रूप से गैरन डंकरले के मामले [1993] 88 एस. टी. सी. 204 में निर्णय के निष्कर्ष संख्या 1,2,3,6 और 7 में निर्धारित अनुपात के खिलाफ हैं। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दूसरे बिल्डर

401

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

एसोसिएशन ऑफ इंडिया मामला [1993] 88 एसटीसी 248 (एससी); [1992] 2 एमटीसीआर 542। उपरोक्त के आलोक में, हम [1957] 8 एस. टी. सी. 561 (एस. सी.) (ए. वी. फर्नांडीज बनाम केरल राज्य) और [1969] 23 एस. टी. सी. 447 (मैड) में बताए गए निर्णयों पर भरोसा करने वाले प्रतिवादी के लिए लिए गए रुख में कोई योग्यता नहीं देखते हैं। (कुमारसामी पत्थर बनाम मद्रास राज्य) कि गैर-कर योग्य टर्नओवर से संबंधित कुछ वस्तुओं को बाहर करने की चूक का कोई परिणाम नहीं है और यह विवादित कार्यवाही की वैधता को प्रभावित या कमजोर नहीं करता है। नतीजतन, उपरोक्त निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए, हम केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 से 6, 14 और 15 का उल्लंघन करने के अलावा नियम 6-ए और 6-बी को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करते हैं और इसके परिणामस्वरूप लागू नहीं किया जा सकता है।

33. खंड 3-बी के प्रावधान केवल कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर लगाते हैं। मूल्यांकन, दायित्व का निर्धारण और वसूली संबंधित नियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के प्रावधानों के तहत होनी चाहिए। खंड 53 (1) और (2) (बी. बी.) के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम 6-ए और 6-बी बनाए गए और प्रकाशित किए गए। ऐसे कार्य अनुबंध से संबंधित कारोबार की वस्तुओं को बाहर करने के बाद, जो राज्य सूची की प्रविष्टि 64 के तहत कानून की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य द्वारा कर लगाने के अधीन नहीं हो सकते थे, नियम कर योग्य कारोबार को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया और सिद्धांत प्रदान करने में बुरी तरह विफल रहे। नियम 6 का अपने स्वयं के संचालन से खंड 3-बी के तहत देयता के निर्धारण के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं था क्योंकि इसे केवल खंड 3, 3-ए, 4 या 5 के तहत एक व्यापारी के कर योग्य कारोबार को निर्धारित करने के संबंध में लागू किया गया है। नतीजतन, नियमों के नियम 6-ए और 6-बी को निरस्त करने के हमारे

उपरोक्त निर्णय के साथ, खंड 3-बी के उद्देश्यों के लिए कर योग्य कारोबार निर्धारित करने के लिए कोई उचित तंत्र प्रावधान नहीं है। इसलिए, खंड 3-बी के प्रावधानों को लागू करने और खंड 3-बी के उद्देश्यों के लिए कर योग्य कारोबार का निर्धारण करने के लिए आवश्यक नियमों की अनुपस्थिति में निष्क्रिय, अप्रभावी और अप्रवर्तनीय बना दिया जाता है। इस तरह की स्थिति तब तक होगी जब तक कि अधिनियम की खंड 3-बी को प्रज्वलित करने, सक्रिय करने और जीवन और बल देने के लिए नियम बनाने की शक्ति के आधार पर अधिनियम में या नियमों में पर्याप्त प्रावधान नहीं किए जाते।

402

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

38. और लार्सन एंड टर्बो बनाम उड़ीसा राज्य, (2008) 012 वीएसटी 0031 में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मशीनरी प्रावधान परिपत्रों द्वारा प्रदान नहीं किए जा सकते हैं और अभिनिर्धारित किया कि इसलिए विचाराधीन अधिनियम, अव्यवहारिक होने के कारण, उसके तहत आकलन का कोई प्रभाव नहीं होगा।”

[जोर दिया गया] (134) अंत में, यह राय दी गई कि 1.6.2007 से पहले कोई भी सेवा कर देय नहीं था।

(135) उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एक परिसर के निर्माण में शामिल सेवा के मूल्य, यदि कोई हो, की गणना के लिए मशीनरी प्रावधान की अनुपस्थिति में बिल्डरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की कर योग्यता के मुद्दे पर विचार किया। वित्त अधिनियम, 1994 की खंड 65 (105) के अनुसार, परिसर के निर्माण के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सेवा को कर योग्य सेवा के रूप में परिभाषित किया गया था। "परिसर का निर्माण" शब्द को वित्त अधिनियम, 1994 की खंड 65 (30 ए) के तहत परिभाषित किया गया था। यह राय दी गई थी कि सेवा कर अनिवार्य रूप से सेवाओं द्वारा बनाए गए मूल्य पर एक कर है जो विनिर्माण वस्तुओं द्वारा जोड़े गए मूल्य पर कर से अलग है। एक परिसर के निर्माण में अनिवार्य रूप से तीन व्यापक घटक होते हैं, अर्थात् भूमि जिस पर परिसर का निर्माण किया जाता है; (ii) वे सामान जो निर्माण में उपयोग किए जाते हैं; और (iii) विभिन्न गतिविधियाँ जो बिल्डर द्वारा सीधे या अन्य ठेकेदारों के माध्यम से की जाती हैं। इकाई (अचल संपत्ति) का स्वामित्व आरक्षण के चरण में संभावित खरीदार को नहीं दिया जाता है। एक पूर्ण भवन की बिक्री के लिए कोई सेवा कर नहीं लगाया जाता है क्योंकि यह अचल संपत्ति की बिक्री के बराबर होगा। वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों की जांच

करते हुए, अदालत ने पाया कि समग्र अनुबंध में शामिल सेवा तत्व का पता लगाने के लिए कोई तंत्र प्रावधान नहीं थे। सेवाओं पर सेवा कर लगाने का पता लगाने के लिए, यह आवश्यक है कि मशीनरी प्रावधान कर के माप, यानी सेवाओं के मूल्य का पता लगाने के लिए एक तंत्र प्रदान करें, जिसे सेवा कर के रूप में लिया जा सकता है। सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए में कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल कर योग्य सेवाओं के मूल्य के निर्धारण का प्रावधान किया गया है, बशर्ते कि ऐसा मूल्य कार्य अनुबंध के लिए ली जाने वाली सकल राशि होगी, जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य से कम होगी। हालाँकि, इसे इस कारण से वैध नहीं माना गया था कि बिल्डर के मामले में एक समग्र अनुबंध में, भूमि की बिक्री भी शामिल है। बिल्डर द्वारा खरीदार से लिए गए प्रतिफल में केवल प्रदान की गई सेवाएं या माल का तत्व शामिल नहीं है।

403

एम./एस. धींगरा जार्डिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

एल एंड टी के दूसरे मामले (उपरोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले सहित और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि परिपत्र की अधिसूचना के माध्यम से, अनुबंध में प्रदान की गई सेवाओं के निर्धारण के उद्देश्य से सकल प्राप्ति से 75 प्रतिशत की सीमा तक उपशमन प्रदान की गई थी, अदालत ने राय दी कि समग्र अनुबंध पर कोई सेवा कर नहीं लगाया जाता है और उस सीमा तक लेवी को अलग कर दिया गया था।

(136) इन मुद्दों को, जैसा कि इसमें शामिल है, इसके पैरा संख्या 4 में संक्षेपित किया गया था, जिसे नीचे निकाला गया है:

“4. इन याचिकाओं में शामिल विवाद से संबंधित है

सवाल यह है कि क्या फ्लैट खरीदारों द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल

किसी परिसर में फ्लैट प्राप्त करने के लिए बिल्डर/प्रमोटर/डेवलपर,

जो निर्माणाधीन/विकास के अधीन है, हो सकता है

सेवा कर के उद्ग्रहण के अधीन। याचिकाकर्ताओं के अनुसार,

बिल्डर के साथ उनके द्वारा किए गए समझौते इसके लिए हैं

अचल संपत्ति की खरीद और संसद नहीं

इन पर सेवा कर लगाने के लिए विधायी क्षमता है लेन-देन। याचिकाकर्ता आगे दावा करते हैं कि अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में इसके लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। सेवाओं के मूल्य की गणना, यदि कोई हो, एक परिसर का निर्माण और इसलिए, ऐसा कोई कर नहीं हो सकता है थोपा गया।”

(137) वित्त अधिनियम, 1994 में वित्त अधिनियम, 2010 और सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 में किए गए संशोधन पर विचार करते हुए, जैसा कि मौजूद प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए और एलएंडटी के चौथे मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए, यह राय दी गई कि बिल्डर द्वारा किए गए समग्र अनुबंध के संबंध में कोई भी सेवा कर प्रभार्य नहीं था। इसके प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:

“53. जैसा कि पहले देखा गया है, वर्तमान मामले में न तो अधिनियम न ही उसमें बनाए गए नियमों में किसी तंत्र का प्रावधान है। सेवा के अलावा अन्य सभी घटकों को हटाने का प्रावधान सेवा कर के माप का पता लगाने के लिए घटक।द.

अधिसूचना या परिपत्र द्वारा 75 प्रतिशत की सीमा तक उपशमन वैधानिक तंत्र प्रावधानों की कमी को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं एक समग्र में शामिल सेवाओं के मूल्य का पता लगाने के लिए अनुबंध।

XXX

XXX

XXX

55. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम चुनौती को नकारते हैं धारा 65 404 की उप-धारा 105 में खंड (ज़ज़ू) का सम्मिलन

अधिनियम से। तथापि, हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करते हैं कि अधिनियम की खंड 65 (105) (जेडजेडजेडएच) के साथ पठित अधिनियम की खंड 66 के तहत कोई भी सेवा कर बिल्डर के साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए समग्र अनुबंधों के संबंध में नहीं लिया जा सकता है। इस हद तक विवादित स्पष्टीकरण कि यह कर योग्य सेवा के दायरे में एक परिसर में इकाइयों की खरीद के लिए समग्र अनुबंधों को शामिल करना चाहता है, को अलग रखा जाता है।”

(138) याचिकाओं के वर्तमान समूह में शामिल मूल्यांकन वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक हैं।

(139) अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का एक संयुक्त अध्ययन, जैसा कि डब्ल्यू. ई. एफ. 17.5.2010 जोड़ा गया है, कर योग्य कारोबार की गणना के तरीके के लिए प्रदान करता है। 17.5.2010 से पहले, कर योग्य कारोबार की गणना करने के लिए अधिनियम या नियमों में कोई तंत्र प्रावधान नहीं थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्य अनुबंधों में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य पर ही कर लगाया जाता है। इस मुद्दे पर नियमों के नियम 25 (2) सहित मुकदमे के पहले दौर में विचार किया गया था। डब्ल्यू. ई. एफ. 17.5.2010 जोड़े गए नियमों में कुछ विसंगतियां पाई गईं। राज्य द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया था। सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में राज्य को अदालत में दायर शपथ पत्र के अनुरूप नियमों में संशोधन करने की स्वतंत्रता देते हुए विस्तृत फैसले के माध्यम से मामले का निपटारा किया गया था। इसके बाद, नियमों के नियम 25 को 17.5.2010 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधिसूचना दिनांक 23.7.2015 के माध्यम से संशोधित किया गया था। उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरास नीचे दिए गए हैं:

“44. यदि कानून के प्रावधान कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरित माल के मूल्य के अलावा किसी भी राशि पर बिक्री कर लगाने की मांग कर रहे हैं, तो प्रावधान भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत होंगे। कर की गणना खरीदारों के साथ बिक्री के लिए समझौता करने की तारीख को और उसके बाद माल में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य से अधिक नहीं होने वाले मूल्य पर की जानी है। हालांकि, 'कटौती विधि' के लिए सभी कटौती की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीदारों के साथ बिक्री के लिए समझौता करने की तारीख को और उसके बाद माल में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य पर ही कर लगाया जाए। जब कर योग्य कारोबार का पता लगाने के लिए नियमों के तहत 'कटौती विधि' निर्धारित की गई है, तो आम तौर पर इसमें

कानून के अधिदेश के अनुरूप एक अवशिष्ट खंड शामिल होना चाहिए ताकि उन सभी स्थितियों को शामिल किया जा सके जो

405

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

कल्पना की गई।

45. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनिवार्य रूप से अचल संपत्ति के मूल्य और बिक्री के समझौते में प्रवेश करने की तारीख से पहले की गई किसी भी अन्य चीज़ को समझौते के मूल्य से बाहर रखा जाना है। विकासकर्ता आदि के मामले में कार्य अनुबंध में माल का मूल्य, जिसके आधार पर वैट लगाया जाता है, उन कार्यों में निगमन के समय माल का मूल्य होगा, यहां तक कि जहां माल में संपत्ति बाद में गुजरती है। इसके अलावा, निगमन के समय माल के मूल्य पर वैट लगाया जाना चाहिए और यह अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए अभिप्रेत नहीं होना चाहिए। नतीजतन, नियमों के नियम 25 (2) को पहले बताए गए हद तक पढ़ने के लिए वैध माना जाता है और राज्य सरकार अपने दिनांकित 24.4.2014 के शपथ पत्र से बंधी रहती है। राज्य सरकार उपरोक्त टिप्पणियों के अनुरूप नियमों में आवश्यक परिवर्तन लाएगी।”

(140) याचिकाओं के वर्तमान समूह में नियमों के अधिकार पर कोई सवाल नहीं है। याचिकाकर्ताओं का रुख था कि नियमों के अधिकारों को चुनौती देने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं, जो लंबित हैं।

खोज

(141) 16.5.2010 तक की अवधि के लिए, कर योग्य कारोबार की गणना के तरीके के लिए इस विषय पर कोई नियम या निर्देश नहीं थे। विवरण निर्दिष्ट करने वाले मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में, हालांकि इस तरह के शुल्क को विवादित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह 16.5.2010 तक अप्रवर्तनीय हो गया है।

(142) सी. एच. डी. डेवलपर्स के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले और उसमें की गई टिप्पणियों के संदर्भ में संशोधित किए जाने के बाद, 17.5.2010 के बाद से, नियम अस्तित्व में हैं, हम यह नहीं पाते हैं कि लेवी को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

इश्यू नं। (8)

क्या मूल्यांकन उस कंपनी के नाम पर तैयार किया जा सकता है जो किसी अन्य कंपनी में विलय हो गई थी और कानून के संचालन से अपनी इकाई खो दी थी?

(143) सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड के मामले में (ऊपर),

माननीय उच्चतम न्यायालय, एक कंपनी के विघटन के बाद उसके अस्तित्व के मुद्दे पर विचार करते हुए, जिसे पुनर्निर्माण या समामेलन के कारण किसी अन्य कंपनी में विलय कर दिया गया है,

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

राय दी कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर समामेलन के बाद, हस्तांतरणकर्ता-कंपनी कानून की नजर में अस्तित्व में नहीं रहती है और यह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए खुद को समाप्त कर देती है। दो कंपनियों, अर्थात् स्थानान्तरण और स्थानान्तरण कंपनी को भागीदार के रूप में या उनकी देनदारियों और परिसंपत्तियों के संबंध में संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानना संभव नहीं है।

(144) इस मुद्दे पर बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा स्पाइस एंटरटेनमेंट लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में विचार किया गया, जहां कंपनी के मामले में बनाए गए मूल्यांकन के आदेश को चुनौती दी गई थी, जो स्थानान्तरित कंपनी के साथ विलय के बाद भंग हो गया था। यह केवल प्रक्रियात्मक दोष था या घातक, इस पर ध्यान दिया गया। माननीय के निर्णय का उल्लेख करते हुए

सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय

(ऊपर), यह राय दी गई थी कि कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है। यह अपना जन्म लेता है और निगमन के साथ जीवन प्राप्त करता है और विघटन के साथ मर जाता है। समामेलन पर, समामेलन कंपनी कानून की नजर में अस्तित्व में नहीं रहती है। यह भी राय दी गई कि मूल्यांकन कार्यवाही में स्थानान्तरित कंपनी द्वारा केवल भागीदारी का कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है। यह केवल एक प्रक्रियात्मक दोष नहीं है। इसके प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:

“8. भारतीय कंपनियों के तहत निगमित एक कंपनी

अधिनियम एक न्यायिक व्यक्ति है। यह अपना जन्म लेता है और जीवन प्राप्त करता है

निगमन। यह के अनुसार विघटन के साथ मर जाता है

कंपनी अधिनियम के प्रावधान। यह एक सामान्य कानून है कि

समामेलन, समामेलन कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है

कानून की आँखें। इस स्थिति को भी स्वीकार किया जाता है

न्यायाधिकरण ने ऊपर निकाले गए अपने आदेश के पैरा 14 में कहा। होने के नाते

कानून में दिए गए इस परिणाम को ध्यान में रखते हुए, कई मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक भंग होने पर मूल्यांकन कंपनी अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आय-कर का निर्धारण करना।.....

XXX

XXX

XXX

11. 11 अप्रैल, 2004 को योजना की मंजूरी के बाद, मसाला 1 जुलाई, 2003 से अस्तित्व में नहीं है। भले ही मसाला था रिटर्न दाखिल करने पर यह आयकर पर अनिवार्य हो जाता है उक्त के स्थान पर उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिकारी “मृत व्यक्ति ”। जब खंड 143 (2) के तहत नोटिस भेजा गया था, अपीलार्थी/समामेलित कंपनी प्रकट हुई और लाई गई ए. ओ. के ज्ञान के लिए यह तथ्य। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभिलेख पर अपीलकर्ता का नाम प्रतिस्थापित करें। इसके बजाय,

407

एम./एस. धींगरा जार्जिन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (एस. एस. सारोन, जे.)

निर्धारण अधिकारी ने मेसर्स स्पाइस के नाम पर मूल्यांकन किया जो उस दिन गैर-मौजूदा इकाई थी। ऐसी कार्यवाही और मेसर्स स्पाइस के नाम से पारित मूल्यांकन आदेश स्पष्ट रूप से अमान्य होगा। इस तरह के दोष को प्रक्रियात्मक दोष नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा केवल भागीदारी का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है।”

ढूँढना

(145) इस मुद्दे का जवाब नकारात्मक में दिया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी कंपनी के खिलाफ कोई आकलन नहीं किया जा सकता है, जो किसी अन्य कंपनी के साथ विलय के बाद भंग हो गई थी। जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निष्पक्ष रूप से कहा गया है, मूल्यांकन आदेश दिनांक 8.3.2016 (अनुलग्नक पी -8), मेसर्स सुख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पारित, वह कंपनी जो मेसर्स एसएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के बाद पहले ही भंग हो चुकी थी, को अलग कर दिया गया है। विभाग को कोई नया आदेश पारित आदेश के लिए विशिष्ट स्वतंत्रता देने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसे कि कानून अनुमति देता है, वह हमेशा कार्रवाई कर सकता है।

राहत

(146) ऊपर वर्णित कारणों के लिए, निर्णय के पैरा संख्या 81 में बनाए गए कानूनी मुद्दों का उत्तर निम्नानुसार दिया गया है:

- (1) के. रहेजा विकास निगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक बाध्यकारी उदाहरण था जिसमें घोषणा की गई थी कि उस समय इस विषय पर कानून का पालन सभी अदालतों और अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए था और यदि उचित समझा जाता तो अधिकारियों द्वारा इसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती थी।
- (2) पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विस्तारित अवधि केवल उन मामलों में लागू होगी जहां संशोधन से पहले निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई थी और न कि जहां अवधि पहले समाप्त हो गई थी क्योंकि संशोधन जीवन को एक मृत दावे में नहीं डाल सकता है।
- (3) इस मुद्दे की जांच नहीं की जा रही है क्योंकि कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में, आदेश पहले ही पारित किए जा चुके हैं और वे इस अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं।
- (4) इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक राय में दिया गया है कि अधिनियम की खंड 34 (1) के दूसरे परंतुक में प्रदान की गई सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए संशोधन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए, सामान्य परिस्थितियों में, घटना को सीमा की सामान्य अवधि के बाद होना चाहिए।

2017(1)

पहले ही समाप्त हो चुका है। हालांकि, कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे कि जहां घटना सीमा की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले हुई थी और उचित समय के भीतर कार्रवाई की गई थी या देरी को संतोषजनक रूप से समझाया गया था। अपवाद खंड केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाना है। इसे हमेशा सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, भले ही किसी भी पक्ष को कठिनाई हो।

(5) विभाग द्वारा जारी किए गए कोई भी निर्देश विभागीय अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं, सिवाय उस मुद्दे के जहां इसके विपरीत कोई निर्णय मौजूद है। ये अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। एक परिपत्र जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, उसका कानून में कोई अस्तित्व नहीं है।

(6) चूंकि उपरोक्त प्रावधान की शक्तियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही बरकरार रखा जा चुका है, इसलिए हमें इस मुद्दे की फिर से जांच करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

(7) 16.5.2010 तक की अवधि के लिए, कर योग्य कारोबार की गणना के तरीके के लिए इस विषय पर कोई नियम या निर्देश नहीं थे। विवरण निर्दिष्ट करने वाले मशीनरी प्रावधानों की अनुपस्थिति में, हालांकि इस तरह के शुल्क को विवादित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह 16.5.2010 तक अप्रवर्तनीय हो गया है।

सी. एच. डी. डेवलपर्स के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले और उसमें की गई टिप्पणियों के संदर्भ में संशोधित किए जाने के बाद, 17.5.2010 के बाद से, नियम अस्तित्व में हैं, हम यह नहीं पाते हैं कि लेवी को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(8) इस मुद्दे का जवाब नकारात्मक में दिया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी कंपनी के खिलाफ कोई आकलन नहीं किया जा सकता है, जो किसी अन्य कंपनी के साथ विलय के बाद भंग हो गई थी। जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निष्पक्ष रूप से कहा गया है, मेसर्स सुख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी जो पहले से ही मेसर्स सुख रियल्टर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के बाद भंग हो चुकी थी, के खिलाफ पारित 8.3.2016 (अनुलग्नक पी-8) का मूल्यांकन आदेश रद्द कर दिया गया है। विभाग को कोई नया आदेश पारित आदेश के लिए विशिष्ट स्वतंत्रता देने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसे कि कानून अनुमति देता है, वह हमेशा कार्रवाई कर सकता है।

(147) रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

पायल मेहता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है

कमलेश
अनुवादकर्ता